खण्ड-239, अंक-2
सोमवार, 29 माघ, शक संवत् 1884
(18 फरवरी, 1963 ई0)

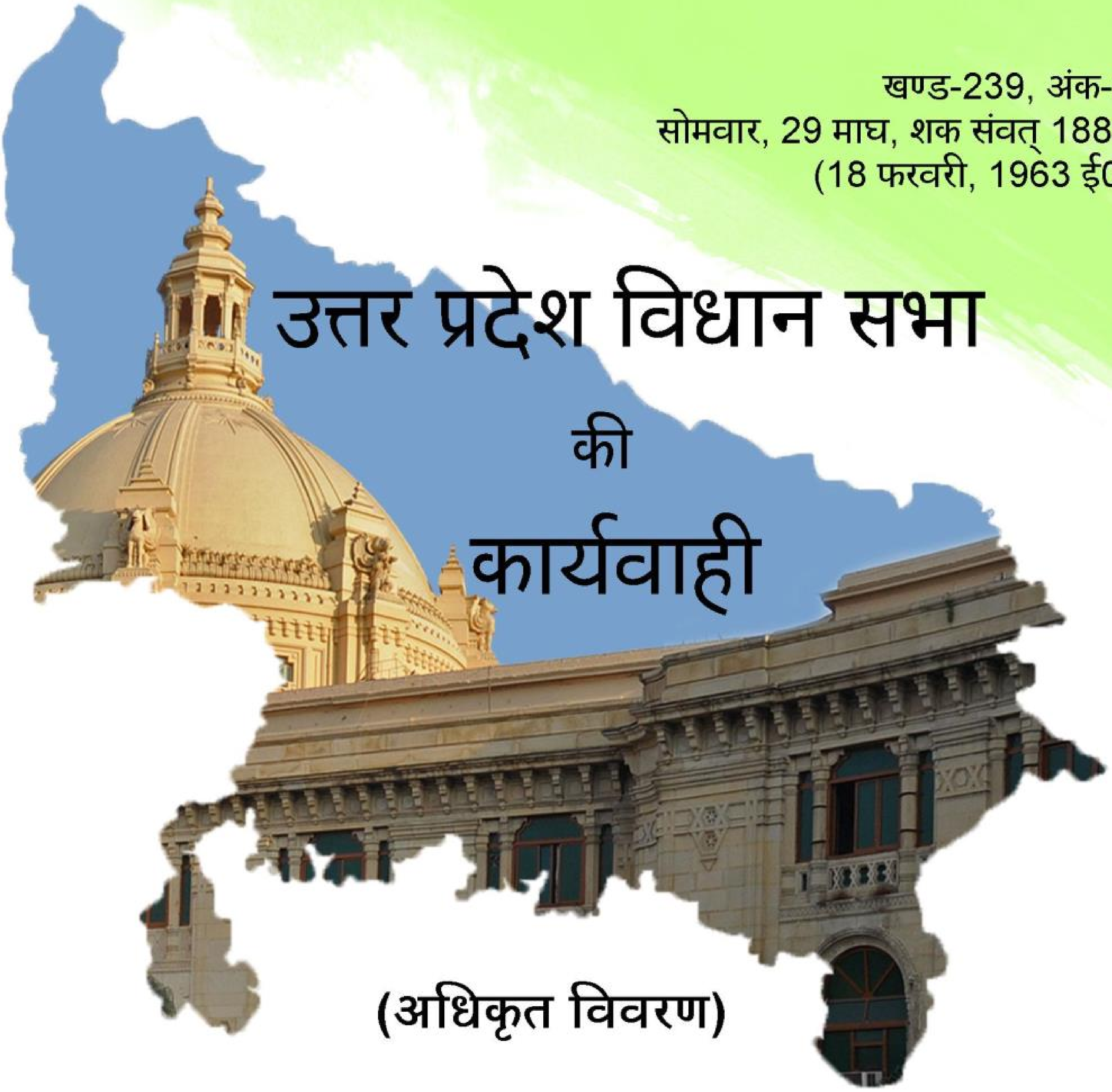

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 239 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय--सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७३–७७
प्रश्नोत्तर	७७–८२
नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	८३
सूची में कम प्रश्न रखने के संबंध में आपत्ति	८३–८४
नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं	८४–८६
१९६३–६४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	८६–१३८
नत्थी	१३९

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

LEGISLATURE LIBRARY
JUN
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १८ फरवरी, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में साढ़े १० बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काज़ी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री

बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह , श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सूखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपलानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री

हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १८ फरवरी, १९६३

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद को नाव से कोयले की सप्लाई

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में नदी द्वारा कितना कोयला अब तक लाया गया ?

रसद उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अब तक इलाहाबाद में नदी द्वारा ४३७.५ टन कोयला लाया गया है ।

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में लोहे तथा लकड़ी को अध्यादेश के द्वारा जनता को बेचने के लिये रोका गया और इसको रोकने को आज्ञा कब दी गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

६ नगरों अर्थात् बरेली, हल्द्वानी, फैजाबाद, इलाहाबाद, मेरठ और देहरादून में लोहा तथा लकड़ी (Timber) के बेचने पर नवम्बर १३, १९६२ की सरकारी आज्ञा द्वारा रोक लगाई गई थी । ऐसी दूसरी आज्ञा नवम्बर २१, सन् १९६२ को ६ अन्य नगरों अर्थात् लखनऊ, शाहजहांपुर, मथुरा, सहारनपुर, रुड़की और पौड़ी गढ़वाल को जारी की गई थी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि नदी और रेल से कोयला लाने में क्या अंतर पड़ता है ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

रेल से ३२ रुपये प्रति टन के करीब पड़ता है और नाव से ७७.६० रुपये के करीब पड़ता है और इसके अलावा घाट से जाने के ट्रांसपोर्ट चार्जेज और इसमें जुड़ेंगे ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या यह सही है कि इस कोयले के आने पर वहां के कोयला डीलरों ने कोयला लेने से इंकार कर दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर महंगा होगा तो जरूर किया होगा । इसकी कोई खास इत्तला नहीं पहुंची है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हल्द्वानी, फैजाबाद, इलाहाबाद, मेरठ और देहरादून में जो लोहे पर नियंत्रण लगा था वह अभी तक चालू है या हटा दिया गया ? यदि हटाया गया, तो किन-किन जिलों में ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तो दिसम्बर में ही हटा दिया गया है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो ढुलाई की दर उन्होंने बतलायी है वह प्रति वैगन है और प्रति बोट है ? यदि हां, तो एक बोट और एक वैगन में कितना कोयला आता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तो प्रति टन की दर बतलायी गयी है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

एक बोट (नाव) में कितना कोयला आता है और उस पर कितना खर्च देना पड़ता है तथा एक बोट की कैपेसिटी क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

एक साइज के बोट नहीं हैं । कई साइज के हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

क्या कोई योजना है जिसमें नदी द्वारा कोयला लाने का काम शुरू किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन नदियों में यह योजना चल रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह केन्द्रीय सरकार की योजना थी कलकत्ते से यहां तक कोयला लाने के लिये, और कोई दूसरी योजना नहीं है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह नदी द्वारा कोयला लाने की प्रथा कब से चालू हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जब रेलवे बैगन्स नहीं मिले और उनकी कमी महसूस हुई तो इसका भी इस्तेमाल एक्स-पेरिमेंटल बेसिस पर किया गया है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

इस राज्य के कुछ जिलों में लकड़ी और लोहा जनता के हाथ न बेचने के लिये दो-दो अध्यादेश जारी करने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इमरजेन्सी की वजह से इन चीजों पर कुछ दिनों के लिये नियंत्रण लगाने की जरूरत पड़ी ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

जो कोयला नदी से लाया जाता है और जो रेल से लाया जाता है उन दोनों में काफी अन्तर पड़ता है, रेट में । तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे उन दोनों के रेट में अन्तर न पड़े और एक से हो जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अगर सबको एक में मिला दिया जाय तो भाव एक हो जायेगा, मगर अभी ऐसा नहीं किया आ रहा है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

इस बात को देखते हुये कि नदी से जो कोयला लाया जाता है उसका भाव दुगने से भी ज्यादा पड़ जाता है, सरकार क्या ज्यादा से ज्यादा बैगन्स हासिल करने की कोशिश करेगी जिससे नदी से लाना बन्द हो जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

बैगन्स की कमी तो अभी भी पूरी नहीं हो सकी है और न ही निकट भविष्य में सम्भव है। सम्भवतः यहां से भी अगर कोई माल बाहर को उनमें जायेगा तो शायद यह कीमत कुछ कम हो जायेगी ।

श्री वैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

नाव से जो कोयला इलाहाबाद और वाराणसी में आता है, क्या उसे वहां पर घाटों पर उतरवाने की कृपा करगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

घाटों पर तो आता ही है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोहा वितरण के लिये कोई ऐसा आदेश जारी किया गया है कि लोहा बेचने का अधिकार सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर्स को ही होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

रजिस्टर्ड डीलर्स ही तो इसको बेचते हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

यह जो कोयला नदी या रेल से आता है इसको एक जगह डम्प कर दिया जाता है और फिर वहां से और जिलों को जाने की व्यवस्था है जिससे बड़ी असुविधा होती है । तो क्या सरकार जिलों को डाइरेक्टली देने की व्यवस्था करेगी बजाय इसके कि इसको डम्प कर दिया जाय एक जगह पर ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

डम्प तो कई स्थानों पर हैं जिनमें रेक सिस्टम पर वैगन्स आते हैं; जहां पर डम्प नहीं हैं, वहां सीधे भेजा जाता है, जैसे गाजीपुर में ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जैसे उन्होंने वक्तव्य में कहा है कि रेल से जो गल्ला आता है वह ३९ रुपया, ३१-३२ रुपया तक पड़ता है और जो बोट द्वारा आता है वह ७७.६० रुपये के हिसाब पड़ता है, तो क्या इस योजना पर विचार कर रहे हैं या केन्द्रीय सरकार से बातचीत करने पर विचार कर रहे हैं कि वैगन की फैसिलिटी दी जाय जिससे गल्ले का सस्ता रेट पड़ सके और देहात में गल्ला सस्ते दर पर पड़ सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

कई बार जवाब दे चुके हैं कि निरन्तर सेंट्रल गवर्नमेंट पर हम जोर देते रहे हैं कि वगैन्स दें । जब वैगन्स की कमी हो जाती है तो मजबूरी में और रास्ता ढूंढ़ रहे हैं ।

*३---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

[२८ फरवरी, १९६२ के लिये प्रश्न ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बाराबंकी जिला जेल में सिंचाई की व्यवस्था

*४---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जिला जेल में खेती की सिंचाई की क्या व्यवस्था है ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)---

सिंचाई कुओं द्वारा होती है । कुओं से पानी रहट और चरखे द्वारा निकाला जाता है ।

*५---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (अनुपस्थित)---

क्या यह सही है कि पानी निकालने के पर्याप्त साधन न होने की वजह से गर्मियों में लगी साग-सब्जियों को तैयार करने में कठिनाई होती है और सूख जाती हैं ?

श्री गोविन्दसहाय---

जी हां, गर्मी में जेल के बाहर की जमीन की सिंचाई में कुछ कठिनाई पड़ती है ।

*६---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (अनुपस्थित)---

क्या यह बात सही है कि उक्त कारागार में ट्यूबवेल लगाने का प्रपोजल सरकार को अरसा हुये मिला था किन्तु अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इस जेल में ट्यूबवेल लगाने की कृपा करेगी ?

श्री गोविन्द सहाय---

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं मिला । इस जेल में ट्यूबवेल लगाने का अभी कोई विचार नहीं है ।

जिला जेल, जौनपुर के कर्मचारियों की मांगें

*७---श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला, जेल जौनपुर के कर्मचारियों की ओर से सेक्रेटरी जेल एसोसियेशन द्वारा सन् १९६२ में कोई पत्रक वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

कारागार मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

जी नहीं । अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री माताप्रसाद---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि किसी सूत्र से उनके पास मांगें आयी हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी हां, आई हैं ।

श्री माताप्रसाद---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि संक्षेप में वह मांगें क्या हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

नियमानुसार किसी एसोसियेशन की तरफ से कोई मांग नहीं आयी । माननीय मन्त्री जी को एक मानपत्र के सिलसिले में कुछ उल्लेख वेतन बढ़ाने और पदोन्नति के सम्बन्ध में किया था, उस पर शासन विचार करेगा और लिखित एक पोस्टर उनका छपा था वह भी कुछ सूत्रों का आया था, उसकी भी कुछ मांगों पर विचार हो रहा है ।

श्री माताप्रसाद---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि किन-किन सूत्रों पर विचार कर रहे हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

२४ मांगें हैं जिनके सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है । किन पर निर्णय लिया जायगा, यह तो अभी विचाराधीन है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

वह कौन-कौन मुख्य सूत्र ऐसे हैं जिन पर वह विचार करने जा रहे हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—

उपाध्यक्ष महोदय, जो मांगें थीं वह दो हिस्सों में बांटी जा सकती हैं। एक तो वेतन-वृद्धि के सिलसिले में और जो सर्विस कंडीशन्स हैं उसमें। जिन सूत्रों का वेतन-वृद्धि का सम्बन्ध है वह तो सरकार अगर चाहे भी तो इमर्जेंसी के कारण कुछ कर नहीं सकती और जहां तक सर्विस कंडीशन्स हैं, उसमें विचार कर रहे हैं। उसमें एलाउन्सेज हैं, सर्विस के घंटों का है और जिन चीजों में कोई खास दिक्कत नहीं पड़ेगी उस पर विचार कर लेंगे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय कारागार मन्त्री बतायेंगे कि जिन सूत्रों पर विचार हो रहा है वह केवल जौनपुर जेल कर्मचारियों के लिये ही विचार हो रहा है या पूरे प्रान्त के?

श्री गोविन्दसहाय—

जौनपुर से शुरुआत हुई है, लागू सब जगह होगा।

श्री ऊदल—

क्या इस पर भी विचार कर रहे हैं कि पुलिस विभाग के जो कांस्टेबिल हैं उनकी तनख्वाह और बढ़ोत्तरी के अनुसार ही अब तक जेल वार्डर का भी लेविल रहा है, लेकिन अब जो अन्तर आ गया है वेतन और मंहगाई में वह दूर हो और वार्डर को भी कांस्टेबिल के बराबर पैसा मिले, इस पर विचार कर रहे हैं?

श्री गोविन्दसहाय—

जेल के वार्डर्स और पुलिस के सिपाहियों वगैरह की पे और भत्ते में कुछ भेद था। लेकिन सरकार ने पिछली दफा दोनों को एक कर दिया था। पुलिस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस वालों का वेतन तो बढ़ा है। जेल वालों का भी बढ़ना चाहिये, इसमें सरकार को कोई इखतिलाफ नहीं है, लेकिन समय का सवाल है कि कब बढ़े।

*८—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

[४ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*९-११—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

[हटा दिये गये।]

जेलों के लिये फिनाइल के ड्रम

*१२-१४—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

२४ सितम्बर, १९६२ के प्रश्न ४ के संदर्भ में क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रान्त में १९५५ से १९६२ तक कुल कितने ड्रम फिनाइल के प्रति वर्ष आये और प्रति वर्ष उनकी कुल कीमत विभाग ने क्या दी, जो ड्रम नहीं बेचे गये उनका क्या किया गया?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सन् १९५५ से १९६२ तक प्रति वर्ष जितने फिनाइल के ड्रम आये उनकी सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। विभाग ने ड्रमों की अलग से कोई कीमत नहीं दी। जो ड्रम नहीं बेचे गये वे जेलों में विभिन्न कार्यों में, जैसे गल्ला या तेल रखने या जानवरों को चारा देने के लिये नाद बनाने या गमला इत्यादि बनाने में, इस्तेमाल किये गये।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १३९ पर।)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर कुछ बेचे गये हैं तो किन दामों में?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

१९५५ से १९६२ तक १,५६३ ड्रम बेचे गये मुखतलिफ रेट्स पर और मुखतलिफ फर्म्स को। १९५५-५६ में १ ड्रम ६ रुपये २५ नये पैसे तथा विभिन्न रेट्स में बेचे गये। वे ड्रम बेचे जाते हैं जो अनसर्विसेबिल होते हैं और काम में नहीं आ सकते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—

गमले और खोर के लिये ड्रम काम में न लाकर, जो कीमती पड़ते हैं, मिट्टी के क्यों काम में नहीं लाये गये जो सस्ते पड़ते हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

बेकार ड्रम इस काम में लाते हैं, अगर बाहर से खरीदें तो ज्यादा पैसा देना होगा। अच्छे फीनाइल के ड्रमों में तेल इत्यादि कीमती चीजें रखते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

उत्तर में कहीं नहीं है कि ड्रम बेचे गये हैं या कितने। तो कुल कीमत कितनी वसूल हुई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

२४-९-६२ को इसका उत्तर दिया जा चुका था। किस सन् में, किस कीमत पर और किस फर्म को बेचे गये, यह सब तालिका उस समय माननीय सदस्य के पास भेज दी थी। और चाहें तो मैं फिर बता सकता हूं; मेरे पास है।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

१९६१-६२ में ये ड्रम किस भाव से बेचे गये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

१९६१ में २७ ड्रम ६.२५ रुपये में, १६० फिर ६.२५ में, २० ड्रम नीलाम द्वारा ९३ रुपये में बिके।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मुख्तलिफ रेट्स पर ड्रम बेचन का यह भी कारण हो सकता है कि उनके साइज में अन्तर होगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

अच्छे ड्रम का ज्यादा पैसा आवेगा और खराब का कम। नीलाम के ड्रम ज्यादा से ज्यादा बोली पर बेचे गये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

६.२५ फी ड्रम है या पूरा लॉट ५० ड्रम का ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

१ ड्रम। १९५६ में ६.२५ न० पै० में बेचा गया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

जेलों में बैलों के अलावा और क्या जानवर रहते हैं जिनके लिये ड्रम नाद के रूप में परिवर्तित किये गये ?

श्री गोविन्दसहाय—

गाय, भैंस वगैरह हैं। कभी-कभी गधे भी पहुंच जाते हैं।

श्री विश्वनाथ पांडेय "प्रणव" (जिला मिर्जापुर)—

जेलों में खाली बैल ही रहते हैं या घोड़ी भी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

तेल भरने के या जानवरों की नांद बनाने के ड्रम अफसरों के घर पर रहते हैं या सरकारी तौर पर इस्तेमाल होते हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

किसी के घर नहीं, बल्कि जेल के स्टोर में ही यह सामान रहता है।

नार्दन इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सूचना देता हूं कि नार्दन इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३, जो विधान सभा द्वारा १३ फरवरी, १९६३ को पारित किया गया था, विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के पारित होकर १५ फरवरी, १९६३, को वापस प्राप्त हो गया है।

सूची में कम प्रश्न रखने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रश्नों की संख्या के सम्बन्ध में पहले भी हम निवेदन कर चुके हैं। आज केवल ७ ही प्रश्न हुए हैं और अभी प्रश्नों का समय भी आधा घंटा बाकी है। हमको स्वयं जानकारी है और माननीय सदस्यों को भी जानकारी है कि आपके कार्यालय से सवालों को इसलिये अस्वीकार कर दिया जाता है कि एक सदस्य ने ३ से अधिक सवाल एक साथ भेज दिये हैं। आपके कार्यालय से सवाल किये नहीं जाते हैं, केवल आपके कार्यालय को भेजे जाते हैं और पूछे जाते हैं सरकार से। हमारे नियम ३४ में है कि एक सदस्य केवल ३ सवाल हाउस में करेगा। आपके कार्यालय में कितने सवाल भेजें, इसका कोई नियम नहीं है। आज तक यह परिपाटी रही है, जैसा कार्यवाहियों के देखने से मालूम होता है, और सन् १९५२ से आज तक मुझे जानकारी है कि ३ से अधिक सवाल हम लोग आपके कार्यालय में देते रहे हैं और उनकी स्वीकृति की सूचना हमारे पास आती रही है।

अगर यह मान लिया जाय कि आपके कार्यालय को एक साथ ३ से अधिक प्रश्न नहीं भेज सकते हैं तो हम लोगों का काम बहुत बढ़ जायगा। हम लोग देहातों से सवाल भेजेंगे तो १५ पैसे का लिफाफा रोजाना लगाना होगा और इतनी चुस्ती रखनी होगी कि रोजाना सवाल आपके कार्यालय में आवें। तभी आज कल की परिपाटी चल सकेगी, अन्यथा नहीं। सरकारी पक्ष के लोगों को तो इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे प्रश्न ही नहीं करते हैं वरना आपके कार्यालय द्वारा इस तरह के आदेश न होते। इसलिये इस व्यवस्था को आप बदलिये। इसका नतीजा यह हो रहा है कि हम लोग जिस सवाल को चाहते हैं, जनता जिनको चाहती है, वह सवाल कार्यालय से अस्वीकार हो जाता है। इसका असर पूरे प्रदेश की जनता पर बहुत बुरा पड़ रहा है। इसलिये यह जो गलत असल आपके विभाग में हो रहा है, उसको रोकिये।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रामसुन्दर जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं, वह पहले भी उठाया जा चुका है माननीय अधिष्ठाता के सामने, जब मैं चंडीगढ़ गया हुआ था। उन्होंने यह कहा था कि इस प्रश्न को देख लिया जायगा। मैं भी कहता हूं कि इस प्रश्न पर फिर से गौर कर लिया जायगा। इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि नियमावली में यह कहा गया है कि एक दिन में तीन तारांकित प्रश्न से अधिक नहीं पूछे जायेंगे। इसका इन्टरप्रिटेशन यह भी हो सकता है कि एक दिन में तीन से अधिक प्रश्न नहीं लिये जायेंगे। आप ही देखिये कि पूछने के आगे क्या हैं। आप नोटिस देते हैं, तभी तो प्रश्न पूछते हैं। तीन सवाल तो आपके ले ही लिये जाते हैं, बाकी बाद में और भी आप दे सकते हैं। आज की बात को छोड़ दीजिये, लेकिन साधारणतः करीब-करीब ७०–८० या १०० सवाल प्रति दिन हो जाते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, उसके ऊपर और नीचे नियम ३३ और ३५ देख लीजिये, उसमें क्या लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस वक्त हाउस का समय खराब करने की जरूरत नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

फिर आप फैसला क्यों दे रहे हैं और हमसे आप कहते हैं कि हाउस का समय न लें ? आप फिर अपने कक्ष में ही बुला कर पहले बातचीत क्यों नहीं हम लोगों से कर लेते ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप मुझसे मिल लीजिये, उसके बाद मैं गौर कर लूंगा, लेकिन इस समय हाउस का समय खराब करने की जरूरत नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस सम्बन्ध में एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि आप ने जो दृष्टिकोण रखा है उस दृष्टिकोण से हम लोग सहमत नहीं हैं। अब तक हमारी यही परम्परा रही है कि जो भी प्रश्न दिये जाते रहे वे ले लिये जाते थे, लेकिन छापे नहीं जाते थे और बाकी दूसरे दिन के लिये रख दिये जाते थे। लेकिन आज पूछने का अर्थ जो लगाया जा रहा है वह किसी प्रक्रिया में नहीं है। जब आप कहते हैं कि बाद में इस पर विचार करेंगे तो फैसला क्यों दे रहे हैं, उन शब्दों का अनर्थ क्यों लगाया जा रहा है ? अगर उनका यही अर्थ था तो अब तक क्यों ऐसा होता रहा ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जो इन्टरप्रिटेशन मेरी समझ में आया वह मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको भी तो उसके बाद सुनने को तैयार हूं।

श्री उग्रसेन—

फिर आप अपना भाष्य तो न दीजिये। पहले हमें सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मुझे समझा दीजिये। मैं दुबारा विचार करने के लिये तैयार हूं।

एक सदस्य—

कक्ष में बुला लीजिये, श्रीमन्। प्रश्नों का समय तो बेकार न जाय।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, हम सवाल आपसे नहीं पूछते। सवाल मन्त्री जी से पूछते हैं। आपका विभाग तो एक पोस्ट आफिस है। आप एजेन्डे पर तीन सवाल ही रखिये।

श्री उपाध्यक्ष—

पोस्ट आफिस की बात तो आप गलत कहते हैं। आपका एतराज मैं सुनने को तैयार हूं। सुनने के बाद नियमों के अनुसार जो बात तय होगी उस पर अमल किया जायगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

श्रीमन्, नियम तो हमारे लिये हो सकते हैं। आप तो नियमों से ऊपर हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं। हम और आप सभी नियमों से बंधे हुए हैं।

श्री उग्रसेन—

जब तक आप कोई दूसरा फैसला न करें तब तक पुरानी प्रथा को ही चालू रखिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप आज ही मुझसे बातचीत कर लीजिये।

नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास एक नियम ५२ की सूचना श्री राधेश्याम जी की है जो सुनारों के बारे में माननीय सदस्य को जनरल डिसकशन के समय उस पर कहने का मौका मिल सकता है।

दूसरा प्रश्न नैपाल के सम्बन्ध में उठाया गया है। चूंकि यह केन्द्रीय सरकार का विषय है, इसलिये इसको भी मैं एलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, यह तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लाखों आदमियों के रोजगार का सवाल है। सारे प्रदेश में इससे बड़ा असंतोष फैल रहा है। लाखों कारीगर भूखों मर रहे हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरे प्रस्ताव पर आप पुनः विचार कर लें। यह सही है कि इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से भी है, लेकिन यह हमारी सरहद का मामला है। वहां पर जनता की रक्षा के लिये हमारी पुलिस रहती है। पता नहीं कि हमारे नागरिकों को जिनको पकड़ कर ले जाया गया है और गोली मार दी गयी है, अगर ऐसा है तो उसके बारे में मालूमात होनी चाहिये और अगर जिन्दा हैं तो उनके बारे में खबर मिलनी चाहिये और उनको छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। भविष्य में भी ऐसी बात न हो, इसलिये इस पर चर्चा होने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, इस सरकार की नहीं है। बजट पर चार दिन का डिसकशन होगा, उस समय उसके विषय में आप जिक्र कर सकते हैं। इसलिये इसको मैं यहां स्वीकार नहीं करता।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

बजट पर बहस के समय हम किन-किन बातों पर बोल सकते हैं, श्रीमन् हमें बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

नैपाल और केन्द्रीय सरकार का जो सम्बन्ध है, उस विषय पर आप कुछ नहीं कह सकते। जहां तक हमारी पुलिस का सम्बन्ध है, उस पर आप कह सकते हैं।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

हमारे आदमी मर गये हैं या जिन्दा हैं, इसका पता कौन लगायेगा कि वहां क्या स्थिति है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अपनी बात कह चुका हूं। अब आगे दूसरा काम होगा।

श्री झारखंडेराय—

अभी आपने आदेश दिया कि इस प्रश्न को सामान्य विवाद के समय लिया जा सकता है। तो उस समय इस प्रश्न को मैं उठा सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने यह नहीं कहा कि सामान्य विवाद के समय इस विषय पर आप विवाद कर सकते हैं। मैंने तो यह कहा कि जो जरूरी चीजें हैं और इस सरकार से ही ताल्लुक रखती हैं, उनको आप कह सकते हैं।

श्री झारखंडेराय—

आपने तो कहा कि यह भारत सरकार से सम्बन्धित विषय है, फिर उसको हम कैसे कहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो बात कहना आप मुनासिब समझते हैं और समझते हैं कि वह इस सरकार की जिम्मेवारी है, उसको कह लीजियेगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

जब हम इस सरकार की जिम्मेदारी समझते हैं तभी तो प्रश्न करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह हाईपोथेटिकल सवाल है।

अब नियम ५३ के सम्बन्ध में यह सूचना है। यह पहले भी आई थी और अस्वीकृत हो चुकी है और इसलिये यह नई नहीं है और इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है।

१९६३–६४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री उपाध्यक्ष—

अब बजट पर डिबेट शुरू होती है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

श्रीमन्, आपने १८८ के बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। पहले ५ दिन तक डिबेट होती थी, अब वह घटा दिया गया है। तो यह बात.....

(व्यवधान)

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

श्रीमन्, इसमें कठिनाई अवश्य थी। लेकिन बाद में इस पर बात कर लेंगे। यह ४ दिन के लिये, आप देखें कि यह फिर बाद में २८ को खत्म हो सकती है। ५ ही दिन जनरल डिसकशन होगा और .....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा यह कहना है कि ५ दिन तक डिबेट चलती रहे। यह जो ४ दिन कर दिया गया है और गवर्नर महोदय के भाषण के लिये ३ दिन कर दिया गया है तो यह सब बिना विरोधी दल के नेताओं से बात किये ही कैसे तय कर लिया गया?

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, इस विषय पर मैंने एक पत्र लिखा था। माननीय मुख्य मन्त्री जी से उसमें यह कहा था कि इस सदन की यह परिपाटी रही है कि बजट पर सामान्य विवाद ५ दिन चलता था और यह भी एक परिपाटी रही है। बजट के लिये समय में परिवर्तन की सूचना लीडर आफ अपोजीशन के कन्सलटेशन से होती है। मुझे दुख है कि सरकार ने अपने मन से जो भी निर्धारित किया हो, मेरे पास उसकी कोई सूचना अभी नहीं है। माननीय बनारसीदास जी उपस्थित हैं और आशा करता हूं कि जो पत्र मैंने माननीय मुख्य मन्त्री को लिखा था उसका उत्तर दिया जाय और सदन को उससे अवगत कराया जाय। तब हम लोग सामान्य विवाद प्रारम्भ करेंगे।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैं निवेदन यह कर रहा था कि जहां तक बजट के डिसकशन का सम्बन्ध है, उसमें आप देखें कि पहले ३ दिन तक होता था, बाद में ५ दिन होने लगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह तो सरकार की जबर्दस्ती है कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री बनारसीदास—

मैं आपके कहने से दुखित होने वाला नहीं हूं। कहीं पर यह नहीं है कि कन्सलटेशन हो, पहले आप देखें कि ४ दिन था और फिर बाद में ५ दिन वह कर दिया गया। यह कितने दिन इसमें होंगे यह १८९ की वोटिंग की डिमान्ड पर होगा जो २४ दिन से अधिक नहीं है, जिसे कि स्पीकर नेता सदन से परामर्श करने के बाद करें। जहां तक डिमान्ड का सवाल है, यह किस आर्डर में ली जायं और क्या ली जायं। तो इसके बारे में, मैं विरोधी दल के नेता महोदय से

यह निवेदन करता हूं कि आज या कल के अन्दर मीटिंग बुलाकर निश्चय कर लेंगे कि वोटिंग की डिमान्ड का ग्रुप क्या हो, इन सब बातों पर विचार कर लिया जायगा। पारसाल परामर्श किया था कि कब ग्रुपिंग हो। मैं माननीय दुबे जी से निवेदन करता हूं कि सदस्यों से विचार विमर्श कर लें। सोमवार या मंगलवार को जो भी आप उचित समय समझें बात कर लेंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

श्रीमन्, मैं आभारी हूं कि ग्रांट के बारे में जो बात कही। परन्तु जो मेरा एक प्रश्न था कि सामान्य विवाद पर ५ दिन तक विवाद हो, उसके विषय में समय निर्धारित करने के सरकार के अधिकार के विचार को वे शायद भूल जाते हैं कि जनतन्त्र की कुछ परम्परायें होती हैं और हाउस आफ कामन्स के अन्दर यह ट्रेडिशन है कि बजट का टाइम अपोजिशन का टाइम है और उसका एलाटमेंट कैसे हो, यह सब आपोजीशन की राय से होता है। उसके लिये कोई रूल की आवश्यकता नहीं है। यहां की परम्परा थी कि लीडर आफ दि अपोजीशन से बात होकर तब समय निर्धारित होता था, लेकिन मैं नहीं जानता कि सरकार ने उस परम्परा को क्यों तोड़ा। जहां तक ४ दिन बजट पर जेनरल डिबेट की बात है, मैं स्पष्ट कह दूं कि सदन को अधिकार है और बजट पर ५ दिन जेनरल डिबेट होना चाहिये। मैं समझता हूं कि उधर के बैठने वाले या इधर के बैठने वाले सदन के अधिकार को कम करने की दृष्टि से इस पर विचार न करें। इसलिये मैं समझता हूं कि पूरे ५ दिन डिबेट होना चाहिये।

श्री बनारसीदास—

मैंने तो यह मान ही लिया कि अभी ४ दिन और फिर २८ को—इस तरह से ५ दिन इस पर विवाद हो।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

श्रीमन्, माननीय बनारसी दास जी ने जो कहा वह बिलकुल गलत है। नियम १८९ (१) में दिया हुआ है "अनुदानों के लिये मांगों पर ऐसे दिनों में (जो चौबीस दिनों से अधिक न होंगे) मत लिये जायेंगे, जिनको इस अभिप्राय के लिये अध्यक्ष सदन नेता से परामर्श करके नियत करें"। जनरल डिस्कशन के लिये इसमें कहीं नहीं लिखा है कि उसका समय नेता सदन तय करेगा। दिन तो हम तय करेंगे। मुझे भी आपके पुराने सचेतक के साथ कई वर्षों तक काम करने का सौभाग्य मिल चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनको कहने दीजिये, आप तो बीच में ही बोलने लगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

मैं तो उनके बैठने पर ही खड़ा हुआ।

श्री बनारसीदास—

मैं तो आपको खड़ा देख कर बैठ गया। श्रीमन्, मुझे इस बात का खेद है कि माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी को कुछ गलतफहमी हो गयी है। जो आपका प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर तो मैं दे चुका हूं कि ५ दिन सामान्य विवाद होगा, यह हमें मंजूर है। दूसरी बात यह है कि वोटिंग आन ग्रांट्स के लिये मैं पहले ही कह चुका हूं कि नियम १८९ (२) में दिया हुआ है जैसा कि सब को मालूम है। दुबे जी से परसों ही मैंने निवेदन किया था कि या तो आज या कल हम ग्रूपिंग आर्डर के विषय में बात कर लेंगे कि आप किस किस अनुदान पर बहस करना चाहते हैं, किस पर नहीं। जहां तक दिन का सम्बन्ध है, नियम १८९ (१) में साफ लिखा हुआ है कि वह २४ दिनों से अधिक नहीं होंगे, लेकिन स्पीकर सदन के नेता से मिल कर तय करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि इसमें नेता विरोधी दल से परामर्श करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

बजट का समय अपोजीशन का होता है, यह सही बात है, अपोजीशन की राय से ही यह तय होना चाहिये, लेकिन जहां तक सामान्य विवाद की बात है उसमें ५ दिन करने के

[श्री उपाध्यक्ष]
लिये सरकार ने भी मान लिया। बाकी जो दूसरा सवाल है वह आपस में मिल कर तय करने की बात है जैसा कि बतलाया गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट पर बोलने के पहले माननीय त्रिपाठी जी को इस बात के लिये धन्यवाद दे देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का अपने भाषण में बड़े स्पष्ट शब्दों में संकेत किया है कि उन्होंने इस बजट को फ्रेम कैसा किया है। एक ओर हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम तथाकथित फजूलखर्ची होने देते हैं तो दूसरी ओर यह कहा जाता है कि हम प्रगति में बाधा डालते हैं। श्रीमन् यदि मैं यहां पर यह कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी कि ऐसे मौके पर हमें बाजीगर के रस्से पर चलने का आभास होता है। बाजीगर की रस्सी पर चलकर उन्होंने सुन्दरता के साथ बजट को फ्रेम किया है। मैं तो तर्क ही दे सकता हूं, लेकिन समझने की बुद्धि मैं नहीं दे सकता, यह मेरी मजबूरी है। हम यह देखते आ रहे हैं कि वर्षानुवर्ष से ६ साल का अनुभव हमारा है कि वित्त मंत्री जी एक घाटे का बजट लाते हैं और उसके बाद वर्ष के अन्त में आकर कह देते हैं कि हमने बड़े परिश्रम, पराक्रम और मेहनत के फलस्वरूप इस घाटे को पूरा कर लिया है और फिर वह थोड़ा सा अधिक हो जाता है। यह एक पद्धति हो गई है। इस वर्ष भी जो उन्होंने यह घाटे का बजट रखा है वह उसी पद्धति के अनुकूल रखा है वास्तव में इस में घाटा नहीं है। यह घाटा केवल इसलिये दिखाई देता है क्योंकि हर साल खर्च को ओवर एस्टीमेट किया जाता है। अगर हम देखें तो १९६१-६२ में भी ४.४९ करोड़ का घाटा था और अन्त में एक्चुअल में ५८ लाख का सरप्लस हो गया। इसी तरह से इस वर्ष भी १३·३५ का बजट में घाटा बतलाते हैं और कहते हैं कि १०·७ करोड़ हम इसको घटा लेंगे और मजबूरी वह यह दिखाते हैं कि अगर हम पूंजीपतियों पर जो बकाया है उसको वसूल कर लेते हैं तो हमारी पोजीशन अच्छी हो जायगी।

अब प्रश्न उठता है कि जिन शब्दों के साथ माननीय त्रिपाठी जी ने उन के लिये अपनी बेबसी दिखाई है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर पूंजीपति एमर्जेन्सी को समझकर हमारी बकाया ही दे देंगे तो हम को उन पर जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगी और वह बहुत अच्छा होगा। मैं नहीं समझ सकता कि सरकार इतनी शक्तिसम्पन्न है और एमर्जेन्सी के आधार पर वह सब कुछ कर सकते हैं फिर वह एक सेक्शन से बकाया वसूल करने में क्यों असमर्थ हैं क्योंकि वह केवल उन की सद्भावना पर ही अपील किये जारहे हैं? यह बकाया उन पर कोई एक दो दिन की नहीं है वह सतत चली आ रही है और एक ही वर्ग पर वह इतनी अधिक है जब कि उन को नियम के अन्दर सब अधिकार हैं, वह कोअर्सिव मैजर्स से वसूल कर सकते हैं। फिर वह क्यों नहीं वसूल करते? साधारण टक्सपेयर पर या किसान पर अगर एक किस्त २-४ आने की हर जाती है तो हर प्रकार के कोआर्सिव प्रासेस शुरू हो जाते हैं, उस के बैल छीने जाते हैं, तहसील में बन्द किया जाता है, कुर्की होती है। वह कौन सी ऐसी बड़ी होली काउज हैं कि जिन केलिये स्वयं माननीय वित्त मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि वह लोग राष्ट्रीय संकट में इतना योगदान नहीं करते जितना कि उनसे अपेक्षित है तो फिर उन के साथ यह मुलायमियत क्यों बरती जा रही है? इस का इन्डायरेक्ट परिणाम यह होता है कि जो बकाया आप उन पर छोड़ते हैं उसके फलस्वरूप घाटा बढ़ता जाता है और उसको पूरा करने के लिये आप साधारण जनता पर टैक्स लगाते जाते हैं और जब हम कहते हैं कि साधारण जनता पर इतने टैक्स नहीं लगने चाहिये वह अब उन को नहीं सहन कर सकती तो कहा जाता है कि तुम एमर्जेन्सी में अड़ंगा लगाते हो। तो आप इस तरह से इस बड़े वर्ग का क्यों पोषण कर रहे हैं? यह आप की इतनी उस पर कृपा और उसके साथ यह मुलायमित क्यों है? मैं तो जानता हूं कि या न भी जानता होऊं तो इस की जानकारी उधर अधिक है मैं तो इतना ही जानता हूं कि एलेक्शन में यह वर्ग उनके लिये दुधारू गाय है। मैं नाम नहीं लेता किन्तु उदाहरण देता हूं। एक शुगर मिल है उसके मिल मालिक ने ५५,००० रु० सरकार को चुनाव में दिया और उसके कुछ ही महीनों बाद

सितम्बर या अक्तूबर में एमरजेंसी आती है और राष्ट्र सुरक्षा में वही मिल १५,००० रुपये देती है। एक फैक्टरी पर बहुत ही बकाया है और उसके मिल मालिक किस प्रकार सरकार को ठगते हैं, किस प्रकार टैक्स से बचते हैं ? सरकार जानती है पर कोई कदम नहीं उठाती है। मैं उदाहरण देता हूं, बुलन्दशहर में एक पन्नी जी शुगर मिल है। दिल्ली में उसने अपना गोदाम बनाया और लाखों बोरी शक्कर कागज में दिखा दी दिल्ली गई। अब उस पर सेल्स टैक्स नहीं लग सकता। पर वास्तव में वह चीनी दिल्ली नहीं गयी, यहां रही और करीब ७, ८ लाख रुपये सेल्स टैक्स का बचा लिया। सरकार के अधिकारी जानते हैं किन्तु नहीं रोका जाता है, उसका कारण ५५,००० रुपये चुनाव में आता है। एक फैक्ट्री और है बनारस में, चुनाव होता है, उसके मालिक को फोन किया जाता है कि ५०,००० रुपये फौरन दो-मालिक कहता है मेरे यहां बारात आने वाली है शादी है। इधर से कहा जाता है यह दूसरी बारात तुम्हारे यहां आयी है और ५०,००० रुपया आ जाते है। और जब नेशनल डिफेंस फंड का चन्दा होता है तो २,००० रुपये ही आते हैं। तो मुझे यही समझ में आता है कि जो इनके परम पुत्र हैं उनसे चूंकि चुनाव में इतना रुपया ले रखा है इसलिये यह सख्ती करने में असमर्थ हैं।

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)--

शुगर पर सेल्स टैक्स नहीं है, ऐक्साइज़ ड्यूटी है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

अब तो यह बनारसीदास जी बतायेंगे। आपके ही महामान्य स्वनामधन्य उस ओनर को यहां लाये थे मुकदमा रुकवाने के लिये। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि आज समय की मांग है, देश और न्याय की मांग है कि करोड़ों रुपया जो मिल मालिकों पर बाकी है उसको सख्ती से वसूल किया जाय। संकटकालीन स्थिति के अधिकारों के साथ उनसे वसूल किया जाय और उसके लिये सरकार कोई समय निश्चित कर दें कि इतने महीनों में आपको बकाया देना है। मैं यह नहीं मानने के लिये तैयार हूं कि टैक्स का रुपया उन पर बकाया रहे जो दे सकते हैं।

अभी विवियन बोस कमेटी की रिपोर्ट निकली है। आपने देखा होगा किस प्रकार उस रुपये से पूंजीपति निजी लाभ उठाते हैं। तो जो टैक्स दे सकते हैं उनका बकाया रख कर सर्वसाधारण पर टैक्स लगाया जाय घाटा पूरा करने के लिये, यह अनुचित है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि वित्त मंत्री जी इसको वसूल करके सदन को बतायें कि हमने विदिन मन्थ्स रुपया वसूल कर लिया और अब किसी पर बहुत सा रुपया बकाया नहीं रहा।

अगले साल यह जो इन्होंने ४·९७ करोड़ का घाटा बताया है यह तब होता है जब केन्द्रीय सरकार का जो सबवेंशन है प्लानिंग के लिये वह छोड़ दिया जाय। वास्तव में देखा जाय इनका सरप्लस है। रेवेन्यू सरप्लस १२·८२ करोड़ है। आखिर प्लान का खर्चा क्या है, यह मैं समझ नहीं पाता हूं। यह इसी सरकार की पोथी है (एक पुस्तिका को हाथ में लेकर दिखाया।) जिस प्लान के लिये यह घाटा बताते हैं उसमें केवल एक ही बात शुरू से आखिर तक है कि ये अपने टारगेट्स एचीव नहीं कर पाये। बड़ी इमरजेंसी की बात है। मैं समझता हूं कि इमरजेंसी सही है और जब तक हमारे लिये चीन से आक्रमण का खतरा रहेगा तब तक इमरजेंसी रहनी चाहिये। लेकिन इस इमरजेंसी का सफलता के साथ मुकाबला करने के लिये हमारी कृषि मजबूत होनी चाहिये। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं अपने भाषण में जो दो टारगेट्स रखे हैं एक सेल्फ-जनरेटिंग एकोनामी बनाने का और दूसरा देश को सुरक्षा की दृष्टि से तैयार करने का, तो इतने में ही आप देखें कि रूई अपने देश की सुरक्षा के लिये बड़ी आवश्यक चीज़ है। हमारे जवानों को वस्त्र चाहिये और तमाम उसका उपयोग होता है। आप इसी एक टारगेट को ले लें। इस पुस्तिका में यह स्पष्ट है कि वह टारगेट ये एचीव नहीं कर पाये। खाद्यान्न का टारगेट ले लें। खाद्यान्न में हमें अपने आपको सेल्फ़ सफिशेंट बनाना है। इसके टारगेट में भी ये फेल कर गये। तो, श्रीमन्, जो जो टारगेट्स हैं इस प्लान के जिसको बड़ी इमारजेंसी के साथ डेवलप किया जाता है उसमें इनका रेकार्ड स्पष्ट फैल्योर है। फैल्योर

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

का कारण देते हैं कि बाढ़ आ गयी, सूखा पड़ गया तथा अन्य प्राकृतिक कारण हैं। तो जब आप योजना बनाते हैं तो क्या इन कारणों को ध्यान में नहीं रखते हैं ?-क्या ये कारण अचानक आ गये ? क्या यह बार-बार इस प्रदेश में नहीं हुआ ? आज देश की खेती मौसम का एक जुआ है। इस जुए को रोकने के लिये किसान को उसकी पैदावार का आवश्यक मूल्य दिलाने के लिये आपने क्या कदम उठाये ? कृषि को सेल्फ-सफिशेन्ट बनाने के लिये मंत्री जी ने अपने भाषण में कृषि उत्पादन के विषय में बहुत लम्बी चौड़ी बात कही और अन्त में यह कह दिया कि उनको सस्ता बीज और सिंचाई के साधनों का उपयोग करने के लिये हम ज्यादा पैसा देने का विचार कर रहे हैं।

प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारे प्रदेश की खेती लाभप्रद होगी केवल ज्यादा पानी दे देने से और सस्ता बीज दे देने से ? यह मैं मानता हूं कि खेती का एक अंग सिंचाई है। यह भी मैं मानता हूं कि खेती के लिये बीज भी अच्छा चाहिये, परन्तु जो इस प्राब्लेम का क्रक्स है वह यह है कि क्या आज किसानों की खेती एकोनामिक है। नहीं है, यह स्पष्ट बात है। उसको अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलता। आज किसान को केवल उसकी बेबसी का मूल्य मिलता है। इसकी रोकथाम के लिये आपने क्या किया ? अगर इस प्रदेश की खेती को बढ़ाना है तो उसके लिये कुछ आवश्यक कदम हैं जिन्हें आप को उठाना पड़ेगा और अगर आप नहीं उठाते हैं तो आपका खेती का उत्पादन बढ़ नहीं सकता। अगर आज किसान दस मन के बजाय बीस मन पैदा करता है, लेकिन उसकी रिटेंटिव पावर, आर्थिक शक्ति अगर कमजोर है तो कोई लाभ होने का नहीं है। चैत्र में जब उसकी फसल कटती है तो उसके ऊपर सब देना आ जाता है। पैसा उसके पास नहीं है। वह मजबूर होता है दस रुपये की चीज आठ रुपये में देने पर और ज्यों-ज्यों उसकी मजबूरी बढ़ती है त्यों त्यों उसका दाम घटता है। तो आज वास्तविकता यह है कि उसको उत्पादन के आधार पर मूल्य नहीं मिलता है, बल्कि उसकी बेबसी का मूल्य मिलता है। तो पहली आवश्यकता तो यह है कि प्राइस फिक्सेशन पालिसी होनी चाहिये। क्या हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने सम्पूर्ण बजट भाष्य में इस नीति का कहीं वर्णन किया है ? यह कहेंगे कि जब दाम घटने लगते हैं तो सरकार १५/१६ रुपये मन के हिसाब से खरीदती है। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या इससे सारे किसानों की स्थिति ठीक होगी ? कभी नहीं होगी। उनकी स्थिति ठीक होगी जिनके पास १,०००—५०० बीघा के बड़े-बड़े फार्म्स हैं और जो अपनी प्रोड्यूस को रोक सकते हैं, लेकिन जिनके पास कम जमीन है, १०—१५ बिस्वे जमीन है, जिनके पास छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं वे अपनी प्रोड्यूस को रोक नहीं सकते हैं। उनको झख मारकर अपनी प्रोड्यूस बेचनी पड़ती है और उन्हें अपनी प्रोड्यूस पर कम पैसा मिलता है। इसलिये इकोनोमिक प्राइस का फिक्सेशन होना चाहिये। केवल यह कहने से काम नहीं चल सकता है कि आर्थिक मूल्य हमने तय कर दिया, उस पर बिकेगी। आप लाख कानून बना लीजिये, किसान को समय पर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिये वह समय पर अपनी प्रोड्यूस नहीं बेच सकता है। इसलिये आवश्यकता थी कि सारे प्रान्त में रूरल क्रेडिट फाइनेन्स स्कीम लागू होनी चाहिये थी।

आज किसान को पैसे की जरूरत होती है तो वह अपनी जमीन को गिरवी रखता है और अपनी फसल को बेंचता है। अगर कोई फैक्टरी का मालिक है, उसको पैसे की जरूरत होती है तो वह अपना सामान बैंक में गिरवी रख कर पैसा ले लेता है। इसी प्रकार की व्यवस्था कृषि में होनी चाहिये। अगर किसानों को पैसे की आवश्यकता है तो जो आर्थिक मूल्य तय किया है उस मूल्य पर बैंक में अपनी फसल गिरवी रख कर पैसा ले ले। बैंक को जल्दी नहीं है। इसलिये वह फसल को मारगेज करके रखे और जब पैसा ठीक मिले उस समय वह उसको बेंचे और जो पैसा उसने किसान को एडवांस किया है वह वापस ले ले और बाकी का पैसा किसान को दे दे। यह रूरल क्रेडिट फाइनेंस स्कीम है। क्या सरकार ने इस पर कभी विचार किया है ? यह तो वाह्य उपचार करती है।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ क्राप इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिये। आज फैक्टरी का इंश्योरेंस होता है, मशीनों का होता है, गुड्स का होता है, लेकिन कृषि के साधनों का और फसल का इंश्योरेंस नहीं होता है। आज पाला पड़ गया, फसल नष्ट हो गई, पत्थर पड़ गये फसल नष्ट हो गई, इस तरह की बहुत सी परेशानी उसके सामने आती हैं। आप कहते हैं कि तकावी देते हैं। लेकिन जितना उसका नुकसान होता है उसकी क्या आप तकावी से पूर्ति करते हैं? एक तो यों ही उसकी आर्थिक हालत खराब है, प्राकृतिक उत्पातों से उसकी फसल नष्ट हो गई है, आप तकावी देकर उसको उल्टे कर्जदार बनाते हैं। क्रोप इंश्योरेंस से वह कर्जदार नहीं बनेगा। जो उसकी क्षति हुई है वह इंश्योरेंस द्वारा पूरी की जा सकती है।

जब, श्रीमन्, ये तीनों कदम उठेंगे और सिंचाई के साधन सस्ते दाम पर उपलब्ध करेंगे तो कृषि का उत्पादन अवश्य बढ़ेगा। आप के सिंचाई विभाग की रिपोर्ट है कि सिंचाई के साधन अन्डर यूटिलाइज्ड हैं और सिंचाई विभाग को घाटा है। आपने कभी इस बात पर विचार किया? आपका पानी इतना महंगा है कि किसान थोड़ी पूंजी और थोड़ी जमीन के कारण एक दो पानी से ज्यादा नहीं ले सकता है। आपके सिंचाई के साधन महंगे हैं। आप अपने इर्रीगेशन रेट्स को चीप करें और उसको इकोनोमिक प्राइस से मिलावें और सस्ता बीज दें तो कोई कारण नहीं है कि आप के देश की कृषि की हालत अच्छी न हो। मैं फिर दुहराता हूं कि यह जो ३–४ चीजें हैं, फिक्सेशन आफ इकोनोमिक प्राइस, क्रौप इंश्योरेंस, रूरल क्रेडिट फाइनेंस स्कीम, इनको जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कृषि की हालत अच्छी नहीं हो सकती है। उस समय तक सुरक्षा की दृष्टि से आपका प्रान्त कमजोर रहेगा। आप वाह्य उपचार करना छोड़ दें।

श्रीमन्, मुझे कांग्रेस के ही श्री टी०टी० कृष्णमाचारी के भाषण का एक वाक्य याद आता है जो उन्होंने पावर और इर्रीगेशन कमीशन के सामने दिल्ली में दिया था कि आज हमारे मस्तिष्क की हालत यह है कि हम घोषणाओं को ही सफलता मान लेते हैं और अपने स्वप्नों को सत्य मान लेते हैं। यह उनका भाषण है। तो केवल, श्रीमन्, हमारी घोषणा सत्य हो जायगी, यह बात नहीं है। एकांगी घोषणायें भी सत्य नहीं हो सकतीं और कृषि तो, श्रीमन्, ऐसा विषय है कि जो सर्वांगीण है। जब तक आप उसकी सर्वांगीण उन्नति का प्रयास नहीं करेंगे, यह आपकी कृषि कभी उन्नत नहीं होगी। इसलिए यह जो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कृषि के साथ टिंकरिंग की है, उसकी प्राब्लम को हैंडिल नहीं किया है, उसका मुझे खेद है। जन संघ की स्पष्ट मांग है कि क्राप और कैटिल का इंश्योरेंस, फिक्सेशन आफ एकोनामिक प्राइस और रूरल क्रैडिट फाइनेंस यह आप करें, तभी आपकी कृषि निश्चित रूप से उन्नत होगी, इससे पहले हो नहीं सकती।

श्रीमन्, मैं यह देख रहा था बड़े ध्यान से कि समाजवादी सरकार है और समाजवादी सरकार के हाई प्रीस्ट्स भी उधर विराजमान हैं, तो कुछ पब्लिक एंटरप्राइज की बात करेंगे और कुछ अपने इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स की बात करेंगे। लेकिन अगर पिछले छः साल से देखा जाय तो जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज के अचीवमेंट्स हैं उसी को यह अपना कह रहे हैं। आप देखें, इसमें अल्यूमिनियम फैक्ट्री की बात कही गई। लेकिन यह कोई आपका अचीवमेंट नहीं है। आपके जो इंटर प्राइसेज हैं वह तो हैं सिन्थेटिक रबर फैक्ट्री, हैवी एलेक्ट्रिकल्स और ऐंटी बायोटिक्स। श्रीमन्, हम सब योजनायें बना लें, लकिन जब तक इस योजना को कार्यान्वित करके सफलता से उसको चला कर समाज के सामने न रख दें तब तक वह हमारा अचीवमेंट नहीं है। Mere declaration is not achievement. माना कि आप फैक्ट्री लगाने वाले हैं। लेकिन वह लग जाय, चल जाय और उसका लाभ लोगों को मिलने लगे, तब आप अचीवमेंट क्लेम करें तो ठीक है। सिन्थेटिक रबर फैक्ट्री के बारे में पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि बरेली में लग रही है। लेकिन वह अभी तक केवल स्वप्न मात्र है। आज किन चीजों में अचीवमेंट्स की आवश्यकता थी? माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं कई बार कह चुके कि हमारे पास राइफल्स नहीं है, गन्स नहीं हैं। आज उन गन्स के निर्माण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में आपने क्या कदम उठाये? मैंने, श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था। ऐसी बात नहीं है कि अपने प्रदेश में गन्स बनाने के लिए लोग हैं नहीं।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

मिर्जापुर के दुद्धी एरिया में मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहां की बन्दूकें किसी भी विलायती बन्दूक से किसी हालत में कम नहीं हैं। लेकिन उनके पास साधन नहीं हैं। रिहैंड में आपके पास पावर है। मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था कि आप भारत सरकार से कहें कि यहां लोग जो बन्दूकें बनाते हैं उनको आप साधन दें, पावर दें, लोन्स दें, मशीन्स दें, मशीन्स आन चीप इन्स्टालमेंट्स दें, आप की एक इंडस्ट्री खड़ी होगी। तो इस तरह सुरक्षा के उपयोग की जो चीजें हैं उनके ऊपर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। इमर्जेन्सी के माने तो, श्रीमन्, यह थे कि जब देश पर आपदा आयी है तो उसकी तैयारी के लिए हमारे सारे साधन उस ओर लगने चाहिए थे परन्तु लगे नहीं। अभी उस दिन जब वित्त मंत्री जी बोल रहे थे सप्लीमेंट्री बजट पर तो उसमें ६०० टाइपराइटर्स की बात थी। मैं समझता हूं कि टाइपराइटरों का दफ्तर में एक स्थान है। लेकिन जब उधर से किसी ने पूछा कि क्या सुरक्षा के लिए टाइपराइटरों की भी आवश्यकता है तो अब डिबेट के लिये ठीक है वित्त मंत्री ने कह दिया कि हां, बहुत आवश्यकता है। लेकिन एक ओर तो गन्स को रख दिया जाय और दूसरी ओर टाइपराइटर्स को रखा जाय, तो सुरक्षा के लिए कौन ज्यादा आवश्यक है? किसको प्रायरिटी मिलनी चाहिए?

(व्यवधान)

मैं समझ सकता हूं कि टाइपराइटर से प्रोपेगेंडा बहुत होता है, लेकिन सुरक्षा के लिये गन की अधिक आवश्यकता है। जहां तक प्रायोरिटी का प्रश्न है, वह गन के लिये सबसे पहले आवश्यक है, किन्तु प्रायोरिटी गन को पहले क्यों नहीं दी जाती? टाइपराइटर को लेकर आप सुरक्षा करने के लिये नहीं जायेंगे। टाइपराइटर से आप गोली नहीं चला सकते हैं। सुरक्षा के लिये गन की प्रायोरिटी होनी चाहिये, किन्तु गन की फैक्टरी खड़ी करने के लिये कोई प्रयास हमारी सरकार की ओर से नहीं किया गया। इसके साथ ही हमारे यहां अम्युनिशन की कमी है। आपने बजट में पुलिस फोर्स को बढ़ाया है। यह बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके लिये हम सरकार को बधाई देते हैं परन्तु इसमें लाखों रुपया आर्म्स एन्ड एम्युनिशन के खरीदने के लिये रखा गया है। अगर आज भी इसके लिये इंडस्ट्री खड़ा करने की चेष्टा की जाय तो वह आज नहीं तो कल उतना रुपया बचाया जा सकता है। उस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। मैं सरकार से स्पष्ट मांग करूंगा कि देश की सुरक्षा को देखते हुये आवश्यक है कि आज हमारे देश के अन्दर आर्म्स की इंडस्ट्री खड़ी की जाय। मैं जानता हूं कि प्रदेश के अन्दर एक सज्जन को आर्म्स मैन्युफैक्चर करने का लाइसेन्स मिल चुका था, परन्तु कुछ खास कारणों से उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। राज्य सरकार यदि अपने आप उस इंडस्ट्री को खड़ा नहीं कर सकती है तो जो कर सकता हो उससे इस कार्य को करायें, लेकिन आर्म्स की इंडस्ट्री खड़ी होनी चाहिये इस प्रदेश के अन्दर।

संचार साधनों की बात कही गई। मैं आज इस बजट की टिप्पणी करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने संचार साधनों की कमी बतलाई कि उस कमी को पूरा करने के लिये काम हो रहा है। संचार के साधनों की बात बहुत बड़ी है और संचार के साधन बढ़ाने चाहिये। यह सही बात है, किन्तु मेन रोड और लिंक रोड बननी चाहिये और खासतौर से बार्डर एरियाज में जरूरी हैं। इन दोनों बातों को देखने की आवश्यकता है। हमको कुछ अनुभव इस प्रदेश के बाहर भी हुआ है। उसको ध्यान में रखना चाहिये। मांग होती है कि १६ फुट रोड बने और १२ फुट रोड बने, लेकिन जब हैवी वेहिकिल्स जाते हैं तो वह सड़क ८ फुट ही रह जाती है। आपको यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि पी० डब्लू० डी० इस तरह से क्यों कर रहा है। इस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये जिससे पी० डब्लू० डी० ऐसा घपला न कर सके। पी० डब्लू० डी० के कार्य को चेक होना चाहिये। पी० डब्लू० डी० को जिस सतर्कता और शीघ्रता से कार्य करना चाहिये वह आज नहीं कर रहा है। मैं अपना अनुभव सदन के सामने रखना चाहता हूं। गोरखपुर में एक सड़क निचलौल बाजार से टूटीमांड़ी जाती है। जब मैं वहां गया तो वहां पर मिट्टी पड़ रही थी। मैंने देखा कि वहां पर बोर्ड लगा था कि सड़क 'अन्डर कंस्ट्रक्शन'। जब मैं गया तो वह

सड़क बन रही थी। एक नाली पर पुल भी बन रहा था। वहां पर एक ओवरसियर था। वह ह्यूम पाइप लगा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यह पाइप कितने दिनों में लग जायगा, उसने जबाब दिया कि २ घंटे में लग जायगा। जब मैं शाम को वापस लौटा तो वह नाली जैसे की तैसे थी और उसी तरह से वहां पर लोग झाड़पोंछ कर रहे थे। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। मैं उनको सदन को बतलाकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। उनको हमारे मंत्रि मंडल के कुछ सदस्य स्वयं जानते हैं। कांग्रेस के प्रान्तीय कमेटी के अध्यक्ष ने भी वह शिकायत की है और उस तरफ ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया है। मैं उन कमियों की तरफ ही सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जिनकी तरफ जैन साहब ने संकेत किया था।

श्रीमन्, इस विभाग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस प्रकार से क्यों हो रहा है। हमने और आपसे यह बात छिपी नहीं है कि हर एक कंट्रैक्टर जब पहले पहल अपना बिल पेश करता है तो उसको १०, १५ परसेन्ट सी० सी० चार्जेज देना पड़ता है। मैंने एक ठेकेदार से पूछा कि सी० सी० चार्जेज क्या बला है, तो उन्होंने कहा कि यह करप्शन चार्जेज हैं। इसको रोकिये और उसके लिये मैं एक सुझाव देता हूं कि सरकार एक इंडिपेंडेंट एवेलुयेशन पी० डब्ल्यू० डी० कमेटी बनावे जो एक आटोनामस बाडी हो और पी० डब्ल्यू० डी० ने जितने कार्य किये हैं और कर रही है उसकी क्वालिटी, क्वान्टिटी और स्पीड आफ वर्क को इवैलुयेट करके रिपोर्ट दें। वह रिपोर्ट जब आयेगी तो सरकार को अपनी कमजोरी मालूम हो जायेगी क्योंकि अगर प्रदेश के संचार साधन अच्छे नहीं होंगे तो सारा खेल गड़बड़ हो जायगा। श्रीमन्, मैं बजट में देख रहा था कि सड़कें कहां कहां स्वीकार की गयी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा केवल इशारा किये देता हूं कि जो लिंक रोड्स बनती हैं उनका दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि स्ट्रेटेजिकल और टैक्टीशियल होना चाहिये हमारी सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन मैं एक या दो नमूने देता हूं कि किस तरह से रोड्स बनी हैं। एक सड़क है कीरतपुर-बासी-भोजपुर सड़क ६ मील, दूसरी सड़क है रेहरा–केहरीपुर सड़क, यह भी बिजनौर जिले में है २ मील। यह सड़कें किसकी सुरक्षा के लिये आवश्यक हैं? क्या यह स्ट्रेटेजिकल या टैक्टीशियल दृष्टि से महत्व रखती है और रखती हैं तो क्या? या यह कि, मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिये कि उसके मकान के सामने मोटर जाय तो उसमें धक्का न लगे, उसके लिये है? श्रीमन्, मैं तीसरा उदाहरण भी दूं। यह भी बिजनौर जिले का है। जहां मिट्टी डालने का काम होगा यह सड़क १२ मील २ फर्लांग है चांदपुर–बस्ता सड़क, यह किस सुरक्षा के लिये है? कौन सी स्ट्रेटेजी है? जिस प्रकार की टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी मेनन साहब की थी शायद वही इन लिंक रोड्स पर हो रहा है। इन पर १४, १५ लाख रुपये खर्च हो रहा है। इसको छोड़ दिया जाय, लेकिन यह जो व्यक्तिगत लाभ के लिये व्यक्तिगत प्रेशर पर किया जाता है वह अनुचित है। मैं आशा करूंगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे और अगर यह मंजूर हो गया तो इमरजेंसी काल में इसको कैंसेल किया जाय और इसके स्थान पर जहां आवश्यक हों वहीं पर सड़कें दी जावें।

इमरजेंसी का जहां तक संबंध है, वह तो सत्य है, लेकिन उसका इस बजट में कुछ रिफ्लेक्शन है भी या नहीं, यह मैंने देखा। लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। सिर्फ ५ प्रतिशत रिफ्लक्शन है और उस खर्चे में पुलिस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको स्वीकार करके बढ़ाया गया है तो अनुचित नहीं होगा। इमरजेंसी काल में किस बात की आवश्यकता है? इस काल में जनता का पूर्ण सहयोग हमको चाहिये और उसको हम कैसे लें? पहली आवश्यकता है कि किसी प्रकार का डिसकंटेंटमेन्ट जनता के अन्दर नहीं आना चाहिये और अगर आता है तो उसको हमको किस प्रकार दूर करना चाहिये। अब डिसकंटेंटमेन्ट के जो सोर्सेज है उनकी ओर अधिक नहीं कहूंगा, केवल इशारा मात्र करता चलूंगा।

श्रीमन्, डिस्कंटेंटमेन्ट का पहला उदाहरण है कि हम जनता से कहते हैं कि त्याग करो। ठीक है, जनता त्याग करने के लिये तैयार है। मैं वित्त मंत्री जी की उस बात से बिलकुल सहमत

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

हूं कि देश पर जब आक्रमण हुआ तो सारे नेता, सारी पार्टियां पीछे रह गयीं, जनता ने राष्ट्रीयता का जो परिचय दिया वह अनुपम था, अनुकरणीय था, सराहनीय था और वह उसमें सबसे आगे है। लेकिन जब हम उससे त्याग की बातें करते हैं तो हमें भी कुछ त्याग का उदाहरण रखना चाहिए। बहुत बार कहा गया है मंत्रिमंडल के बारे में, मैं उसकी मेरिट्स पर नहीं जाऊंगा, लेकिन यह सत्य है और नग्न सत्य है कि आज जनता की अपेक्षा है कि आप मंत्रिमंडल घटायें और आपने वह अभी तक नहीं किया। मैं गोविन्द सहाय जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने इलाहाबाद के भाषण में कह दिया कि अगर हमने मंत्रिमंडल घटाया तो हमारी सरकार टूट जायगी। आपकी गुटबाजी के कारण....

श्री गोविन्दसहाय—

सिर्फ मैं इतनी सफाई देना चाहता हूं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। वैसे आपको अख्तियार है जो समझें कहें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

गोविन्द सहाय जी कहते हैं तो मान लेता हूं, लेकिन अखबार ने यही छापा है। अगर आपको सुधारना है तो वहां कंट्रेडिक्टरी स्टेटमेन्ट भेज दीजिएगा। यह नग्न सत्य है कि सत्ताधारी दल में गुटबाजी है और उसके कारण ही आप लोगों को संतुष्ट करने के लिये, लोगों का मुंह बन्द करने के लिये, इतना बड़ा मंत्रिमंडल बनाये बैठे हैं। अपनी गुटबाजी आप प्रदेश पर क्यों लाद रहे हैं? उधर के सभी लोग देश के लिये त्याग कर सकते हैं यह मानता हूं, लेकिन उसका कमांड, उसका इंगित कहिये या इशारा कहिये, आपकी ओर से आना चाहिये। आज जनता को यह अपेक्षा है कि हमको अच्छा लगे या बुरा, यह प्रश्न नहीं है और अगर आप वह नहीं करते तो वह कहेगी कि आप तो खुद करते नहीं, हमसे क्यों कहते हैं। आप कुछ करके रखिये। आज कम्पैरिजन करने की प्रवृत्ति है देश में—सही या गलत और उसके कारण समाज में एक असंतोष है जिसका आप आसानी से शमन कर सकते हैं। आप उसको करें।

श्रीमन्, दूसरा असंतोष कहां होता है, यह मैं बतलाऊं। यह सत्य है कि टैक्सेज लगते हैं, आप लगायें, ठीक, लेकिन आप स्वयं भी तो खर्च कम कर के दिखायें। जो थोड़ी बहुत इकोनामी हुई है उसके लिये धन्यवाद किन्तु क्या वह इकोनामी आज पर्याप्त है? जितनी समाज आपसे इकानामी की अपेक्षा करता है और आप भी चाहते हैं कि पाई पाई हम बचायें और उसका सदुपयोग हो, उस चाहने की पूर्ति हो रही है क्या? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि नहीं हो रही है। आप देहात में चले जायं, साधारण गांव का आदमी भी देखता है कि बी० डी० ओ० और जाने क्या क्या, ए से लेकर जेड तक की एक भारी पलटन वहां है। वह क्या कर रही है? यह केवल पतलून पहन कर, मेड़ पर खड़े होकर बतलाते हैं कि धान ऐसे बोओ, वैसे बोओ। तो कृषि का काम हमारी पतलून की क्रीज न खराब हो इस भावना से और भाषण देकर ही नहीं होगा। देहात का मामूली आदमी, अशिक्षित भले ही हो, लेकिन जागरूक है। वह जानता है, समझता है और देखता है। आज हम अपने प्रशासन के काम को अपने सेक्रेटेरियट के चश्में से बैठ कर न देखें। सेक्रेटेरियट के चश्मे से देखेंगे तो "पुत्रों न पुत्री" दोनों ही चलेंगी। आप जरा उस कामन मैन की बात सुनें जो जनतंत्र का आदमी है। उसका चश्मा लगा कर आप देखें। उसको आपसे इकोनामी के लिये कहां कहां अपेक्षा है, उसको आप पूरी करें। ब्यूरोक्रेसी में तो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है। एक सेक्रेटरी बढ़ेगा, एक मिनिस्टर बढ़ेगा और उसके पीछे एक शृंखला बढ़ती है क्लास तीन और चार इम्प्लाइज की। और जब वह बढ़ गया तो ऐसा सारी दुनियां में कोई व्यक्ति नहीं है कि जो सेल्फ डिनाइंग आर्डिनेन्स पास करे। मैं तो यह कहता हूं कि अपने ही को खत्म करने के लिये कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है। हर एक चीज आवश्यकता अनुकूल चली आई। अब वह आवश्यकता वास्तव में वाजिब हो या न हो, इसका प्रश्न नहीं है। परन्तु कागज पर आवश्यकता होगी।

अब मैं एक उदाहरण दूंगा कि सबके पास जीपें हैं। इन्सपैक्टर्स के पास जीपें हैं। मेरे खयाल में आपके सभी जिले ऐसे हैं जहां कि टांस्पोर्ट का इतना प्रबन्ध है कि रोडवेज की बसें वहां पर गई हुई हैं और आसानी से पहुंच सकती हैं। यह तो जरूर हो सकता है कि सुबह गए और शाम को घर न लौट सकें। परन्तु हम रोडवेज की बसों का प्रयोग न करें और जीपों पर खर्च हो, तो यह उचित नहीं होगा। आप के सभी एस० डी० ओज० ऐसे हैं जो कि सुबह अपनी तहसील में गए और शाम को जीप के द्वारा वापस आ गए। अब साधारण आदमी जो यह जीपों का उपयोग देखता है तो उसके मन पर उसकी क्या प्रक्रिया होती होगी ? इसका आपको अनुमान करना चाहिए। उस बात का विचार रखते हुए आपको मितव्ययिता करनी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि यह और कहां-कहां और कैसे हो सकती है। इस पर आपको और विचार करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सदन की इतनी कमेटीज हैं, एस्टीमेट कमेटी है, पी० ए० सी० है, जो कि समय-समय पर अपनी रिपोर्ट देती रहती है। मैं आपकी आज्ञा से एस्टीमेट्स कमेटी के १–२ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन था सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में। उसमें यह सजेस्ट किया गया कि विषय अभी सरकार के विचाराधीन है। तो यह बिचार कब तक होता रहेगा ? आप एक योजना स्वीकार करते हो, काम करने का मन्सूबा किया जाता है और जहां कहीं भी प्रेशर पड़ने लगा कि आप बदल जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि इकोनामी करने से होगी। केवल उसकी भावनाओं को लेकर, उसकी सद्भावना को रखकर इकोनामी नहीं हो सकती है। द्वितीय प्रतिवेदन सिंचाई विभाग का था, एक और गन्ना विकास का था, और फिर दूसरा पशुपालन विभाग का था। एक प्रतिवेदन राजकीय सीमेन्ट, फैक्टरी चुर्क पर था जिसको कि सब स्वीकार करते हैं कि राज्य को उससे जितना लाभ होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। उसका कारण ओवर कैपिटलाइज्ड ही नहीं, वह ओवर स्टाफ्ड भी है। आप उद्योग चलाने चले हैं, तो उद्योग चलाने के कुछ नियम भी होते हैं। उन नियमों और सिद्धान्तों का भी तो पालन होना चाहिये। १८ प्रतिवेदन नैनीताल में आवास गृहों के संबंध में हैं। इसी प्रकार अनेक प्रतिवेदन हैं। वह सब आपके सामने आये हैं जो कि बहुत उचित हैं। परन्तु यदि कोई वेस्टेड इन्टरेस्ट आ गया तो नाना प्रकार के तर्क-वितर्क जहां प्रारम्भ हुए वहां वह विचार बदल जाते हैं। आप देखें कि आप की कमेटियों का उपयोग करना है। यह नहीं कि यह कमेटियों का काम इतना ही है कि वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और वह प्रतिवेदन रद्दी की टोकरी में जाय, वह सचिवालय के पीजन होल में जाय। वह एक इनफिनिटम होगा।

यदि यही परम्परा है, तो इन कमेटियों को रखने से क्या लाभ है ? उसमें जो पैसा खर्च होता है, उसका क्या उपयोग है ? तो मैं समझता हूं कि इस इमरजेन्सी के युग में आपकी जो भी इच्छा है, मैं यह मानता हूं कि आप की वह इच्छायें सही हैं कि पैसे पैसे का सदुपयोग हो। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इन कमेटियों के प्रतिवेदनों को अपने सन्मुख रख कर उन के ऊपर आप पुनः गम्भीरता से विचार करें। विचार करते समय वहां पर ब्यूरोक्रेसी को उपस्थित न रखें। मैं आपसे केवल इतना कह सकता हूं कि ब्यूरोक्रेसी कैन आरग्यू ब्लैक इनटू व्हाइट ऐन्ड व्हाइट इन्टू ब्लैक, कि जिस तरह का तर्क चाहो निकाल सको। उस तर्क से जो सैल्फ डिफीटिंग आर्गूमेन्ट होते हैं उससे सरकार नहीं चल पाती। इसलिए पालिटिकल लीडरशिप का डिसीजन होना चाहिए। इसलिये सरकार स्वयं विचार करे और जो प्रतिवेदन बड़ी गम्भीरता से उन समितियों ने दिये हैं उनके आधार पर इकोनामी करे। मैं मोटे तौर से कह सकता हूं कि मेरे पास कुल आंकड़े नहीं है, लेकिन इतने बड़े बजट में १० परसेंट कम से कम मितव्ययिता कर लेना कोई मुश्किल नहीं है। मितव्ययिता करनी चाहिए और मैं आग्रह करूंगा कि एक गोल और टार्गेट फिक्स कर ले सरकार १० परसेंट का, और उसके लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिए।

जो डिसकंटेंमेंट है उसको रोकने के लिये आवश्यकता है ईक्वलिटी आफ सैक्रिफाइस की। उदाहरण के लिये कहता हूं कि मैं एक किसान हूं। अपने यहां गांव सभा में मैंने एन० डी० एफ०

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

में दिया। मैं बाजार जाता हूं वहां एन० डी० एफ० लिया जाता है। मैं सीमेंट परमिट लेने जाता हूं वहां भी लिया जाता है। यह प्रचलन हो गया है। बन्दूक लाइसेंस लेने जाता हूं वहां भी लिया जाता है। यहां तक कि इजलास में जाता हूं तो पेशकार चन्दा लेते हैं तारीख लगाने का और सीमा तो यह हो गयी है कि चकबन्दी में फैसले के नाम पर लिया जाता है। एक आदमी से सौ बार लें, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब वही व्यक्ति देखता है कि एक प्रिविलेज्ड पयू है उसने कितने बार दिया? हमारे ब्योरोक्रैट्स ने एक दिन की तनख्वाह दे दी, उसके बाद? क्या फिर दिया? इस पर बिचार होना चाहिए और यह उचित मांग है हमारे साधारण नागरिक की कि ईक्वलिटी आफ सैक्रिफाइस हो और जिसके पास जो हो वह दे। धनिक के पास धन है, वह धन दे। साधारण किसान के पास जन है, वह जन दे, लेकिन एक ही व्यक्ति पर बार बार कुठाराघात करना और लट्ठ मारना और लिमिटेड पयू यह समझता है कि मध्यकालीन युग में यूरोप में डिस्पेंसेज पेपर हुआ करते थे कि सौ का बांड दो और कुर्सी तुम्हारी स्वर्ग में न० ५९ रिजर्व हो गयी। यह उचित नहीं है कि वह इस तरह से बचे रहें। होली डिस्पेंसेज के नाम पर लिमिटेड पयू कुर्सी रिजर्व करा रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए और राज्य के रक्षण में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। जब इस प्रकार के ओडियंस कम्पैरीजन जनता के सामने आते हैं तो उसके दिमाग में परेशानी पैदा हो जाती है और स्वभावतः डिस्कटमेंट का भाव खड़ा हो जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। मुझे दुख है कि माननीय वित्त मंत्री के भाषण से भिन्न भिन्न प्रकार के जो डिस्कंटमेंट समाज में खड़े होते हैं और लोगों में आते हैं और जो बड़ी असानी से सरकार द्वारा पूरे किये जा सकते हैं उनको भी पूरा करना चाहिए, उसका इशारा मात्र भी उसमें नहीं है।

मैं सिविल डिफेंस के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मेरा सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार की कांपिटेंस के बाहर है, लेकिन जो सरकार उत्तर प्रदेश में है वही दिल्ली में है। इंगलैण्ड में जिस समय आक्रमण हुआ तो उन्होंने दो तरह के टैक्सेज लगाये—एक एक्सेज प्राफिट टैक्स और दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्राफिट टैक्स। आप भी अपने यहां इन टैक्सों को लगाइये। आप भी भारत सरकार से इन टैक्सों के लगाने की मांग कीजिये। अगर हम एक मिनट के लिये माननीय वित्त मंत्री की बात को मान लें कि यह घाटे का बजट है, जो घाटे का चित्र रखा गया है वह सही है, तो उसका अर्थ होगा कि टैक्स लगेगा। आज जन साधारण पर टैक्स लगाने के बजाय जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्राफिट लोगों के पास है और जिसको वे अपने निजी फायदे के कामों में ला रहे हैं, उन पर आप टैक्स लगाइये। इंगलैण्ड में यह टैक्स ८०—९० फीसदी तक लगा था। देश की सुरक्षा के लिये जब सैक्रीफाइस की आवश्यकता है तो उसके लिये इक्वेलिटी आफ सैक्रीफाइस होनी चाहिये। आज क्यों नहीं आप यह करते कि जिनका वेतन हजार पये से ज्यादा है वे अपने सरप्लस वेतन को नेशनल डिफेन्स बान्डस में लगायें। इसको आप क्यों नहीं कम्पलसरी कर देते? हमारे कृष्णानन्द राय जी बहुत बड़े वकील हैं, वकालत से अच्छी आमदनी उनको है, वे भी यह करें। यह कार्य केवल भाषणों से ही नहीं होगा। वह युग चला गया जब कि केवल भाषणों और मारे बाजियों से ही काम हुआ करता था। आज तो कर्म-युग है, जो कहो उस पर करते चलो। उसे कृत्य में लाओ। आप इनकम का फिक्सेशन कर दें और सब प्रकार की इनकम को नेशनल डिफेन्स बान्ड्स में लगाये।

सुरक्षा के लिये आवश्यकता होती है कि हमारे देश में जासूसी न बढ़ने पाये जासूस देश के लिये सब से बड़ा घातक होता है। फ्रान्स का पिछले महायुद्ध का उदाहरण हमारे सामने है। पिछले महायुद्ध के समय फ्रान्स के प्रधान मंत्री का एक बहुत बड़ा मित्र था जो जरमनी का जासूस था। वह फ्रान्स की सारी गुप्त बातें, सब योजनाओं की सूचनायें, सुरक्षा आदि की सभी बातों की जानकारी प्रधान मंत्री से जानकर जरमनी को भेजता था। उसके फलस्वरूप योरोप की सबसे बड़ी सैन्यशक्ति का विनाश हो गया। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने यहां ऐण्टी चाइनीज एस्पियोनेज ऐक्ट लायें। आज उस ऐक्ट को लाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

उसमें आप जासूसी के लिये मृत्यु दण्ड रखें। यहां सुना जाता है कि जासूसी के अपराध में यह पकड़ा गया, वह पकड़ा गया, मगर उनको जो दण्ड मिलना चाहिये वह नहीं मिला। मैं उसके लिये डेथ पेनाल्टी की मांग करता हूं। उसकी शार्ट एण्ड समरी ट्रायल अण्डर दि लार्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। किसी भी इस्पाई को आज देश में एक क्षण भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है। इसका एक दूसरा पहलू भी होता है और वह यह कि उसके लिये देश के और प्रदेश के अन्दर जागरूकता चाहिये। आज इस प्रकार की ऐक्टीविटीज के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी अपने संभाषण में कुछ जरूर बतायेंगे, कुछ प्रकाश अवश्य ही डालेंगे, यह मैं सोच रहा था, लेकिन उस पर उन्होंने केवल इतना ही प्रकाश डाला कि हमने ट्रान्समिटर्स को पकड़ने के लिये यंत्रों का प्रबन्ध कर दिया है। लेकिन केवल ट्रान्समिटर्स को पकड़ने से काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उसके पीछे जो स्पाई रिंग है, देश और विदेश में मिला हुआ जो सर्किल बना हुआ है, आवागमन और संचार और सूचना की चैनल्स हैं, ध्वनि पहुंचाने की जो चैनल्स हैं, देश से विदेश और विदेश से देश में आने-जाने की जो चैनल्स हैं, उनकी पूर्ण जानकारी कराने वाला जो संगठन है और आजकल के जो सी० आई० डी० और टैक्नोलोजी तथा साइन्टिफिक तरीके हैं, उन सबकी हमें पूर्णतया जानकारी हासिल करनी होगी। उसके बारे में मैं केवल इतना ही इशारा करूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी, दोनों यहां बैठे हुए हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि इनका प्रतिवाद हाईली एडवान्स्ड साइन्टिफिक ढंग से जिस प्रकार भी हो सकता है वैसा करने की कृपा करें और उसके लिये जिस हाईली एडवान्स्ड टेक्नीकल लेबोरेटरी ट्रेनिंग जितने ज्यादा से ज्यादा पर्सोनेल को हम दे सकें दें और उसका मुकाबला करें।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने यह बत्ती बेकार क्यों जल रही है?

श्री यादवेन्द्र दत्त—

मुझे खेद है कि इस प्रकार की व्यक्तिगत बात हुई। मुझे इसका दुख है और मैं आशा करूंगा कि इस प्रकार की बातें भविष्य में न होंगी। माननीय मुख्य मंत्री जी की आंखें कमजोर हैं, यह सभी जानते हैं उसके लिये अगर उनके पास कोई सुविधा है तो यह अच्छी बात है और फिर इस इमरजेंसी में उनके पास काम भी बहुत है।

इसके बाद मैं नागरिक सुरक्षा के ऊपर आता हूं। हमारे यहां होम गार्ड्स की स्थापना हो रही है, यह अच्छी बात है। पी० आर० डी० भी बनी हुई है लेकिन इसके अलावा एक विलेज डिफेन्स फोर्स कायम किया जा रहा है। उसमें सुरक्षा के अतिरिक्त २ बातें और शामिल की गयीं हैं, श्रम और उत्पादन। इस प्रकार के मल्टी फंकशन्स जो रखे गये हैं, मेरा विचार है वह सिर्फ वेस्टेज आफ मनी और वेस्टेज आफ लेबर होगा। इसलिये मैं सरकार से यह स्पष्ट मांग करूंगा कि हमारे होम गार्डस् रहें, यह ठीक बात है लेकिन इस प्रकार की मल्टी फंकशन्स वाली संस्थायें न रखी जायं। इसमें काम तो कुछ ठीक होगा नहीं सिर्फ हार्ट बर्निंग होगी, वेस्टेज आफ लेबर होगा। इसलिये इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एक ही कर देना चाहिये। एक ही काम कई संस्थाओं के पास रखना उचित नहीं है।

इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने कहा कि जिन जवानों की फौज में जानें गयीं हैं उनके परिवारों को तकावी दी जायगी। मैं चाहता हूं कि जिस स्पिरिट में उन्होंने देश के लिये बलिदान किया है उस स्पिरिट में आप कमर्शियलिज्म न लावें। तकावी देना और उसे वसूल करना दोनों कमर्शियलिज्म हैं। आप उनकी सेक्रिफाइसेज की सेंक्टिटी को मेनटेन करें और जो कुछ भी उनको देना चाहें वह फ्री गिफ्ट करके दें। क्योंकि अगर आपने उसे कमर्शियलिज्म बना दिया तो मेरा निश्चित विश्वास है कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और जिस परम पुनीत भावना से उन्होंने देश के लिये बलिदान किया है, जिसका आदर हम आप सभी करना चाहते हैं, उसका आदर कमर्शियलिज्म पर नहीं होगा। इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी व माननीय

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

मुख्य मंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वे इस पर विचार करें और यह तकावी नाम हटा कर उसे 'फ्री गिफ्ट फार दि सेक्रिफाइसेज' आप कर दें तो सुन्दर होगा और मैं समझता हूं, उसका उपयोग भी होगा ।

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस बात की तरफ संकेत किया कि यह घाटे का बजट है, तो फ्रेश टैक्सेशन लगेगा, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उन चीजों पर टैक्स न लगावें जो जन-जीवन के लिये उपयोगी हैं । जैसे कपड़ा, किरोसिन आयल, क्योंकि अभी जनवरी, ६३ में जो सेमिनार हुआ था उसकी रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जन जीवन के उपयोग की चीजों पर टैक्सेशन की सीलिंग पहुंच चुकी है और जैसा कि मैंने आपके सामने रखा कि आप कारपोरेटेड टैक्स लगावें । इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के ऊपर आप टैक्स बढ़ा दें क्योंकि उन पर अभी सीलिंग नहीं पहुंची है । यहां तक कि उन पर अभी टैक्स केवल १० परसेंट है । इसका मतलब यह है कि अभी यहां टैक्स लगाने की गुंजाइश है । लेकिन टैक्स लगाते समय इस बात का स्पष्ट ध्यान रखा जाय कि जन जीवन की चीजों पर या इनडिवीजुअल पर जो टैक्स लगा है, उसकी सीलिंग पहुंच चुकी है, उस पर अब और टैक्स लगा कर उसकी कमर न तोड़ें । जनता की मनोभावना को ठेस न लगावें । आपको किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे जनता की मनोभावना को ठेस लगे । मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि जो भी कंट्रोवर्शल मेजर्स हों उनको आप न लावें ।

इस समय हिन्दी अंग्रेजी के प्रश्न को लाने की क्या आवश्यकता थी? कहा जाता है कि साइंटिफिक स्टडी के लिये अंग्रेजी का पढ़ना आवश्यक है। मैं पूछता हूं कि क्या रूस में साइंटिफिक स्टडी के लिये अंग्रेजी पढ़ायी जाती है ? क्या जर्मनी, इटली, ईरान में साइंटिफिक स्टडी के लिये अंग्रेजी पढ़ायी जाती है? आप ट्रांसलेशन कराइये और इस अंग्रेजी के प्रश्न को समाप्त कीजिये, सारे हिन्दुस्तान में एक परसेंट से अधिक अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन उन्हीं के तुष्टीकरण के लिये समाज की एकता में दरार डालना, यह दूरदर्शिता नहीं है । देश की यूनिटी के लिहाज से ऐसा कोई कंट्रोवर्शल मेजर यहां नहीं लाना चाहिये ।

श्रीमन्, सरकार का ध्यान मैं इसके वारोइंग की तरफ दिलाना चाहता हूं । आज हम को यह विचार कर लेना चाहिये कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जितना कर्ज हमारे ऊपर है और उससे अधिक हम और लाद लें, यह उचित नहीं है। हमारा रिजर्व फंड या सिंकिंग फंड कुल ४३ करोड़ का है और कर्ज हमारे ऊपर ४०० कुछ करोड़ है । तो जब हमारा रिजर्व फंड इतना कम है और हम कर्ज पर कर्ज लिये जाते हैं यह कभी भी मुनासिब बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इतनी दुर्दशा, इस तरह से माननीय वित्त मन्त्री जी प्रदेश को इतना कर्जदार न बना दें कि हमारी आर्थिक क्षमता को चोट लग जाय । इसलिये हमारी आज की जो कर्ज लेने की नीति है उसको बदलने की आवश्यकता है । मैं आपके सामने आंकड़े रख दूं । प्रदेश में ३१ मार्च, सन् १९६१ को टोटल इनडेटेडनेस थी ४१,८६२ लाख और इसी तारीख को सन् ६२ में वह हो गयी ४६,५४८ लाख और ३१ मार्च, सन् ६३ को उसके रिवाइज्ड फिगर्स हो गये ५०,८५७ लाख और मार्च ३१, सन् ६४ का अन्दाजा है कि वह ५६,२६२ लाख हो जायगा । इस तरह से यह दस वर्ष में ९८ करोड़ से बढ़कर ५६३ करोड़ सन् ५४ से अब तक हो गया है । और इसके विपरीत सिंकिंग फंड में वही कुल ४३ करोड़ है । इस तरह से प्रदेश में कर्ज को बढ़ाने की नीति हानिकारक है और इसको बदलने की आवश्यकता है और इसके स्थान पर मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि हमारे जो दूसरे रिसोर्सेज हैं और जो सरकार की इंडस्ट्रीज हैं जो आज ओवर स्टाफड हैं, ओवर कैपिटलाइज्ड हैं उनको एकोनामाइज किया जाय, उनमें लाभ अगर नहीं होता तो वहां अधिक उत्पादन किया जाय । आज सरकार के एन्टर प्राइजेज में मैक्सिमम लाभ नहीं हो रहा है वह होना चाहिये । बारोइंग के बजाय अगर हम एकोनामी करें और जो सरकार के साधन हैं उनके अन्दर वह

रहे जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि मीन्स के अन्दर रहना सीखो। यह हालत न आयें कि इतना कर्ज लद जाय कि बदतर हालत हो जाय और हम दुर्दशा में फंस जायं।

इसके अलावा आज जो महंगाई बढ़ रही है प्रदेश में और देश में उसको देख कर हमें आशा थी कि सरकार का ध्यान इस ओर जायगा। आज सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि देश में और प्रदेश में महंगाई न हो और इतनी महंगाई न बढ़े कि वह लोगों की शक्ति की सीमा के बाहर हो जाय। उससे डिसकन्टेमेंट खड़ा हो सकता है, वह खाने के अभाव में खड़ा होता है, कपड़े के अभाव में खड़ा होता है।

हमारी आज आर्थिक स्थिति क्या है? १९५० में आप देखें कि फिगर १११.८ था वह बराबर बढ़ता गया, सन् ५६ में +४२.५, ६०–६१ में १२४.९ हो गया, ६१–६२ में +१११+३५ हो गया। कृषि की चीजों का भी ६१–६२ में था +४८.८ सीरियल्स में वह हुआ +३६.८, पल्सेज में +५०, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन-इन-रामेटीरियल्स +४६.९, आयल सीडेस +७६.५, मिनरल्स १०.२। अब इस प्रकार महंगाई बढ़ती रही तो देश के मनोबल को धक्का लग सकता है। और देशों ने जैसे इंगलैंड ने सबसीडाइज किया युद्ध के समय। आपको भी उसके लिये हमारे प्रदेश की महंगाई घटे, प्राइसिंग पालिसी अडाप्ट करनी चाहिये थी। पर उस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो फ्री एन्टरप्राइज के नाम पर फ्री लूट हो रही है इसको रोका नहीं तो विश्वास मानिये मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास और जो पेजेन्ट्री है यह इस महंगाई में पिस जायगी, और पिस रही है। इसको अगर नहीं रोका तो विदेशी आक्रमण अपने स्थान पर है, देश की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जायगी और सुरक्षा के मनोबल के लिये यह घातक चीज है। आज इसको लेकर विदेशों से प्रचार होता है, आपके ही प्रदेश में वहां तिब्बत की सरहद लगी हुई है उस पार्ट से चीनी आकर हमारे यहां के दो, चार आदमियों को ले जाते हैं और दिखा देते हैं कि हमारे यहां इतना सस्ता है, इतना भोजन है और तुम्हारे यहां क्या है? यह मनोबल तोड़ने का प्रयास है और आज आवश्यकता है कि हमारा मनोबल बना रहे। तो उसको बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि हमारी जो महंगाई बढ़ रही है इसको रोका जाय। परन्तु यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि लाइसेंस, परमिट और कोटा नहीं बनाना चाहिये। और अगर ऐसी हुआ तो भ्रष्टाचार और बढ़ जायगा, तब तो यह कहना पड़ेगा कि औषधि रोग से भी बदतर हो जायगी। इसलिये इसकी एक निर्धारित नीति होनी चाहिये इस दृष्टि से। और उस नीति को निर्धारित करके सरकार को चाहिये कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को रोके।

मैं पंचवर्षीय योजना के विषय में एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत ढोल पीटा जाता है, लेकिन मैं इस पर आगाह कर दूं कि अचीवमेंट्स को देखना चाहिये। केवल घोषणाओं को नहीं। टार्गेट हमारा था प्रोडक्शन आफ पोटेंशियल्स ८.७२ और अचीव किया ४.८२। केवल पैसा खर्च कर देने से टार्गेट अचीव नहीं होता है। टार्गेट अचीव करने के लिये पैसा भी चाहिये पर साथ ही साथ सुपरविजन और इवैल्यूशन भी चाहिये। काटन आप देख लें, जैसा मैं पहले कह चुका हूं डिफेंस के लिये बहुत आवश्यक है, हमारा टार्गेट था .८९ लाख टन और अचीव किया .४५। इसी तरह से स्लम क्लीयरेंस को देख लें, लोगों के मन में यह विचार हो गया है कि हमारा जीवन नरक के लिये ही बना है। बड़ा ढोल पीटा गया स्लम क्लीयरेंस करेंगे। हमारा टार्गेट था १८१० लेकिन अचीवमेंट केवल ३००। तो जो आपका टार्गेट होता है उसका ५० फीसदी अचीव कर पा रहे हैं जिसके माने हैं कि प्रशासन में, पालिसी में कहीं गड़बड़ी है। पालिसी में गड़बड़ होने के माने हैं कि हमारी पोटेंशियलिटीज क्या हैं इसको पहले ध्यान में लेना चाहिये। हमारी नीड्स क्या हैं, इसको ध्यान में लेना चाहिये न कि हमारी कल्पना क्या है और उस कल्पना के आधार पर हम योजना बना डालें और फिर जब वह योजना असफल होने लगे तो प्रदेश में नैराश्य खड़ा हो जाय। यह नहीं होना चाहिये। जितना हमारे पास कपड़ा है उतना ही कोट काटें। नहीं तो जब नैराश्य आता है तो देश

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

और समाज में विघटन भी आ जाता है। आज जहां हमको विदेशी से लड़ना है वहां हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि विदेशी के सामने हम एक नैराश्यमय और विघटित समाज का आदर्श न उपस्थित करें। उसके लिये आवश्यक है कि हमारी योजना, हमारी पात्रता और क्षमता को ध्यान में रखकर और आवश्यकताओं की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखकर और फिर उन प्रायोरिटीज के आधार पर टारगेट्स को निर्धारित करें और उन टारगेट्स को एचीव करें। खाली हमने पैसा खर्च कर दिया और ३१ मार्च को अन्धाधुन्ध लेजर में जो पैसा फेंका जाता है सरकारी दफ्तरों में उसमें वेस्ट होता है, करप्शन होता है, मिसयूज होता है। तो मैं माननीय वित्त मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि हमारे एचीवमेंट्स की ओर ध्यान देना चाहिये।

अब प्रश्न यह आता है कि उसकी जानकारी कैसे हो? तो जैसा मैंने पहले सुझाव रखा था वह मैं प्लानिंग के लिये भी रखता हूं कि उसका सतत इवैलुएशन करने के लिये जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है उस प्रकार की एक आटोनामसबाडी हम बनायें और उसका डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन या सेक्रेटेरिएट से सम्बन्ध नहीं होना चाहिये, कम्प्लीट आटोनामस हो और बराबर सारे कार्यकलापों का इवेलुएशन करता रहे और सदन और सरकार के सम्मुख वह रिपोर्ट बराबर आती रहे कि हमने किस दिशा में कितनी प्रगति की, कहां हम असफल रहे, उस असफलता को हम कैसे रोक सकते हैं, इन सारी समस्याओं का उचित निदान उन रिपोर्टों के आधार पर होगा। ऐसा हम ने आज तक नहीं किया। परिणाम क्या होता है? जो योजनायें रो-धो कर पूरी भी होती हैं, उनमें भ्रष्टाचार की शिकायतें भरपूर रहती हैं। माताटीला बांध को देख लें। कालागढ़ में जो बांध बन रहा है वहां की हालत सुनने लायक है। सीमेंट की बोरियां लोगों के घरों में बिक रही हैं। इन सारी गड़बड़ियों का कारण एक ही है कि हमारे नियन्त्रण को कड़ाई से रखने के लिये सरकार के पास कोई साधन नहीं है। इनका जो भी नियन्त्रण है वह केवल सुपरवाइजरी अफसरों के ऊपर है। कभी-कभी मन्त्रिगण को फुरसत हो गई तो चले गये। तो आपका बराबर एक सतत नियन्त्रण रहना आवश्यक है। इसके अलावा योजनाओं की सफलता में क्वालिटी भी देखना चाहिये। आज होता यह है कि किसी तरह से मिट्टी कूटकाट कर बांध खड़ा कर दिया। बरसात आयी मिट्टी बह गई। तो क्वालिटी आफ वर्क भी देखने की आवश्यकता है और यह इवैलुएशन कमीशन प्रोग्रेस के साथ-साथ क्वालिटी का भी इवैलुएशन करें। जब तक क्वान्टिटी के साथ-साथ क्वांलिटेटिव इवैलुएशन नहीं होगा तब तक हमारे प्रदेश के टैक्सपेयर के पैसे का सदुपयोग नहीं हो सकता, हमारी इच्छा असफल रहेगी, वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त जहां समाज में डिसकन्टेंटमेंट का प्रश्न उठता है, वहां जिनके बल पर राज्य का संचालन होता है उन कर्मचारियों की दिक्कतों और कठिनाइयों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने विटले कौंसिल्स बना दी हैं, लेकिन आपने नहीं बनायीं। आप एक ऐसा मीडियम बनाइये जिसके द्वारा उनका डिसकन्टेंट, उनके कष्ट, उनके दुख आपके सम्मुख आ सकें। नहीं तो अन्त में यही होगा कि आपके राजकीय कर्मचारी पोलिटिकल प्रेशर्स के विक्टिम हो जायेंगे। जनतन्त्र को सफलता के साथ चलाने के लिये आवश्यक है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐक्टिव पालिटिक्स से दूर रहे।

वह फिर नहीं होगा और आज अनुभव इसी प्रकार का आ रहा है कि उनके डिसकटेंट को स्पष्ट करने के लिये, उसका सफलीभूत हल निकालने के लिये जो म्युचुअल कोहेशन चाहिये वह नहीं है। इसका परिणाम होता है कि उनका डिसकटेंट फूटता है समाज में विभिन्न मार्गों से और उसका दुष्परिणाम प्रशासन की ढिलाई और अपात्रता और प्रशासन के प्रति समाज का अविश्वास खड़ा होता है। इसलिये आवश्यकता है कि व्हिटले कौंसिल्स का निर्माण करें।

श्रीमन्, इस इमजर्जेंसी के युग में सरकार के कार्यों में प्रगति और गति में तीव्रता आनी चाहिये। आज बहुत बार ऐसा होता है कि निर्णय कभी हुआ और वह कागज लाल फीता

में बन्धा हुआ घूमता घामता बहुत समय बाद पहुंचता है और जब पहुंचता है तो परिस्थिति बदली हुई होती है। समस्या बदली हुई होती है और उस बदली हुई समस्या पर पुराने हल को लगाया जाता है तो प्रशासन असफल हो जाता है। यह जो लाल फीताशाही है इसको काटने की आवश्यकता है। प्राम्प्ट डिसपोजल आफ वर्क हो, प्राम्प्ट आर्डर्स हों और उन आर्डर्स को प्राम्प्टली कैरी आउट होना चाहये। इसमें मैं समझता हूं कि मन्त्रिमण्डल का एक बड़ा भारी योगदान है। मैं किसी मन्त्री की शिकायत नहीं करता और न प्रशंसा करता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत से मन्त्री बहुत जल्दी आर्डर्स देते हैं और बहुत से मन्त्री ऐसे हैं जिनके यहां फाइल्स का अम्बार लगा रहता है उन पर अर्जेन्ट स्लिप्स भी लगी होती है उनका डिसपोजल क्यों नहीं होता है? उसका एक कारण है कि राजनीति की विभीषिका खड़ी हो गई है। "Politics is the be-all and the end-all of the life." मानव जीवन का प्रारम्भ और अन्त दोनों राजनीति है और सेल्फ प्रोपेगंडा राजनीति है। इससे छुट्टी मिले तो काम हो। यह सारे उद्घाटन होते रहते हैं, आज की शब्दावली में अनावरण होते रहते हैं, इनके समाप्त होने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता कि दौरे न करें। जरूर करें जहां आवश्यकता हो, काम न पड़ा रहे। नतीजा यह होता कि आज जरूरत है, लेकिन दस दिन बाद आशा होती है, जब परिस्थिति बदल जाती है और उस बदली हुई परिस्थिति में उस आज्ञा के लागू करने में प्रशासन असफल होता है और जनता का विश्वास नहीं रहता। सुरक्षा में प्रशासन पर जनता का विश्वास रहना चाहिये। यह कहा जाय कि हम गड़दड़ी करते हैं, इससे समाधान होने वाला नहीं है। आरोप और प्रत्यारोपों से काम नहीं चलेगा। हम आपको, आप हमको गैर जिम्मेदार कहें, इससे काम नहीं चलेगा बल्कि तथ्य को पकड़ना पड़ेगा। सदन में डिबेटिंग प्वाइंट स्कोर करने से प्रशासन सफल नहीं होगा। वित्त मन्त्री जी ने कहा कि कौन राष्ट्र ऐसा नहीं है जिस पर अचानक हमला न हुआ हो और हारा न हो। सही है कि डंकर्क पर हुआ, इंगलैंड हारा, पर्ल हारबर पर हुआ और अमरीका हारा। लेकिन क्या उसने सुलह की बात की? पराजय के बाद सुलह की बात नहीं की और मुझे श्रीमन्, रूजवेल्ट के वह वाक्य याद हैं जो पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद जब मिस्टर सोबूट और ऐडमिरल नमूरा जापान से शान्ति का सन्देश लेकर वाशिंगटन पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था "We will talk of peace in Tokio not in Washington." इसी तरह इंगलैंड में जब जॉकर हेस हवाई जहाज से उतरा था तो चर्चिल ने उसे बन्द कर दिया और हाउस आफ कामन्स में यह भाषण दिया कि "There can be no peace with terrorism." अत्याचार से सुलह नहीं हो सकती। तो श्रीमन्, इस आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं हो सकता। यह बात सत्य है कि हमारे ऊपर आघात हुआ है, हमारे शौर्य और हमारे पराक्रम पर एक धब्बा लगा है, यह सत्य है। परन्तु उस धब्बे पर हम शान्ति की बात शुरू कर दें और उस धब्बे को हम जस्टिफाई करें कि ऐसा नहीं, यह तो सभी राष्ट्रों के साथ हुआ है, यह गलत बात है। गलत चीजों का जस्टिफिकेशन इस तरह से डिबेट में नहीं होना चाहिये। मैं यह पुस्तिका लाया था और इसलिये लाया था कि माननीय राजस्व मन्त्री ने उस दिन इसका जिक्र किया। मुझे दुख है आज वह यहां हैं नहीं। जैसी कि उनकी आदत है जिसको कि हमारे मुख्य मन्त्री जी पुरमजाक कहते हैं, मैं दूसरी भाषा का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, माधव्य कृत्य जिसे कहते हैं, उसमें वह निपुण हैं। उसका प्रमाण मैं लाया हूं। हमारे जनसंघ के पीताम्बर दास जी ने उस दिन डाक्टर लोहिया की इस पुस्तिका से कोट किया था जिसमें है कि नेहरू जी की टीका क्यों करनी चाहिये। डाक्टर लोहिया का यह मत था, मैं उसको कोट कर दूं श्रीमन्:

"There is no greater delight than to put a crafty Prime Minister in his place." यह उनका वाक्य था ....

एक सदस्य—

जरा हिन्दी कर दीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

यह आपके नेता की अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। यह पुस्तिका उन्हीं की है। इसको पीताम्बर दास जी ने कोट किया था। अब हमारे राजस्व मन्त्री जी क्या कहते हैं कि हमारे जनसंघ

[श्री धादवेन्द्रदत्त]

के लोग कहते हैं, कैपटी प्राइम मिनिस्टर। अरे महराज, सत्य के पुजारी हो, तो बात तो सही तरह से रखो, यह मत कहो कि अनट्रुथ इज ट्रुथ। और उनका तो सारा भाषण ही आरोप प्रत्यारोप रहता है। कहते हैं कि जनसंघ वालों के पास चार्टर आफ डिमांड्स हैं। मैं नहीं जानता कि चार्टर आफ डिमांड्स क्या होता है। जो सत्य बात है और जो तर्कयुक्त बात है वह बार-बार कही जायगी, अब उसको आप चार्टर आफ डिमांड्स कहें तो यह आपकी बुद्धि की बलिहारी है कि बात आपकी समझ में न आये।

इसलिये श्रीमन्, मैं यह आग्रह कर रहा था कि हम लोग थोड़ा-सा आज के काल में यह जो आरोप और प्रत्यारोप करने की हमारी आदत है और जो एक दूसरे की नीयत पर हम आक्रमण करते हैं, इसको हमें बन्द करना होगा। अगर जनतन्त्र में हमको विश्वास रखवाना है मुल्क के अन्दर तो हमको अपने व्यवहार में वह गणतन्त्र का व्यवहार दिखाना पड़ेगा क्योंकि श्रीमन्, गणतन्त्र के माने यह हैं--Do to others as you want them to do with you. दूसरों के साथ वही करो जैसा खुद अपने साथ चाहते हो। सीधे-सीधे इसके माने हैं। इसके यह माने नहीं हैं कि हम आपकी नीयत पर आक्रमण करें और आप हमारी नीयत पर आक्रमण करें। अगर यह हम लोग करते रहे तो हम अपने ही व्यवहार से जनतन्त्र को नष्ट कर देंगे। इसलिये श्रीमन्, हम आशा करते हैं कि लोग इस तरफ ध्यान देंगे।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं वन विभाग के विषय में। आज तक हमारे वन विभाग की जो नीति रही है वह उससे मैक्सिमम इनकम लेने की रही है। लेकिन यह नेशनल वेल्थ है। मैक्सिमम इनकम के साथ-साथ मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम कंजर्वेशन की तरफ भी ध्यान होना चाहिये और उसके लिये आवश्यक है कि हम अपने देश के लोगों को वन माइंडेड बनायें। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत जो मैं इस प्रदेश के जंगलों में घूमा हूं, तो मैंने देखा है प्लान्टेशन का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। परन्तु मैं यह भी कहूंगा कि जो एनीमल लाइफ के प्रिजर्वेशन का कार्य है, उसमें प्रखरता आने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री को सुझाव दूंगा कि जैसे हमारे हिमालय की तलहटी में जंगल है कहां पर बहुत से ऐसे जंगली जानवर हैं जो आसानी से नहीं मिलते हैं। जैसे कस्तूरी मृग है। वह दुनिया में कहीं नहीं होता है। वह केवल हिमालय के जंगलों में प्राप्त होता है। अब भी वह लुप्तप्राय है। उसकी रक्षा होनी चाहिये। वह वाइल्ड एनीमल हमारा नेशनल एसेट है। आज हम देखते हैं कि आज भी लोग एनीमल लाइफ पर बहुत अटैक करते हैं और गोली मारकर उनको नष्ट करते जाते हैं। नेचुरल नार्मल तरीके पर न जाकर जो लोग गोली मार कर जानवरों की हानि करते हैं वह बन्द होनी चाहिये। पोचिंग के लिये जो वहां जंगलों में जाकर गोली चलाकर जानवरों की हत्या करते हैं ऐसी पोचिंग का काम बन्द कर देना चाहिये। इसके लिये आवश्यक यह होगा कि हंटर्स की एक कमेटी बने और वह शिकार खेलने के लिये जिसको लाइसेंस दे उनको ही बन्दूक लेकर जाने की इजाजत होनी चाहिये। जो अन्य पशु खेती को नष्ट करते हैं उनका रक्षा के लिये भी उपाय होने चाहिये। उन पशुओं को डराने के लिये बन्दूक का प्रयोग होना चाहिये, किन्तु पशुओं को मारने का उद्देश्य नहीं होना चाहिये जिससे खेती को हानि भी न हो सके। वाइल्ड लाइफ का प्रिजर्वेशन होना चाहिये। उसके लिये यह भी कर सकते हैं कि अपन देश में जो वाइल्ड पच्चे पकड़ लिये जाते हैं तो उनको जू में न देकर दूसरे देशों को देकर वाइल्ड लाइफ का बदला कर सकते हैं। अपने प्रदेश में लोगों को वन माइन्डेड बनाने के लिये यह किया जा सकता है कि अपने यहां स्कूलों में जो गर्मी म छुट्टी होती है या दशहरे में छुट्टी होती है उसमें बच्चों को जंगल में ले जाने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। जैसे कि फ्रांस में होता है। हर एक स्कूल से वह ग्रुप ले लेते हैं। यह लड़कों की शिक्षा पर निर्भर करता है और उनके कौशल पर निर्भर करता है कि किस को प्रायोरिटी दी जाय। उन ग्रुप को फ्रांस की सरकार की ओर से बनों में समर में या विंटर

में टूरिस्ट कैम्प में ले जाते हैं। छोटे बच्चों को ही वे जंगल में ले जाना शुरू कर देते हैं जिससे उनको प्रेम उत्पन्न हो जाता है जंगलों के प्रति जो कि हमारा नेशनल एसेट है। आज यह नेशनल समस्या है। जंगल नष्ट हो रहे हैं। जब उनसे प्रेम उत्पन्न होगा तब उनके संरक्षण की तरफ भी उनका ध्यान जायगा। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि लड़कों को सिनेमा के गन्दे गाने सुनने को नहीं मिलेंगे बल्कि उनको अपना स्वास्थ्य बनाने के लिये एक साधन मिलेगा और उनकी छुट्टी सार्थक होगी। साथ ही यह भी लाभ होगा कि लड़कों का शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास होगा। इस प्रकार की शिक्षा जो लड़कों के लिये जरूरी है वह वहां हो सकेगी।

अन्त में इतना और निवेदन करूंगा कि आपने जो मुझे कुछ अधिक समय दिया उसके लिये आभारी हूं। हमारे प्रदेश में बन विभाग की ओर से जो प्लान्टेशन किया गया है उस की मैं प्रशंसा करता हूं। इस कार्य को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने अन्त में जो अपने वाक्य कहे हैं कि "अवसर के अनुकूल ऊंचे उठने में ही राष्ट्रों के जीवन और उनके गौरव की रक्षा होती है और इसी प्रकार वे इतिहास में प्रेरणा के श्रोत बन जाते हैं" इन शब्दों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि आपने जो मापदंड इस बजट का रखा है उसमें जनसंघ को जो कमियां दिखाई दीं, उनकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया और सदन के समक्ष रखा है। मैं निवेदन करूंगा कि उसके आधार पर ही आप अपना बजट बनायें तो जो हमारा लक्ष्य है ऊपर उठने का वह लक्ष्य हम पूरा करेंगे अन्यथा उस लक्ष्य की ओर जाने की हमारी घोषणामात्र रह जायगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि इस दृष्टि से आप विचार करें और उस दृष्टि से आप बजट को रिकास्ट करें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप समय का निर्धारण कर दें तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, जैसा पिछले सालोंमें था, आध घंटे लीडर्स और मिनिस्टर्स के लिये, तथा १५ मिनट बाकी सदस्यों को रहेगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के आदरणीय एवं विद्वान वित्त मंत्री महोदय ने १९६३–६४ के लिये जो बजट इस सदन में विचार के लिये प्रस्तुत किया है वह मैं समझता हूं कि व्यावहारिक, समयानुकूल और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। श्रीमन्, १५ तारीख को यह बजट इस सदन में उपस्थित किया गया था और १६ तारीख को सभी समाचार-पत्रों को मैंने जब देखा तो उनमें इस सदन के समस्त विरोधी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया निकली हुई थी। उसमें माननीय उग्रसेन जी का भी नाम था, दूबे जी का भी नाम था, गेंदासिंह जी का भी था और डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब का भी था। सभी की प्रतिक्रिया में एक विशेष चीज थी कि यह बजट बड़ा निराशाजनक है। मुझे दुख के साथ, श्रीमन्, यह कहना पड़ता है कि उससे मुझे बड़ी निराशा हुई। विरोधी दल के नेतागण यह कहते हैं कि आज मनोबल के बढ़ाने की आवश्यकता है। एक ऐसा बजट जो २०० करोड़ रुपये का है और जिसमें ९२ करोड़ रुपये नयी योजनाओं पर व्यय होने जा रहा है और जिसमें ७ करोड़ रुपये के करीब सुरक्षा पर व्यय होने जा रहा है उसके लिये यह कहना कि सारा का सारा बजट निराशाजनक है, इससे मनोबल के अधिक गिराने वाली चीज क्या हो सकती है? श्रीमन्, मनोबल केवल सरकार ही नहीं बढ़ा सकती, इस सदन के विरोधी दल के आदरणीय सदस्यों के ऊपर भी यह जिम्मेदारी है कि वे बजट के इन रचनात्मक पहलुओं का भी थोड़ा सा अध्ययन करें और यदि किसी भी स्थल पर उन्हें उसमें प्रदेश के हित की बात दिखाई पड़े तो उसकी भी चर्चा किया करें।

इस बजट के अध्ययन से वास्तविक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये आवश्यक है कि इस प्रदेश की जो ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं उनको समझने का प्रयास किया जाय। मुझे यह कहने में,

[श्री कृष्णानन्द राय]

बिलकुल संकोच नहीं है और इस सरकार द्वारा भी उसको स्वीकार किया गया है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भी है कि जिस तरह से आज दुनिया का आर्थिक दौर है उसमें हिन्दुस्तान विज्ञान में, उद्योग में, टेक्निकल ज्ञान में, अणु परमाणु के अध्ययन में पिछड़ गया है उसी प्रकार हिन्दुस्तान में अन्य राज्यों के मुकाबले में हमारा प्रदेश उद्योगों में, शिक्षा में, स्टेट की और प्रति व्यक्ति की इनकम में, हालांकि २ पंचवर्षीय योजनाओं में इन चीजों में राज्य के अन्दर वृद्धि हुई है लेकिन तब भी हिन्दुस्तान के स्तर पर इसकी, पूरी वृद्धि नहीं है। और दूसरी परिस्थिति यह है कि हमारे देश पर हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार एक इम्पीरियलिस्ट टोटेलिटेरियन विदेशी राज्य ने उत्तर से हिमालय को पार कर के आक्रमण किया है और हमारे प्रदेश की सीमा काफी लम्बाई में उससे मिली हुयी है। इन दोनों ऐतिहासिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को, इस प्रदेश के बजट को समझा जा सकता है।

श्रीमन्, मैंने आरम्भ में कहा था कि मुझे निराशा हुई विरोधी दल के आदरणीय नेताओं की प्रतिक्रिया देख कर लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। क्योंकि श्रीमन्, आप भी जानते हैं और हमने भी देखा है कि इतने बड़े अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटना हुई जिसके लिये प्रदेश में हर एक को अभिरुचि होना आवश्यक था, लेकिन किसी भी विरोधी दल ने उसमें अभिरुचि नहीं दिखायी और मेरा स्पष्ट आरोप है कि प्रदेश की स्थति और चीन द्वारा आक्रमण की पृष्ठभूमि में किसी ने अपना कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया। इस सदन मे प्रजा समाजवादी दल और समाजवादी दल की न्यूमिरिकल यूनिटी हुई और उग्रसेन जी ने संख्या बढ़ाने के लिये एकता की, लेकिन किसी नये सिद्धांत की स्थापना इनदलो की एकता होने के बाद नहीं हुई और खासकर चीनी आक्रमण को दृष्टि में रख कर। मैं एकदिन उनके एलेक्शन मैनिफेस्टो को पढ़ रहा था जोकि तीन साल पुराना है और जिस के कारण उन दलों का मिलन नहीं हो पा रहा है। उसमें मुझे एक भी व्यावहारिक बात नहीं मिली।

आज हमारे सामने लद्दाख और नेफा की समस्या है, लेकिन उस समय मैनीफ़ेस्टों में उसकी चर्चा नहीं हो सकती थी। उस समय अंग्रेजी हटाओ का प्रश्न सामने था, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि बाद में ये लोग डर गये कि कहीं अहिन्दी भाषा-भाषी नाराज न हो जांय इसलिये कह दिया कि (व्यवधान) जरा सुनिये तो। विरोधी दल की नीति पर भी बहस की जा सकती है। यह जनरल डिस्कशन है। तो श्रीमन्, एलेक्शन मैनिफेस्टों में यह कहा गया कि जितने हिन्दी भाषी प्रान्त हैं उनमें दस वर्ष तक जितनी गजेटेड पोस्ट्स हैं वे सब अहिन्दी भाषा-भाषियों को दे दी जांय। इसका मतलब यह कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में जितने विद्यार्थी बी० ए०, ए म० ए० पास करके निकलते हैं वे किसी आल इंडया कंपिटीशन में न बैठ पायेंगे। यह सब अव्यावहारिक बातें हैं जिनको ले कर वे ५ साल का कार्यक्रम चलाना चाहते हैं और इसीलिये मैं निवेदन कर रहा था कि कोई भी पृष्ठभूमि उनके पास नहीं है जिस के अनुसार इस बजट को देखा जा सके। चीन ने जिस समय देश पर आक्रमण किया तो उस समय हमारी नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की बैठक दिल्ली में हुई थी। उसमें हमारे प्रधान मंत्री तथा सब राज्यों के मुख्य मंत्री थे। उन लोगों ने एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी और उसके अनुरूप ही यह हमारा बजट प्रस्तुत किया गया है। उसमें यह बात निश्चित की गयी थी कि हमारे सामने जो डिफेंस की समस्या है उसके लिये आवश्यक है कि हम अपने देश में चल रहे प्लान को समाप्त न करें, बल्कि थोड़े बहुत संशोधन के बाद उस प्लान को निश्चित रूप से और तेजी से चलाने का प्रयास करें क्योंकि हमारा डिफेंस प्लान का ही एक अंग है।

श्रीमन्, राज्यपाल के भाषण पर विवाद के समय भी यही चर्चा थी और बहुत से कांग्रेस के सदस्यों ने कहा था कि प्लान जो है वह डिफेंस का ही एक इंटेगरल पार्ट है। उस समय दुबे जी ने उसका मजाक उड़ाया था कि कहां प्लान और कहां डिफेंस की बात, लेकिन इतनी बड़ी सेकिंड वर्ल्ड वार में दुनिया के सभी राष्ट्रों ने और विशेषज्ञों ने इस बात को स्वीकार किया था कि आज की लड़ाई जोकि टोटल वार है या पीपुल्स वार की तरह से लड़ी जाती है उसमें आप देखें कि बिना प्लानिंग के कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। एक मैं इस पुस्तक से उद्धरण देना चाहता हूं क्योंकि आने वाले वर्षोंमें डिफेन्स और प्लान की थीसिस पर नित्य प्रति यहां पर वार्त्ता होगी। यह

किताब इन्टरनेशनल अफेयर्स रायेल इन्टीट्यूट द्वारा निकाली गई है। इसका नाम है "दि आस्ट्रेलियन इकानमी इन वार ऐन्ड रिकान्सट्रक्शन"। इसके पृष्ठ १७ पर आप देखें कि इसमें यह है कि युद्ध के जमाने में ब्रिटेन, कैनाडा और आस्ट्रेलिया आदि इन सब मुल्कों में क्या थीसिस चली थी, उसकी इसमें थोड़ी सी चर्चा है। मैं उसका कुछ अंश पढ़े देता हूं :—

"The fighting forces are only the first line of the army. In the second line are the munition workers, the men and women making war supplies of all kinds which are necessary to keep our fihgting forces in the fields and to build up their striking power. Behind these is still another line-the transport and commercial workers who keep supplies moving, the farmers and the miners who produce the raw materials for war industries. But all these workers in turn have to be fed and clothed, to be kept warm and in good health. This is the last line of defence, and it includes the bread carter and the local doctor, and tram guard and the housewife."

श्री उपाध्यक्ष—

अब एक बज गया है, हम उठते हैं और २ बजे फिर मिलेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कृष्णानन्द राय अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आदरणीय दूबे जी टाइपराइटरों की खरीद के बारे में कह रहे थे कि क्या यह सुरक्षा है? क्या टाइप-राइटर लेकर गोविन्द सहाय जी चीन से लड़ने जायेंगे, मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि वे टाइपराइटर्स यदि ऐडमिनिस्ट्रेशन की एफिश्यैंसी को बढ़ा सकें सुरक्षा काल में तो वह सुरक्षा में ही आयेंगे। सुरक्षा क्या नहीं है, मैं यह उनको बताना चाहता हूं। एक बार मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था। एक जनसंघी नेता मिले। मैंने पूछा कि कहां जा रहे हैं, तो बताया कि भोपाल। मैंने पूछा कि क्या काम है तो कहा कि वहां एक सम्मेलन है और मैं कोलम्बो प्रस्ताव का विरोध करने जा रहा हूं। तो यह तो चीन कर ही रहा है, इतना पैसा क्यों बरबाद कर रहे हो? इस प्रकार से राष्ट्रीय नीतियों का विरोध करना सुरक्षा नहीं है। जहां २०० करोड़ रुपये का बजट पेश किया जाता है ९२ करोड़ की नयी योजनाएं हैं। ८८,००० एन० सी० सी० के कैडेट्स और १५,००० पी० ई० सी० के कैड्ट्स और गांव गांव में प्रान्तीय रक्षा दल, शहर की महिलाओं में होमगार्डस् और खेती का बेस मजबूत करने के लिये करीब ४० लाख एकड़ से ज्यादा की सिंचाई योजना, यह सब हो रहा है और अनेक जगह उद्योग-धंधे, विद्युत् इत्यादि के लिये योजनाएं—ऐसे बजट को एक शब्द में कहना कि निराशाजनक है, यह भी सुरक्षा के विरुद्ध है।

क्यूबा का उद्धरण दिया था कि किस प्रकार से युद्धकाल में और राष्ट्रों ने अपनी इकोनामी तैयार की थी। युद्धकाल की जो इकोनामी होती है वह कठिनाई की होती है—उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इंगलैंड में सन् १४ के पहले एक शिलिंग एक पौंड पर टैक्स लगा करता था और हाउस आफ कामंस में लड़ाई हुआ करती थी, जलूस निकला करते थे कि बहुत अधिक है। लेकिन सन् ३३ में जाकर वह ५ शिलिंग हुआ, १९४०–४५ में ९ शिलिंग पर पौंड वहां पर टैक्स लगा सुरक्षा को दृष्टि में रखकर और ९ शिलिंग पर पौंड चल रहा है और वहां के लोग बरदाश्त कर रहे हैं युद्ध को दृष्टि में रख करके या आगे आने वाले युद्ध को या रिकंस्ट्रक्शन को दृष्टि में रख कर। मैं १९६२–६३ का बजट पढ़ रहा था, हिन्दुस्तान में २ प्रतिशत लोगों की आय का डिफेंस पर खर्च किया जा रहा है। इंगलैंड में सन् १९१३–१४ में २ प्रतिशत आय का खर्च होता था जबकि सन् ३३ में वह आय का ५ परसेंट हुआ और सन् १९४०–४५ में ६.८ प्रतिशत हो गया। तो इतना इंगलैंड में आज भी खर्च किया जा रहा है, यानी

[श्री कृष्णानन्द राय]

६ प्रतिशत खर्च हो रहा है। चीन और रशा में तो टोटल मोबिलाइजेशन है, समस्त कारखाने वहां के इंडस्ट्रियल बेस और ऐग्रिकल्चर बेस को मजबूत करने के लिये चलाये जा रहे हैं। यह श्रीमन्, दुनिया की एकोनामी है और ऐसी एकोनामी में हमारा बजट बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है और टैक्सेशन का भी कुछ भार आ रहा है। तो एकदम उसके प्रति निराशा प्रकट कर देना, जनता के मनोबल को कम करना है।

इस बजट में मेरे भी कुछ एतराजात हैं और उनको मैं दो शब्दों में ही प्रकट कर देना चाहता हूं। यह एतराजात वहीं पर हैं जहां पर माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं कुछ कमजोर दिखलाई पड़े हैं कि धनी लोगों ने नेशनल डिफेन्स फंड में रुपया नहीं दिया और उन पर बकाया भी रुका पड़ा है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों पर जो यह ९ करोड़ के करीब सेल्सटैक्स का रुपया बकाया है आप उसे वसूल करने की कोशिश करें ताकि विकास के जो बहुत से कार्य रुके पड़े हैं, उनको पूरा किया जा सके।

इसके अलावा श्रीमन्, मैं थर्ड फाइव इयर प्लान को पढ़ रहा था, उसके प्रारूप में यह दिया हुआ है कि डिप्रेस्ड रीजन्स की ओर सरकार की विशेष जिम्मेदारी है और उनकी प्रगति की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। मैंने पूरे भाषण को पढ़ा, इस ओर उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसपर मुझे एतराज है। बजट के जो यह वाल्यूम हैं, इनमें मैंने देखा कि जो ९२ करोड़ के आइटम्स हैं उसमें गाजीपुर का कहीं नाम तक नहीं है। इसमें १३ पुलों के निर्माण की योजना है, उसमें गाजीपुर का नाम जीरो है। ९३ आइटम्स उद्योग के हैं, उसमें भी गाजीपुर जीरो है। चिकित्सा के भी ७३ आइटस हैं, उसमें भी वह जीरो है। हर जगह लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदि का नाम है। तो मैं आपके माध्यम से यह अपील करूंगा कि इस तरह से ऐसे जिलों को छोड़ देना ठीक नहीं होगा।

इस बजट में एक बड़ी अच्छी घोषणा एक सैनिक स्कूल खोलने की है। हमारे गाजीपुर के एक गांव से तो करीब २ हजार आदमी नेफा के मैदान में लड़ रहे हैं और वहां के हर गांव से करीब करीब कुछ न कुछ आदमी आर्मी में हैं। इसलिये मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि यह सैनिक स्कूल गाजीपुर में खोल दिया जाय। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

हमारे एक साथी ने ताड़ीघाट-पुल का जिक्र किया। इस पुल की भी अत्यन्त आवश्यकता है। इस पुल के न होने से आजमगढ़, देवरिया, बलिया आदि के जितने भी विकास के कार्य हैं वे रुके पड़े हैं। इसलिये मेरी एक प्रार्थना यह भी है कि वहां पर यह पुल बना दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

मैं आपकी तवज्जेह इस ओर दिलाना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता—

क्या आपका कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री एस० जी० दत्त—

मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी पार्टियों के, जनसंघ और यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के नेता लोग गायब हैं, तो हम सुनावें किसे ? यह नोट कर लिया जाय।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतने बड़े बजट का यह रुपया ७।। करोड़ जनता के लिये खर्च होने की बात है। बजट में भेड़ पालने से हैलीकाप्टर की खरीदने की बात है। दो बातों की अधिक चर्चा आजकल हो रही है। एक तो चीन का आक्रमण और दूसरा मनोबल टूटना या बढ़ना। मनोबल दौरा करने से, व्याख्यान देने से, या कुछ खर्चा करने से नहीं होगा।

मनोबल ऊंचा होता है स्वयं के कार्यों को ऊंचा करने से। जब से संकटकालीन स्थिति आई है तब से हमें देखना चाहिये कि भ्रष्टाचार कम हुआ है या नहीं, बिना लिये दिये थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है या नहीं, कचेहरियों में भ्रष्टाचार कम हुआ या नहीं। अगर इसमें कभी नहीं है तो दूसरे से पैसा मांग कर उत्साह दिखाना काफी नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि हमारे अधिकारियों ने उत्साह में आकर कहीं कहीं गलती कर दी होगी। लेक्चर देने से मनोबल ऊंचा नहीं हुआ है। देश की जनता चाहे कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी थी, उसने कहा कि सरकार भले ही निकम्मी है लेकिन यह देश हमारा अपना है। सरकार ने जितना गरीब जनता को झकझोर दिया था, जनता ने देशप्रेम और मातृ-प्रेम तथा राष्ट्रीयता के कारण उसका खयाल नहीं किया।

आप किसी भी विभाग का बजट बनाते हैं, उसमें कर्मचारी रखते हैं। मैंने पिछले साल का बजट देखा और इस साल का भी देखा है। नयी नयी मदें आती हैं और नये महकमे खुलते हैं। संकटकालीन स्थिति का सवाल नहीं है। जब वेतनक्रम बढ़ता है तो २५० से शुरू करके वह अधिकारी ८५० तक पहुंचता है। उसी महकमे के चपरासी, जमादार, बेलदार, पानीवाले, भिस्ती, मेहतर, माली, हलवाहा, चरवाहा और अर्दली का वेतन, कम क्या है? क्या यह युगों से कायम ऐसा जजमेंट हो गया है कि उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है? उनका ग्रेड शुरू होता है २७ रुपये से, २२ रुपये से। इस प्रकार सरकार जनता का मनोबल नष्ट कर रही है। अगर सरकार इन छोटे कर्मचारियों के लिये विचार नहीं करती तो जनता का मनोबल टूटता है। ८ आना सालाना वृद्धि करके इन लोगों का ग्रेड २७ और ३२ रुपये तक पहुंचता है।

कहा जाता है कि सरकार समाजवादी लक्ष्य की तरफ जा रही है। समाजवादी समाज को कायम रखना, सबको रोटी-कपड़ा देना और सन्तुष्ट करना उसका लक्ष्य है। सरकार कब तक छोटे लोगों की तनख्वाहें बढ़ावेगी? मेरा निश्चित मत है कि यह एक नक्शा बन गया है और सरकार उसे बदलने के लिये कुछ नहीं कर रही है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन का वेतन कम से कम १०० रुपये मासिक से प्रारम्भ करना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि बहुमत से फैसला करके प्रशासन में तरह तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं। कुछ आदालतों में जमानत की तस्दीक के लिये १० रुपया लिया जाता है। अगर कम दिया जाय तो जमानत नहीं होती। मैं निवेदन करूंगा कि मनोबल का लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी ओर तो देखते हैं नहीं। हमेशा यही कहते हैं कि आलोचना से कार्य नहीं चलेगा, तो इस प्रकार कहने से भी काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं आपको डर क्यों लगता है? एक कहावत है—

"खांसो मत, नहीं तो नाव डूब जायगी।"

हम कहते हैं तो क्या गलत बात कहते हैं। संकटकाल का आपको केवल एक बहाना मिल गया है। बड़ी बड़ी तनख्वाहें लोग लेते हैं, बड़े बड़े भत्ते बनाते हैं और हर प्रकार से भी बहुत सी रकमें मारते हैं, उसके लिये आप कहते हैं कि कोई व्यर्थ का खर्चा नहीं है, अत्याचार जो रोजाना हो रहे हैं उनको भी आप रोकते नहीं हैं और संकट केवल धनिकों के लिये नहीं है, जिनके लिये मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने सुरक्षा कोष में रुपया नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपना सारा समय सुरक्षा कोष पर ही लिये ले रहे हैं। बजट के बारे में और भी बातें कहिये। याद रखिये आपको १५ मिनट का समय मिलेगा।

श्री मंगलदेव—

आप सुरक्षा के लिये साढ़े सात करोड़ रु० व्यय कर रहे हैं। सुरक्षा के लिये प्रदेश की जनता को इतना झकझोर दिया है कि वह सब का सब मुख्य कार्य ही हो गया। कहा जाता है कि विरोधीदल के लोग उसमें सहयोग नहीं करते, आलोचना करते हैं, सुझाव नहीं देते। श्रीमन्,

[श्री मंगलदेव]

सुझाव तो देते हैं लेकिन हुकूमत अपने बहुमत के बल पर ना कर देती है। जिस तरह से आपने लगान बढ़ाया उसी प्रकार से और रोजगारों पर भी बढ़ाना चाहिये था।

श्री अधिष्ठाता—

लगान मैंने तो नहीं लगाया।

श्री मंगलदेव—

श्रीमन्, आप क्षमा कीजिये। मैं आपके द्वारा सरकार से कह रहा हूं। माननीय वित्त मंत्रीजी ने बताया कि गरीबों ने ज्यादा दिया चन्दा। इस पर लेक्चर तो बहुत अच्छा होता है। भिखमंगों ने दिया, हलवाहों ने दिया। मैं कहता हूं वे देंगे, क्योंकि उन्हें अपने देश से प्रेम हैं, लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि धनियों ने रुपया सुरक्षा के लिये नहीं दिया। हम समझते हैं कि देश के जब गाढ़े दिन आये हैं तो धनी रुपया नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब आपकी पार्टी के गाढ़े दिन आयेंगे तो वह रुपया जरूर देंगे और देते हैं। जब-जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कि वसूली हो रही है। माननीय नवलकिशोर जी से हमें बहुत डर लगता है। पुलिस बकाया वसूल करती है, कोर्ट के जरिये से वसूल किया जाता है, मुश्क बांध कर और पीठ पर पत्थर रख कर गरीब आदमी से बकाया वसूल कर लिया जाता है लेकिन धनी आदमियों के लिये माननीय कृष्णानन्द राय जी कहते हैं कि वसूल हो जायगा, थोड़ा सा रुपया ही तो है। धनी लोगों का सरकार द्वारा सब तरह से लिहाज किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बकाया ही क्यों रहता।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि सुरक्षा फंड जमा करने में ज्यादतियां हुई और कुछ ने कहा कि नहीं। मेरी जानकारी है कि तकावी में हर १,००० रुपये पर ५० रुपये सुरक्षा फंड में लिये गये हैं। लेखपाल से लेकर बड़े से बड़े अफसर की जिम्मेदारी हो गई है कि सुरक्षा फंड में रुपया इकट्ठा करे। लेखपाल ने नकल देने की नाजायज रकम में कोई कमी नहीं की है और बड़े-बड़े अफसरों ने भी अपनी नाजायज रकम में कोई कमी नहीं की है। मैं आजमगढ़ जिले की बात बताता हूं। वहां सरायमीर टाउन एरिया में सप्लाई अफसर ने रसीदें काटीं और उन्हें लाइसेंसदारों को दूकानों पर फेंककर चला गया। लाइसेंसदार सप्लाई अफसर से झगड़ा नहीं कर सकते, वरना उनका रोजगार खत्म कर दिया जायगा। इसलिये उनको मजबूरन सुरक्षा कोष में रुपया देना ही पड़ा। अभी अतरौलिया थाने से चिट्ठी आई है। वहां के कर्मचारियों ने लोगों को चालान की धमकी देकर, उन्हें थाने में बन्द करके, उनसे रुपया बसूल किया है। जिस किसी ने ५० रुपये दे दिये तभी उसे छोड़ा गया। उन पर कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। इस तरह सुरक्षा के नाम पर, गरीबों की तरक्की के नाम पर उनकी उन्नति करने के बहाने, लोगों से अनुचित तरीके से रुपया लिया जारहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि गलत या सही यह है जिसका बहुमत फैसला करता है। यह आपको सौभाग्य प्राप्त है। उनकी कोई मजबूरी नहीं है, उनके पास कोई रुपये की कमी नहीं है, बल्कि इस सरकार का उनके साथ इतना घनिष्ठ रिश्ता है कि वह उनसे सरकार बेमुरौवती करना ही नहीं चाहती। अगर सरकार बेमुरौवती करती तो उसका बड़ा घाटा होने वाला है। इस लड़ाई में, उसके खतरे को नहीं समझती। अगर वह खतरा समझती तो मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर इस संकट काल में धनियों से रुपया नहीं इकट्ठा होता है तो इसे गरीब लोगों का ही मनोबल टूटता है, क्योंकि वे आपसे न्याय नहीं पाते हैं। आपके पिछले १५ वर्षों के राज्य में आपकी नीतियों के कारण ही प्रदेश के धनी आदमी धनी हुए हैं और गरीब आदमी और गरीब हुए हैं। गरीबों को उनकी किस्मत पर छोड़ कर आप कहते हैं कि तुम्हारी तरक्की धीरे-धीरे होगी।

श्री अधिष्ठाता —

आपका समय समाप्त। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी बजट पेश किया जाता है, वह किसी सरकार का लखा-जोखा उस वर्ष का नहीं हुआ करता। बजट से हमेशा उस सरकार के इंटेंशन का अन्दाजा होता है,

हमेशा उस सरकार की नीतियों का उल्लेख होता है जिन्हें वह उस वर्ष के अन्दर अपनाना चाहती है। सरकार की उन सभी नीतियों का उसमें जिक्र होता है जिससें कुछ अन्दाजा लगता है कि इस वर्ष के अन्दर सरकार क्या करना चाहती है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह बतला देना चाहता हूं कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने जब यह बजट प्रस्तुत किया तो उन्होंने साफ तरीके से दो बातों का जिक्र किया कि हमारे प्रदेश में और देश में इमर्जेंसी है, राष्ट्रीय संकट है। यह एक निर्विवाद बात है और मैं समझता हूं कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश के अन्दर इमर्जेंसी है, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, सभी इस बात से सहमत हैं। अधिष्ठाता जी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन के साथ लड़ाई की हालत होते हुए और देश में इमर्जेंसी के होते हुए, जब कि हमारी स्वतन्त्रता के ऊपर खतरा है, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिये जिसका बुरा प्रभाव पड़े। अगर हमारे कदम लड़खड़ा गये तो इतिहास लिखते समय हमारे सब के नाम काले अक्षरों में लिखे जायेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सवाल पर बहुत गम्भीरता के साथ और ठंडे दिल से सोचें और विचार करें। आज मैं इस बजट को दो पैमानों पर नापना चाहता हूं। आपको देखना होगा कि इमर्जेंसी में किन चीजों की तरफ विशेष ध्यान देना है और किस रुख से हमको चलना है जिससे स्वतन्त्रता को कोई खतरा न हो और इसके लिये हमको क्या-क्या करना है। अगर इस बजट से हमको यह आभास होता है कि सरकार ठीक तरह से काम कर रही है तो हम सरकार को गुनहगार नहीं समझ सकते और अगर ऐसा आभास होता है कि सरकार का इंटेंशन ठीक से काम करने का नहीं है, तो मैं कहूंगा कि यह ठीक बजट नहीं है और मैं वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि इन दोनों पैमाने पर वे बजट को नापने का प्रयत्न करें।

कोई भी युद्ध क्यों न हो, दो मोर्चों पर ही लड़ा जाता है। एक तो फौज को मैदान में लड़ना पड़ता है, नेफा व लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में लड़ना पड़ता है और दूसरी जगह हमें होम फ्रांट पर भी लड़ना पड़ेगा। हमारी सरकार को इस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि हमारे फौजी जवान जो नेफा व लद्दाख में लड़ रहे हैं या और जगह लड़ रहें हैं उनको यह महसूस हो कि सरकार हमारे घर वालों की देखभाल कर रही है। हमको यह देखना पड़ेगा कि जो नौजवान अपने जीवन की होली वहां खेल रहे हैं उनको यह मालूम हो कि लड़ाई के मैदान में रहते हुए हमारे घर वालों को किसी तरह की भी परेशानी नहीं है जिससे किसी ढंग से भी उनका मनोबल न टूटने पावे। उसकी हिम्मत को पस्त नहीं करना है, सबसे पहले हमें यही देखना होगा और हमें देखना होगा कि इस बजट में सरकार ने उनके लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं। अगर नहीं उठाये हैं तो सरकार दोषी है और अगर उठाये हैं तो सरकार बधाई की पात्र है। मैं आपके द्वारा बताऊंगा कि सरकार ने तय किया है कि जिसको परमवीर चक्र मिलेगा उस को वह ६०० रुपया साल देगी और जिस को महावीर चक्र मिलेगा उस को ३०० रुपया साल दिया जायगा और जिसको वीर चक्र मिलेगा उस को १५० रुपया साल दिया जायगा और जो नान-कमिशन्ड आफिसर हैं उनके बच्चों को डिग्री क्लासेज तक की और सभी फौजियों के बच्चों को हाई स्कूल तक की शिक्षा मुफ्त दी जायगी। मैं यह समझता हूं कि यह सरकार का बहुत बड़ा कदम है जिस से निश्चित यह कहा जा सकता है कि इस से अवश्य ही उनका मनोबल बढ़ेगा। इससे उनकी हिम्मत और साहस बढ़ेगा और वह बहादुरी के साथ मैदाने-जंग में दुश्मन का मुंह पीटेंगे। यह मैं मानता हूं कि और भी कदम है जो कि उठाने चाहिये और जितने कदम अभी तक उठाये गये हैं वे काफी नहीं हैं। मैंने माननीय दुबे जी के आज के भाषण को गौर से सुना। उन्होंने कहा कि उन को व्याज रहित तकावी देने से एक कामर्शियल रंग आ जायगा, हमें उन्हें इंडिपेंडेंटली इम्दाद देना चाहिये। बात ऐसी नहीं है, हम उनको तकावी देकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह जो चाहें कार्य करें, वह जितना पैसा चाहे ले लें, उन को उसकी कमी न रहे। अगर हम उन को और भी अधिक दिला सकें तो बेहतर है लेकिन फ्री तकावी भी उनके लिये आवश्यक है।

यहां एक सैनिक स्कूल की भी चर्चा हुई कि सरकार एक सैनिक स्कूल खोलना चाहती है। उस सैनिक स्कूल में फौजियों के बच्चों को प्रिफरेंस मिलना चाहिये। माननीय कृष्णानन्द राय

[श्री जगवीरसिंह]

जी इस समय नहीं हैं मैं समझता हूं कि उनके प्रस्ताव को सरकार को अवश्य मानना चाहिये, उन का प्रस्ताव था कि जिस क्षेत्र से सब से अधिक फौजी गये हैं उसको उसी जगह पर खोला जाय। मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा और मैं समझता हूं कि ऐसा करके सरकार इस बात का परिचय देगी कि चाहे कोई स्थान देहात ही क्यों न हो सरकार सबको एक नजर से देखती है और वह स्कूल वहीं पर खुलना चाहिये कि जिस क्षेत्र से सबसे अधिक फौजी गये हों। मैं कम से कम अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं कि मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं कि जहां से अधिक शायद प्रदेश में कहीं से भी फौजी नहीं गये हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना अपना कर्तव्य समझता हूं कि इमर्जेंसी के नाम पर किसानों पर जो लगान अभी बढ़ाया गया है कम से कम फौजियों को तो उससे मुक्त कर दें, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा।

मैंने बताया कि हमारी लड़ाई इस समय २ फ्रन्ट्स पर हो रही है। लड़ाई के मैदान के अलावा एक होम फ्रन्ट है, यह हमारे खेत खलियान हैं अगर इनमें पैदावार न बढ़ी तो हम लड़ाई न लड़ सकेंगे। अगर खाने के लिये गल्ला न होगा, अगर नौजवानों के लिये रसद नहीं पहुंचेगी तो कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसलिये अगर सरकार ने पैदावार को बढ़ाने के कदम उठाये हैं तो वह निश्चित ही बधाई की पात्र है और मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि एक नहीं, दो नहीं, दसियों कदम ऐसे उठाये गये हैं जिन से पैदावार बढ़ेगी। मन्त्री जी ने एलान किया है कि ग्रीन मेन्योरिंग जो १५ जून से पहले होगी उसकी आधी आबपाशी होगी और बीज पर ३ रुपया मन की सब्सीडी होगी, ग्रीन मेन्योर्स के बीज पर २ रुपया प्रति मन सब्सीडी होगी। इस से निश्चित ही सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा और निश्चित तरीके से यह चीजें हमें अधिक उत्पादन की ओर ले जायंगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं जब ज्यादा पैदावार हो सकती है इन चीजों से क्या उस गरीब किसान की हालत सही होगी? नहीं। उसके लिये और कदम उठाने होंगे। मैंने पिछले साल यह कहा था कि आज परमावश्यक है कि क्राप इंश्योरेंस कराया जाय ताकि अगर कोई आपत्ति आ जाय तो किसान हाथ मलता न रह जाय। श्रीमन्, अगर आप कार खरीदते हैं और कल ही ऐक्सीडेंट हो जाय तो आपका नुकसान नहीं होता। पर अगर किसान का बैल मर जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। उसके लिये कहा जाता है यह बड़ा ऐक्सपेंसिव ऐक्सपेरीमेंट है। जब पंजाब सरकार केन क्राप का इंश्योरेंस कर सकती है तो क्यों नहीं हमारी सरकार कर सकती है? सरकार को क्राप और कैटिल का इंश्योरेंस करना चाहिये। आज आवश्यकता है कि किसान को मालूम होना चाहिये कि जो चीज वह पैदा करता है उसका उचित मूल्य उसको मिलेगा। सरकार को चाहिये कि इस तरह का प्रबन्ध हो जिससे किसान को मिनिमम इकोनामिक फेयर प्राइस दिला सके।

आज किसान का जगह-जगह पर शोषण होता है। मंडी में बैठने वाला व्यापारी उसका शोषण करता है। जरूरत है कि हम मंडी रेगुलेशन बिल लायें। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां मंडी रेगुलेशन बिल न हो। अगर यह कदम उठाया गया तो विश्वास है कि हमारी लड़ाई होम फ्रंट पर भी अच्छी तरह से चल सकेगी।

बहुत कहा गया नेशनल डिफेंस फंड में ज्यादती की गई, हो सकता है किसी कर्मचारी से भल हो गई हो। जहां विरोधियों को यह शिकायत है कि बहुत सख्ती की गई, वहां मुझे भी यह शिकायत है सरकार से कि जो उसे सख्ती करना चाहिये थी वह नहीं की। जिस अमीर ने इस समय पैसा नहीं दिया वह प्रतीक है इस बात का कि उसके दिल में देश प्रेम नहीं। सरकार को ऐसे व्यक्तियों से सख्ती के साथ पैसा वसूल करना चाहिये। कहा जाय कि तुम देश द्रोही हो, देश के साथ गद्दारी करते हो, पैसा देना होगा देश की खातिर। इसलिये मुझे शिकायत है सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाया। यह कहना कि किसान ने स्वेच्छा से नहीं दिया उस के साथ अन्याय है, इसको नहीं मानता। यह उसकी भावना पर चोट है, अमीर पैसा दे या न दे परन्तु किसान पैसा देने में पीछे नहीं है और न रहेगा। किसान क्यों पैसा देता है? उसको

देश प्रेम है वह जानता है अमीर फौज में नहीं जाना चाहता वहां गरीब किसान का लड़का ही जाता है जिसके पास खाने को नहीं है। क्योंकि उसका लड़का वहां लड़ता है वह देश प्रेम में पैसा देता है। इसलिये यह कहना कि वह दबाव में पैसा देता है यह उसकी भावनाओं के साथ और उसके साथ अन्याय है। मैं मन्त्री जी का आभारी हूं, जहां उन्होंने स्पष्टता से माना है कि धनी ने पैसा नहीं दिया, गरीब ने दिया है। मुझे उस वाक्य को पढ़ते हुए दुख हुआ जिसमें कहा गया कि हमको संतोष हो अगर हमारा बकाया रुपया धनी व्यक्ति दे दे। आखिर प्रेम इतना क्यों है उस धनी से, केवल अपना बकाया लेकर ही संतोष करना चाहते हैं? वह पैसा हम लेंगे, हमारा अधिकार है, रेवेन्यू की तरह से लेंगे और लेना चाहिये। अगर किसान पर बकाया होता है तो वह देता है। अमीरों के खिलाफ भी वही कदम उठाना चाहिये जो गरीबों के खिलाफ उठाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं आखिर यह बकाया क्यों है? कहा जाता है कि कुछ अमीरों ने पैसा दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन-सा पैसा दिया है? अगर मिल मालिक ने पैसा दिया है तो उन हिस्सेदारों का दिया है, उसने अपना पैसा नहीं दिया। उसने सुपर-टैक्स और इन्कम-टैक्स का पैसा दिया है। हम चाहते हैं कि सरकार सख्त कदम उठाये और उस धनवान से भी देश रक्षा के लिये पैसा ले, कानून से ले, जबरदस्ती ले और यह कहे कि हम तुम्हें देश के साथ द्रोह नहीं करने देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी को इस बजट के लिये, जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, बधाई देता हूं और यह कहता हूं कि जिन चीजों की आवश्यकता थी इस बजट से उन इंटेन्शन्स का पता लगता है और मैं यह कह सकता हूं कि देश की सुरक्षा के लिये यह सरकार न पीछे रही है और न रहेगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, मैं अपनी पार्टी की तरफ से भाषण दूंगा। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे आध घंटे का समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

अच्छी बात है।

श्री नेकराम शर्मा--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं अगर इस बजट को उसके मूल सिद्धांतों की कसौटी पर कसूं और उस कसौटी पर यह सही उतरे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देने में। लेकिन अगर यह बजट उस कसौटी पर पूरा नहीं उतरता तो मुझे दुख होगा कि हृदय से चाहते हुए भी मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई न दे सकूंगा।

श्रीमन्, हमारे बजट के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें से पहला यह है कि क्लोज बजटिंग होनी चाहिये। यह नहीं कि हम इस वक्त इतना मांग लें और बाद में खर्च न कर पायें और सेविंग हो। यह बैड बजटिंग कहलाती है। तो पहला सिद्धांत यह है कि हमारा बजट जहां तक सम्भव है टु दि क्लोज होना चाहिये खर्च के। दूसरा सिद्धांत यह है कि फ्रीजिंग नहीं होनी चाहिये। कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने रुपया ज्यादा मांग लिया और वर्ष के अन्त में भी खर्च नहीं कर पाये। यह फ्रीजिंग धन का नहीं होना चाहिये। तीसरा सिद्धांत यह है कि क्रिमिनल वेस्ट नहीं होना चाहिये पब्लिक मनी का। चौथा सिद्धांत यह है कि हमारा बजट बेलेन्सिंग होना चाहिये। इस सरकार का यह रिवाज सा पड़ गया है कि डेफिसिट बजट पेश करना और बाद में सरप्लस हो जाना। और डेफिसिट बजट इसलिये पेश करते हैं कि जनता पर टैक्स लगा सकें। अगर डेफिसिट बजट बाद में सरप्लस हो जाय तो यह बजट प्रिन्सिपिल्स के खिलाफ है। पांचवां सिद्धांत है एकोनामी का और पार्लियामेंट्री कन्ट्रोल का। जितना रुपया हमने बजट में दिया है उसका एक-एक पैसा ईमानदारी से खर्च हो। मगर उसका अपव्यय होता है। आडिट रिपोर्ट में आप देखेंगे कि अन्तिम क्वार्टर में यों ही, अनाप-शनाप रुपया खर्च कर दिया जाता है। तो इन चार, पांच मूल सिद्धांतों पर अगर यह बजट सही उतरता है तो ठीक है अन्यथा हम

[श्री नेकराम शर्मा]
प्रार्थना करेंगे कि वित्तमन्त्री जी अपने बजट को रिवाइज करें।

श्रीमन्, जहां तक सेविंग का सवाल है, आप १९६२ की आडिट रिपोर्ट देखने की कृपा करें। १९५६–५७ में १,६८४ रुपया था, टोटल एक्सपेंडीचर १४२.४७ करोड़ सेविंग हुई २५.९४ और परसेंटेज आफ सेविंग १५.४। १९५७–५८ में १८३.३७, टोटल एक्सपेंडीचर १५९.६६, सेविंग २३.७३ और परसेंटेज आफ सेविंग १२.९, १९५८–५९ में १८८.४, टोटल एक्सपेंडीचर १६२.८८, सेविंग २५.१६ और परसेंटेज आफ सेविंग १३.४, इसी तरह से देखिये ५९–६० में १६२.८५, टोटल एक्सपेंडीचर १३३.६६, सेविंग २९.१९ और परसेंटेज आफ सेविंग १७.९। इसी तरह से ६०–६१ में २७३.४९, खर्चा २४७.९४, सेविंग २५.५५ और परसेंटेज आफ सेविंग १०.३। इसी तरह से श्रीमन्, १९५६ से लेकर १९६१ तक हर बजट में सेविंग हुई है और काफी हुई है। इसके अलावा श्रीमन्, एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट्स १९६०–६१ के पृष्ठ ३ से लेकर ९ तक देखें। कैपिटल आउट ले आन एग्रीकल्चर है २,६३, २९,०३४ रुपये और ये ५-६ पृष्ठ में हैं। उसमें करोड़ों रुपयों की सेविंग है। मैं आपको बताऊं कि कहीं १२ लाख की है और कहीं २५ लाख की है और २ करोड़ ६३ लाख की भी सेविंग है। फिर भी हमसे आप टैक्स मांगते हैं। हम कहां से टैक्स दें और क्यों दें? जो देते हैं वह भी खर्च नहीं कर पाते हैं और इधर करोड़ों रुपये की सेविंग होती है। यह कौन से बजट सिद्धांत की बात है। यह जो सेविंग होती है इसके लिये कई कारण हो सकते हैं या तो जो रुपया लिया है वह फीज हो गया है या इनएफीशियेन्सी के कारण व्यय नहीं हो पाता या सरकारी कर्मचारी खर्च नहीं कर पाये। किसकी जिम्मेदारी है? कहीं न कहीं और किसी न किसी पर तो जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिये। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि वे जवाब तलब करें कि हम से रुपया ले लिया गया और उसको खर्च क्यों नहीं किया गया और क्यों रुपया फीज हुआ है?

किस प्रकार रुपये का क्रिमिनल वेस्टेज होता है। इसके सम्बन्ध में २-३ उदाहरण देना चाहता हूं। आडिट रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि हमारे यहां २ करोड़ ३५ लाख की मशीनें आयीं जो खुली तक नहीं। इसी तरह से श्रीमन्, ३० बोन डाइजेस्टर मंगाये गये और ८० प्रतिशत रुपये का पेमेंट कर दिया गया और मशीनें अभी तक प्रयोग तक नहीं हुईं। इसी तरह से पहले प्लान में इर्रीगेशन के सम्बन्ध में देखिये। आडिट रिपोर्ट १९६२ के पृष्ठ ४२ पर देखें श्रीमन्, कि १५ करोड़ ३० लाख रुपये से ३,१५२ ट्यूबवेल बनाने की योजना थी। इसमें १३.८२ करोड़ रुपया वार्षिक का लास हुआ। यह श्रीमन्, कितना क्रिमिनल वेस्टेज है। हमारा किसान व जनता जो रुपया दे रही उसका कितना दुरुपयोग है दूसरी ओर मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि पेट काटो और रुपया दो और वह किस तरह से व्यय हो रहा है, देखें। सेकेंड प्लान में श्रीमन्, १५ सौ ट्यूबवेल बनाने की बात थी ६.५ करोड़ की लागत पर। श्रीमन्, यह आंकड़े मेरे नहीं हैं आडिट रिपोर्ट के आंकड़े हैं। इन ट्यूबवेल्स में १ करोड़ ५७ लाख रुपये वार्षिक का लास हुआ। फर्स्ट प्लान में १३.८२ करोड़ का और सेकेंड प्लान में १ करोड़ ५७ लाख वार्षिक का लास हुआ। और देखिये, जी० आई० स्टील तार के एक फर्म को एक आफिसर महोदय ने २ लाख ६१ हजार १९२ रुपये के सामान का आर्डर प्लेस कर दिया। लगभग ४४ लाख गज वायर आना था। वहां से, २७ लाख गज के करीब आया और उसको ८० परसेंट पेमेंट कर दिया गया। तो यह रुपया श्रीमन्, जिसके लिये हमने लैंड टैक्स लगाया और दूसरे टैक्स लगाये, यह किस तरह से खर्च हो रहा है? माननीय वित्त मन्त्री जी, आप स्वयं अगर इस क्रिमिनल वेस्ट को न रोक पाये तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इस मन्त्रिमण्डल में कोई और व्यक्ति ऐसा है जो इन खर्चों को और इस दुरुपयोग को रोक सके। यह आपके सोचने की बात है।

श्रीमन्, इसके बाद एकोनामी की बात लीजिये। माननीय वित्त मन्त्री जी ने उस दिन एक ब्ल्यू प्रिंट पढ़ दिया कि ८ हजार मथुरा में खर्च रोक दिया, कुछ हजार अलीगढ़ में देना था, वह बन्द कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन का और माननीय नेता विरोधी

दलों और सदस्यों का और उधर के बैठने वाले केशव गुप्त जी का भी यह मकसद नहीं था कि प्लान के रुपये को आप काट दें। एकोनामी का मतलब तो यह था कि जो ब्यूरोक्रेसी आपकी है जिस पर ६० परसेंट आपके बजट का खर्च हो रहा है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उसमें जो बड़ी-बड़ी तनख्वाहें हैं, ५०० रुपये से ऊपर की उनमें आप रिडक्शन करते। उनके जो एलाउन्सेज हैं, टाप हैवी प्रशासन है, सेक्रेटरी–ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऐडीशनल सेक्रेटरी वगैरह के, उसको कम करते। मैं वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्पेशल पे आखिर उनको क्यों दी जाती है। मन्त्री जी खुद २४ घंटे काम करते हैं, उनको कोई स्पेशल पे नहीं दी जाती। ९ सौ रुपये, उनको मिलते हैं और ३ हजार रुपया ये सेक्रेटरीज हैं उनको मिलता है। श्रीमन्, इमर्जेंसी आयी, सारे देश ने रुपया दिया। नौकरशाही पर मेरा चार्ज है श्रीमन्, केवल एक दिन की तनख्वाह उन्होंने कटायी और मैं यह बताना चाहता हूं माननीय वित्त मन्त्री को कि यही नौकरशाही आज रूल कर रही है, मिनिस्ट्री रूल नहीं कर रही है। यह बात मेरी नहीं, बिहार के एक कांग्रेसी एम० एल० ए० की यह भावना है जो बिल्कुल सही है। श्रीमन्, लाइसेंसेज बदले गये पिस्तौल व बन्दूकों के। ला ऐंड आर्डर की जो हालत है वह आप सब जानते हैं और माननीय नवलकिशोर जी भी जानते हैं। हथियार रिन्यू नहीं किये गये और जबर्दस्ती रुपया लाइसेंसों के रिन्यूअल में जनता से वसूल कर लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि किसी आई० ए० एस० या और दूसरे अफसर ने भी अपने हथियार रिन्युअल कराने में रुपया दिया? तो सारी इमर्जेंसी, सारा टैक्स, सारा बर्डेन किसान पर। लड़ाई में भी किसान लड़े, खेत खलियान पर भी वही काम करे और सारा भार उसी पर करों का पड़े और यह नौकरशाही बैठी मौज उड़ाए उनके ऊपर बैठी हुई शासन चलाये और आपको बदनाम कर रही है, आप बदनाम हो रहे हैं और कांग्रेस को जो क्षति पहुंच रही है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं। आपके ऊपर और उन लोगों पर है जिन लोगों ने एक कैबिनेट बना ली है ४५ मिनिस्टर्स की। हम कहते हैं मन्त्रि मण्डल कम करो, साइज कम करो तो गुप्त जी कहते हैं कि नहीं करेंगे, उस पर खर्चा कम होता है। इसी सदन में श्रीमन्, हमने पूछा था कि सम्पूर्णानन्द की मिनिस्ट्री में कितना खर्चा था और आज कितना खर्चा है, मेरे पास फिगर्स हैं और मैं आरोप लगाता हूं गुप्ता जी पर, मैं प्रिविलेज का प्रश्न उठाऊंगा उनके खिलाफ कि उन्होंने गलत बयानी की।

डा० सम्पूर्णानन्द के मन्त्रि मण्डल में ७ मिनिस्टर थे और १ हजार तनख्वाह थी। ७ हजार रुपया महीना खर्चा होता था। इसके अलावा स्टेट मिनिस्टर थे ३, जिन पर ३ हजार रुपया महीना खर्चा होता था। डिप्टी मिनिस्टर ११ थे जिनको ८८० रुपया तनख्वाह थी और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी ६ थे जिनकी तनख्वाह ५०० थी। इस प्रकार से २१,८०० रुपया महीना खर्चा तब होता था। अब आप गुप्ता मंत्रिमंडल को देखिये जो संपूर्णानन्द मंत्रिमंडल को हटाकर आया था और जिसने कहा था कि हम इकोनामी से काम करेंगे, प्राइवेट मोटर पर चढ़ेंगे, सरकारी मोटर नहीं लेंगे, जो शासन में भ्रष्टाचार है उसको समाप्त कर देंगे, हम सारी इकोनामी लायेंगे। बड़ी-बड़ी घोषणाएं थीं, लेकिन अब क्या हो रहा है श्रीमन्, देखें कि इन सारी बातों में किस तरह से इकोनामी हो रही है। १७ मिनिस्टर हैं और उनकी तनख्वाह ९०० लगायें तो देखें कितना खर्चा आता है। स्टेट मिनिस्टर ४ हुए। वैसे कैबिनेट रैन्क के १७ मिनिस्टर हैं लेकिन ये ४ स्टेट मिनिस्टर भी पूर्ण रूप से मंत्री ही हैं तो ये कैबिनेट रैन्क के मिनिस्टर २१ हुए। उस समय स्टेट मिनिस्टर ३ थे और अब केवल कहने के लिये ४ स्टेट मिनिस्टर हैं, लेकिन वे सब कैबिनेट मिनिस्टर हैं क्योंकि उनकी फैसिलिटी और तनख्वाह में कोई अन्तर नहीं है। इस तरह से अब २१ कैबिनेट मिनिस्टर हैं। डिप्टी मिनिस्टर ११ हैं और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी १३ हैं। १३ संख्या अपशकुन है। ये सरकार बहुत दिन नहीं चल सकती। हमने कहा था कि यह मिनिस्ट्री चल नहीं सकती है। इसलिये यह १३ पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी की संख्या जरूर कम की जाय। अब यह खर्च आप देख लें कितना मंत्रिमंडल पर खर्चा आता है।

इसके साथ ही और भी उस सरकार की इकानामी को देखें। मुख्य मंत्री गुप्त जी वोट देने के लिये लखनऊ, यूनिवर्सिटी कार्यकारिणी के चुनाव में आगरे से हवाई जहाज पर चढ़कर

[श्री नेकराम शर्मा]

आए थे और वहां पर क्यू में उनको खड़ा होना पड़ा। हवाई जहाज से सफर और यह इस सरकार की इकानामी का नमूना है। यही नहीं मैं बनारसी दास जी और नवलकिशोर जी से निवेदन करता हूं कि वे जरा देखें कि जिलों में भी हवाई जहाज से दौरा होता है और तब भी टी० ए० और बनता है। इसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर दौरों से कितना रुपया लेते हैं, यह मैं जानता हूं। मेरी इत्तिला है कि एक मिनिस्टर १६ हजार रुपया टी० ए० का इसी मिनिस्ट्री के समय में बनाते हैं। ऐसे भी मिनिस्टर हैं जिन्होंने कम से कम १ हजार और १२०० रुपया बनाया है। ऐसे भी एक मिनिस्टर हैं कि ताली अपने जनेऊ में बांधे फिरते हैं कि कहीं कोई टेलिफोन न कर दे। अब और क्या आपको बताऊं यह सब नमूने हैं किफायतशारी के। एक शादी इटौंजा राज्य में हुई, एक मिनिस्टर की देख रेख में। यहां से नेगी जी ने संकटकालीन अवस्था में कहा था कि ५० आदमियों से ज्यादा का खाना नहीं होना चाहिये। वहां पर मिनिस्टर भी होंगे और डिप्टी मिनिस्टर भी होंगे। उन्होंने देखा होगा कि कितने आदमियों ने खाया और किस तरह से फूड मिनिस्टर के कहने का पालन हुआ। एक शादी यहां लखनऊ में हुई श्रीपति जी के यहां जो इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी हैं। उसमें बनारसीदास जी मौजूद रहे होंगे। मुख्य मन्त्री जी भी रहे होंगे। वहां पर फूड मिनिस्टर की अपील का कितना पालन हुआ यह वे बता सकते हैं। जो खाने के लिये खाद्य मंत्री की प्रार्थना थी उसका कहां तक पालन हुआ? आप समझे? जब कि आज के समय में स्टेट आफ इमरजेन्सी है तो माननीय खाद्य मंत्री की प्रार्थना कहां चली गई? दोनों शादियां मंत्रियों के यहां या देख रेख में हुईं।

श्री बनारसीदास--

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर दावत हुई थी जिस पर वह आपत्ति कर रहे हैं? उसमें जो कुछ नेगी जी ने कहा क्या श्रीपति जी के यहां कोई उसके विरोध में बात हुई? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुप्ता जी ने या किसी मिनिस्टर ने किसी सूरत में वहां पर कोई भोजन नहीं किया।

श्री नेकराम शर्मा--

मैं बनारसी दास जी से, जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस तरह से यह शासन नहीं चल सकता है। आज हम जानते हैं कि इस प्रदेश का शासन तीन आदमी चला रहे हैं। चन्द्रभानु गुप्त, बनारसी दास अग्रवाल और नवलकिशोर गुप्त और एक चौथे शिव प्रसाद जी गुप्त हैं जो मुख्य मंत्री के रिश्तेदार हैं। ये ही इस मिनिस्ट्री को चला रहे हैं। हो सकता है न खाया हो मैं तो वहां पर था नहीं लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मिनिस्टर पालिसी पर स्टेटमेन्ट दे और फिर वह इस तरह से शादी में शामिल हो तो यह कहां तक उचित है? हो सकता है चाय हुई हो लेकिन अधिष्ठाता महोदय, आप भी वहां पर जरूर होंगे क्योंकि आप अधिष्ठाता हैं। मैं अब इन बातों को आप पर ही छोड़ता हूं। इस बजट ६३-६४ के वाल्यूम ४ में मिनिस्टरों के खर्चे का ट्रेंड देखिये। हमारे २१ मिनिस्टरों पर ६१-६२ में १ लाख ९३ हजार खर्च हुआ ६२-६३ में २ लाख १६ हजार, ६३-६४ में २ लाख ५२ हजार। इसी तरह से डिप्टी मिनिस्टर ११, उन पर ६१-६२ में ६६ हजार ९ सौ, ६२-६३ में ७० हजार २ सौ और ६३-६४ में ८५ हजार ५ सौ। तो खर्चे का ट्रेंड बढ़ रहा है, यह स्पष्ट है। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी १३ हैं। उनकी तनख्वाह तो ५ सौ रुपये महीने लेकिन टेलीफोन का खर्चा धोबी का खर्चा, ६ अखबार, और न जाने क्या क्या। मैं माननीय हुकुम सिंह जी से कहूंगा, वे हमारे वयोवृद्ध नेता हैं वे कम से कम ये अखबार लेना बन्द कर दें अगर पढ़ना है तो अपने पैसे से पढ़ें। यह क्या तमाशा है, धोबी की धुलाई बिजली का पैसा, पेट्रोल का पैसा, कार का पैसा, माली का तनख्वाह हवाई जहाजों का खर्चा सब कुछ खर्चा जनता के पैसे पर हो रहा है। और फिर यह कहा जाय कि डाक्टर संपूर्णानन्द के जमाने में ज्यादा खर्चा था। मैं पर्दे को उठा देना चाहता हूं।

एलाउंसेज को देखिए। ६१–६२ में यह १ लाख ३६ हजार रुपया था, बाद में ६२–६३ में कुछ कम हुआ लेकिन ६३–६४ में १ लाख ६० हजार।

कार के लिये इस साल ५ नयी कारें खरीदी जा रही हैं। हमसे कहा गया कि कारें छोटी हम रखेंगे। हमने कहा कि बड़ी कारें मत बेंचो छोटी कारें ज्यादा चलती नहीं हैं। लेकिन गुप्ता जी ने अपने कुछ लोगों को सप्लाई करने के लिये बड़ी-बड़ी कारें बेंच दीं और छोटी-छोटी कारें ले लीं। नतीजा यह हुआ कि वह पैसा बेकार गया, अब फिर कारें खरीदो। छोटी कारें चल नहीं पातीं।

हमारे वयोवृद्ध नेता हुकुम सिंह जी हैं। उनको बड़ी कोठी से हटाया गया और अब उस बड़ी कोठी में कौन रह रहे हैं माननीय हर गोविन्द सिंह जी। वयोवृद्ध नेता को वहां से लाकर दारुलशफा में पटक दिया। कहा यह गया कि पुलिस गार्ड शैडो कुछ नहीं रहेंगे। लेकिन मैं यह जानना चहता हूं कि आज वह सब घोषणायें कहां हैं? सब बातें ज्यों की त्यों चल रही हैं।

नवल किशोर जी ने कहा था कि टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है। आज कहां गया उनका वह भाषण। भत्ते और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। गुप्ता जी तो अकेले मिनिस्ट्री चला सकते हैं, चला भी रहे हैं। ठीक जिस तरह से हिटलर, रिबनट्राप और गोबेल्स हिटलर का शासन चलाते थे उसी तरह से तीन आदमी यहां हुकूमत चला रहे हैं बाकी मिनिस्टर्स तो हमारी ही तरह हैं। राममूर्ति जी अच्छी सलाह देते हैं लेकिन उनकी कोई मानता ही नहीं और इसीलिये वह यहां बैठते थे अब कुछ दूर बैठने लगे हैं। मैंने इस हाउस में कहा था कि जैसे तीन आदमी डाक्टर संपूर्णानन्द की मिनिस्ट्री चलाते थे वैसे ही तीन आदमी आज गुप्ता जी की मिनिस्ट्री चलाते हैं। यह भी जाने वाली है। तीन व्यक्ति डा० संपूर्णानन्द के मंत्रिमंडल को ले बैठे और ये तीन व्यक्ति गुप्त मंत्रिमंडल को ले बैठेंगे। बचाना चाहते हो तो जल्दी बचाइये।

हां, तो मैं सेविंग्ज और डेफिसिट बजटिंग की बात कह रहा था। ५६–५७ में ९ करोड़ का डेफिसिट था और जब ऐक्चुअल आया तो वह था १२ करोड़ का सरप्लस, ५७,५८ में डेफिसिट था ११.६ करोड़ का जो एक्चुअल में सरप्लस हो गया ५१ करोड़। ५८–५९ में डेफिसिट था ४ करोड़ ५४ लाख और बाद में ऐक्चुअल्स में सरप्लस हो गया १ करोड़ ९ लाख। १९५९–६० में डेफिसिट था १.८० करोड़ और सरप्लस हो गया १.४० करोड़। १९६०–६१ में डेफिसिट था २.३३ करोड़ और सरप्लस हो गया ४.०४ करोड़ १९५७ से १९६१ तक सारे बजट डेफिसिट पेश किया गये और अन्त में सब सरप्लस हो गये। यह है टैक्सेशन के लिये रास्ता तमाम बजटिंग और एस्टीमेट्स उल्टे सीधे होते हैं और मुझे जानकारी है कि इस १९६२ में भी ३७ करोड़ की सेविंग होने वाली है। मैं चार्ज करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कि २१ करोड़ रुपया हमारा वह वसूल नहीं कर रहे हैं। ५ अरब का कर्ज है हम पर। मैं ठाकुर साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारे असेट्स कितने हैं? हम जानना चाहते हैं कि उनके वेल्युएशन क्या हैं। स्टेट के असेटस का कोई लेखा जोखा नहीं होता। चार्ज करता हूं मैं चीफ मिनिस्टर को मिनिस्ट्री का साइज बड़ा होने के लिये, इकानामी न करने के लिये, रिकवरी करने में असफल होने के लिये, उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण न करने के लिये और इस प्रदेश की जनता को रोजगार देने के लिये। बेरोजगारी की इतनी भयानक समस्या बन गयी है लेकिन उसके लिये इस बजट में कोई प्राविजन नहीं। विद्यार्थी जो पास होकर निकलेंगे या युवकों को रोजगार देने का कोई प्रोवीजन नहीं किया गया इस बजट में। पी० आर० डी० को हम बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके कमांडर बनाये गये हैं पुलिस अधिकारी। बनाना चाहिये था किसी मिलिटरी के रिटायर्ड जनरल को, लेकिन पुलिस के अधिकारी मातहत रह चुके हैं इसलिये वे डरते रहेंगे। कैरों साहब यहां आये तो उन्होंने कहा कि यहां तो इमरजेंसी मालूम ही नहीं पड़ती। यहां क्या हो रहा है? (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे १० मिनट का समय और दे दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

(एक सदस्य के खड़े होने पर) मैंने आपको बोलने के लिये नहीं बुलाया। आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

बाजे बजते देखकर उन्होंने कहा कि क्या मेरी शादी होने जा रही है। यह सरकार, श्रीमन्, कैपिटलिस्ट से सेल्स टैक्स वसूल करने में असफल रही है। डयूज वसूल करने के लिये आज तक लास्ट डेट फिक्स नहीं कर सकी, बराबर यही कहती रही है कि जल्द से जल्द वसूल कर लिये जायेंगे लेकिन वह वसूल नहीं हो पा रहे हैं। रिटायरमेंट की उम्र ५८ से घटा कर ५५ कर दी मुख्य मंत्री ने, जब कि केन्द्रीय सरकार का निर्णय है कि ५५ से ५८ कर दी जाय। अफसर लोग खामखाह उनकी हां में हां करेंगे इसलिये कि उनको एक्सटेंशन मिल जाय। मैं दुबे जी से इत्तफाक नहीं करता कि उनकी नीयत ठीक है। अगर नीयत ठीक होती तो उनकी पालिसीज ठीक होती। उनकी नीयत है कुनबापरस्ती की, नेपोटिज्म की, फेवरटिज्म की है। आज ५८ साल अवकाश की उम्र की घोषणा आप इसलिये नहीं कर रहे हैं जिससे सर्विसेज डिमोरलाइज रहें और मुख्य मंत्री के इशारे पर नाचती रहें। अपने गुट को मजबूत करो और जो समर्थन न करे उसको मिटाओ इस दृष्टि से काम करो। हम जो कोआपरेशन कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि यह देश और प्रदेश किसी की बपौती नहीं है, इसके लिये हम लड़ेंगे और मरेंगे इसलिए हम कोआपरेशन देते हैं। आज कलेक्टरों के यहां जाकर मंत्रिगण चाय पीते हैं और खाना खाते हैं और वहां चर्चा होती है चुनावों में हार जीत की। कांग्रेस क्यों हारी? पुल और मार्ग जिलाधीशों के नाम से निर्माण होते हैं। पुल और मार्ग अधिकारियों के नाम से न रक्खे जावें। आज इस सरकार ने प्राहीबीशन की स्कीम को स्क्रैप कर दिया, गांधी जी और कांग्रेस की नीति को स्क्रैप कर दिया। माननीय गुप्ता जी ने और बनारसी दास जी ने कांग्रेस पार्टी से सलाह तक न ली इस संबंध में। इस समय देश को खतरा है खतरे के समय हम आप की सही नीतियों के साथ हैं। हमने कहा कि जो आप यह कदम उठा रहे हैं तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। विदेशी शराब पर जो लाइसेंस की प्रथा है वह बंद कर दी जावे। मैंने बताया कि विदेशी शराब का आक्शन नहीं होता उसका होना चाहिये। उसमें बहुत पैसा मिलेगा। परन्तु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फेवरटिज्म की वजह से यह लाइसेंसेज दिये जा रहे हैं और विदेशी शराब का नीलाम नहीं हो रहा है। यह बिलकुल गलत पालिसी है। हमको खत्म करना है। आप देशी शराब का आक्शन करते हैं विदेशी शराब का भी आक्शन आपको करना चाहिये।

श्रीमन्, चर्चा हो रही थी कि यह बताइये कि यह मुख्य मंत्री जी न तो लेजिस्लेचर हैं, न राइटर हैं और न डिबेटर हैं, कैसे पावर में आगये। एक साहब ने कहा कि यह इन्टेग्रेटर गेगेस्टर हैं मैंने कहा कि यह सब गलत है तो मुख्य मंत्री जी एक बहादुर आदमी हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान में सबसे पहले यह घोषणा की थी कि हम तिब्बत पर कब्जा करेंगे। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वह ऐसा करें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी को गेस्टर कहा गया है। क्या यह शब्द संसदीय है।

श्री नेकराम शर्मा—

इसको प्रोसीडिंग में देख लीजियेगा, वे मेरे शब्द नहीं हैं। मैं जानता हूं क्या संसदीय है। इंगलैण्ड में संसदीय शिक्षा प्राप्त की है। काफी हाउस में कुछ व्यक्ति चर्चा कर रहे थे, उसको सुना रहा था।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, यह प्रोसीडिंग में देख लिया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, काफी हाउस में यह चर्चा हो रही थी। मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वहां पर आपको बताऊं कि मैंने अपने मुख्य मंत्री जी को डिफेंड ही किया था। मैंने उनको वहां पर

बहादुर बताया है कि जिसने तिब्बत के लिये लड़ाई लड़ने का संकल्प किया है, यह वह व्यक्ति हैं मैंने उनको गैंगेस्टर कभी नहीं कहा है। यह बिल्कुल गलत बात है। मैं तो मुख्य मंत्री जी को डिफेंड करते-करते मरा जाता हूं। मैं तो चाहता हूं कि वे शीघ्र भारत के प्रधान मंत्री बनें जिससे तिब्बत पर हमला कर सकें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नेकराम शर्मा—

आप देखें कि हम फेल हो गये हैं, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में। विधान में प्रारम्भिक शिक्षा को कम्पलसरी कर दें। अब इस संबंध में कहां तक पहुंचे हैं सभी सदस्य जानते हैं, यह उद्देश्य है आज हम सभी लोगों के सामने। श्रीमन्, बजट का मेन एम क्या होता है? वह यह होता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारा उद्देश्य है समाजवादी व्यवस्था की स्थापना। हमने जो सोशल आब्जक्टिव तय किया था और जो हमारा सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी का ध्येय था, वह देखना है कि इस बजट से पूरा होगा या नहीं। क्या राष्ट्रीय आय बढ़ी कि नहीं या जनता का स्तर ऊंचा हुआ है या नहीं? इन बजटों से हमारा जो सामाजिक उद्देश्य है वह प्राप्त हो रहा है या नहीं? बेरोजगारी को हम कहां तक हटाने में सफल हुए हैं? और इकनामिक पावर का उचित डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं इन्हीं सब आबजेक्टिव को प्राप्त करने के लिये प्लान बनाये जाते हैं और बजट पेश किये जाते हैं। मेरी समझ में तो प्रदेश की राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ी है, जितनी बढ़नी चाहिये। पता नहीं नेहरू जी कहते हैं कि बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय कहां चली गई। जो थर्ड फाइव ईयर प्लान की प्रगति रिपोर्ट है लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन घटा है। उसमें है कि प्रोडक्शन फूड का घटा है। उसमें यह भी स्वीकार किया गया है कि जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की जो रिपोर्ट है उसमें फूड, शुगर आदि इन सब चीजों का उत्पादन घटा है। हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट घटा है। प्रोडक्शन हमारा घट रहा है और हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ नहीं रही है। प्रोडक्शन के घटने के साथ ही साथ हमारे टारगेट एचीव नहीं हुए हैं।

श्रीमन्, आप देखें कि 'अंग्रेजों के जमाने में तो जनता का खून ही चूसा गया था परन्तु इस गुप्त सरकार के जमाने में तो जनता की हड्डी तक चूसी जा रही है। यह बनारसी दास जी का जमाना ऐसा है कि जिसमें जनता का खून और हड्डी दोनों ही चूसे जा रहे हैं। हमारे श्री गोविन्द सहाय जी ने जन मनोबल को बढ़ाने की बात पर बहुत जोर दिया है। उनको कांग्रेस वालों को भी समझना चाहिये कि नेहरू जी के विरुद्ध जो आन्दोलन है, उसे रोकें। उनके भाषण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं तो यह कहता हूं कि इस समय देश में नेहरू जी की पालिसी पर चलना चाहिये। मैं तो कहूंगा कि देहात में आपको जाकर आज एक नयी चेतना जगानी है नेहरू जी के पक्ष में, वहां पर जनता को सचेष्ट करें। परन्तु यह सब नहीं हो रहा है। इस पर आपको विचार करना चाहिये।

कम्युनिस्ट पार्टी और प्रजा समाजवादी पार्टी में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन सभी तो नेहरू जी के साथ हैं। मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं कि यह जो उधर के बैठने वाले हैं, यह कोई भी आपके सच्चे साथी नहीं हैं। यह वक्त आने पर सब आपको धोखा दे देंगे। वह देखिये जिस तरह से माननीय ठाकुर हुकुम सिंह कैद हुए बैठे हैं, वह भी इसी श्रेणी में आते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि यदि आपको सोशलिज्म को लाना है तो पहले तो आपको वास्तविक और शक्तिशाली समाजवाद लाने वालों का संगठन करना होगा। ताकि जो सोशलिज्म का स्वरूप है उसको हम सब जिन्दा रख सकें। किन्तु आपको खतरा है कि यदि आप नहीं करेंगे तो जो आपके साथ चलने वाले हैं वह भी डूब जायेंगे और आपका दल कमजोर हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह इनएफिशियेंसी और नादिरशाही को और अधिक न बढ़ने दें और गुटबन्दी को

[श्री नेकराम शर्मा]

समाप्त करने की कोशिश करें जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थित बदल सकें। इसके लिये उन्हें चाहिये कि कुछ काम करें। यदि ऐसा करने में वे असफलता का अनुभव करें, तो मैं यह चाहूंगा कि इस सरकार को स्तीफा देने में देर नहीं करनी चाहिये। यहां पर किसी और की सरकार बननी चाहिये।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता, महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये आपके सामने खड़ा हुआ हूं। इस बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह की राजस्व प्राप्ति व व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, वह इतने अनुभव से और उत्तर प्रदेश सरकार के ओल्ड स्टेट्समैन के नाते जो तजुर्बा है और राज्य के संचालन के लिये जो उनमें योग्यता है, वह उसका परिचायक है। बजट में ४ करोड़ ९७ लाख का डिफिसिट बताया गया है। श्रीमन्, इस वित्त भाषण को पढ़ने से हमें यह मालूम हुआ कि हमारे प्रदेश की एग्रीकल्चरल कमेटी ने नेशनल इमरजेन्सी को देखते हुये, और, और बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके, अपने क्या सुझाव दिये हैं और किन-किन मदों की आवश्यकता पर जोर दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि उत्पादन और सिंचाई तथा औद्योगीकरण के संबंध में जो आंकड़े रखे गये हैं तथा नेशनल डिफेंस के सिलसिले में जो आंकड़े रखे गये हैं उनको देखने से यह पता चलता है कि इससे और अच्छा बजट कोई हो ही नहीं सकता था। वर्तमान परिस्थितियों में, इससे और उम्दा बजट की कल्पना की ही नहीं जा सकती थी और कोई दूसरी सरकार ऐसा बजट ला भी नहीं सकती थी।

मैंने नेता विरोधी दल की स्पीच को सुना। उन्होंने आलोचना नहीं की, कमियां बतलायीं। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, उनकी कमियां बतलाना चाहता हूं। आज जनता में इस बात का बड़ा क्षोभ है कि विरोधी दल के नेता ने अब तक साल भर में कोई रचनात्मक सुझाव पेश नहीं किये और जनता के मनोबल को बढ़ाने वाले कार्य नहीं किये। जनता ने विरोधी पक्ष को इस कारण चुन कर भेजा है कि वे यहां आकर कुछ रचनात्मक सुझाव पेश करें। ऐसा न देख कर जनता में उनके प्रति महान क्षोभ है। जनता आज यह कह रही है कि विरोधी पक्ष ने अपनी ड्यूटी को पूरे तरीके से अन्जाम नहीं दिया। जब मैं बाहर दौरे पर जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि अखबारों में हमने पढ़ा कि विरोध पक्ष के लोग उल्टी बात करते हैं और विधान सभा का कार्य संचालन नहीं होने देते, क्या बात है। वे उनके कार्यों पर पश्चाताप करते हैं। मैं जनता की भावना को सच्चे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज जनता इस निश्चय पर पहुंच चुकी है कि विरोधी दल को कम किया जाय और उसकी जन-प्रिय सरकार की शक्ति को बढ़ाया जाय क्योंकि यही सरकार जनता का हित कर सकती है। विरोधी पक्ष रचनात्मक सुझावों के बजाय विध्वंसात्मक आलोचना करते हैं। स्वतंत्र पार्टी के एक स्वतंत्र उम्मेदवार ने अभी कहा मिनिस्ट्री बहुत लम्बी है, इसे बरखास्त कर दो, ब्योरो-क्रेसी बहुत लम्बी चौड़ी है, इसे बरखास्त कर दो, तो क्या स्वतंत्र दल के नेता को इस उत्तर प्रदेश का चार्ज दे दिया जाय ? और यह प्रदेश जहन्नुम में चला जाय ? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यह किसी पर लान्छन नहीं है, कि ठाकुर हुकुम सिंह जी जैसे तजुर्वेकार राजस्व मंत्री, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी जैसे वित्त मंत्री, माननीय नेगी जी जैसा तजुर्वेकार खाद्य मंत्री, ठाकुर हरगोविन्दसिंह जी जैसा नियोजन मंत्री, तथा और भी लोग इस सरकार में हैं, आपकी तरफ कोई १८० की संख्या में जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की हैसियत का भी इंसान हो ? आप पहले ऐसे आदमी तो अपनी तरफ पैदा कीजिये।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, हर दरबार में हंसी के लिये विदूषक होते हैं, लेकिन सदन म जरा शांति रहे।

श्री जे० पी० मिश्र––

अब मेरा समय दो मिनट बढ़ा दीजियेगा अधिष्ठाता, महोदय ।

अधिष्ठाता महोदय, दूबे जी की एक बात मेरी समझ में आयी और उसे मैंने बड़ा पसन्द किया । उनका यह कहना है कि अब गरीब जनता के ऊपर सरकार कोई टैक्स न लादे । मैं भी इस बात को मानता हूं । उनका यह भी कहना है कि पूंजीपतियों पर टैक्स बहुत बाकी है, इसको भी मैं मानता हूं । लेकिन श्रीमन् के द्वारा मेरा कहना यह है कि अंग्रेजी जमाने में उत्तर प्रदेश के ताल्लुकेदारों, राजे रजवाड़ों ने जिस तरह से किसानों का खून चूसा है और रहने के लिये लाल-लाल किले बनवा कर करोड़ों और अरबों की दौलत जमा कर रखी है, राजस्व मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उनकी उस दौलत को वे जब्त कर लें और साथ ही उनसे मेरा यह निवेदन है कि अभी पिछली बार जो ५ करोड़ रुपये किसानों पर लागान बढ़ाने का लैंड सरचार्ज विधेयक हमने पास किया है उसे विदड्रा कर लें । उस ५ करोड़ रुपये के लिये इन ताल्लुकेदारों के पास जो हजारों और लाखों बीघे जमीन नाजायज तौर से फर्जी नामों में पड़ी है, हर एक के पास २५ से ४० एकड़ तक जमीन रहे कुल जमीन पर सरकार लगान तिगुना कर दे और किसान के बजाय इनसे ५ करोड़ रुपया वसूल करे । मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी इस बात के लिये तैयार है कि ताल्लुकेदारों पर तिगुना लगान कर के लैंड सरचार्ज ऐक्ट को वापस ले लिया जाय ।

(व्यवधान)

दूसरी बात मुझे बहुत सफाई के साथ यह कहनी है और आपके द्वारा एक स्कीम भी सरकार को देनी है । नेशनल इमर्जेन्सी अभी हिंदुस्तान में जारी रहेगी । (व्यवधान)

मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आज नेशनल इमर्जेन्सी के संबंध में अपने प्राइम मिनिस्टर का बयान पढ़ने से मेरा यह अन्दाजा है कि चीन, कोलम्बो प्रस्तावों को मानने के लिये किसी कीमत पर तैयार नहीं है । इसका यह मतलब है कि चीन के साथ हिन्दुस्तान को लड़ना पड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, और उस हद तक लड़ना पड़ेगा जब तक हम इस देश की एक एक इंच भमि आक्रमक चीन से वापस न ले लें । प्राइम मिनिस्टर के बयान से मैं यही समझ पाया, औरों ने चाहे जो कुछ समझा हो । मेरा यह निवेदन है कि इस उत्तर प्रदेश में जहां की आबादी करीब ८ करोड़ है, ५० लाख की आबादी के ऊपर एक कैबिनेट मिनिस्टर है, ५४ जिले हैं, २ जिले के ऊपर एक कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिये । इस तरह से हमारे यहां २७ कैबिनेट मिनिस्टर होने चाहिये । उधर से जो बार-बार मिनिस्ट्री की साइज को घटाने की मांग की जाती है वह सिर्फ प्रीजिड्यूस्ड होने की वजह से है बल्कि मैं यह जानना चाहता हूं कि इतना कम एक्सपेंडिचर इतनी बड़ी आबादी के किसी संसार के देश या प्रदेश में नहीं है । संसार के दूसरे मुल्कों में उनका कितना टाप हैवी एक्सपेंडिचर मंत्रिमंडल पर होता है । मैं समझता हूं कि जो वह कहते हैं उससे मतलब उलटा होता है, उनका मतलब घटाने से यह है कि इसको और बढ़ाया जाय ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । अभी हमारे स्वतंत्र दल के माननीय सदस्य ने कुछ कहा, ऐसा मालूम हुआ कि वह कुछ प्वाइंट्स कहीं से कल रात ही सीख आये, मैं नाम तो नहीं बता सकता बाकी वह सब इम्पार्टेंट प्वाइंट्स रहे, वे उनके स्वयं के नहीं थे, उन्हीं को उन्होंने यहां कह दिया, उनका हम ने कोई दूसरा व्यू भी नहीं लिया, वह किसी दूसरे के शब्द ही यहां कह दिये हैं अपनी निजी बात उन्होंने नहीं कही । उनका नाम नहीं लेता .....।

श्री नेकराम शर्मा––

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या यह वांछनीय होगा कि यहां कोई माननीय सदस्य यह कहें कि कहीं से प्वाइंट लेकर आये हैं और बोल रहे थे ।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप अपना स्थान ग्रहण कर, यह अवैधानिक तो नहीं है लेकिन अशोभनीय अवश्य है, मैं नहीं चाहता कि सदन में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाय ।

श्री जे० पी० मिश्र--

आपने श्रीमन्, इससे भी अशोभनीय बातें इसी सदन में सुनी हैं और हमने भी सुनी हैं लेकिन हमने कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं रेज किया, चेयर पर हमला, व्यक्तिगत आक्षेप और इलजामात और निहायत गलत तरीके से बातों को पेश करना यह आदत है । कोई डिप्टी मिनिस्टर बिजली का पैसा नहीं लेता, कोई किसी तरह की रियायत नहीं लेता और कम से कम खर्च इस प्रदेश की मिनिस्ट्री पर आज होता है । दूसरे देशों में इतनी आबादी पर न मालूम कितना व्यय होता है मिनिस्ट्री पर । ग्रेट ब्रिटेन में ही कितनी थोड़ी आबादी है और ७५ की मिनिस्ट्री है, चौगुनी यहां से वहां की मिनिस्ट्री , लेकिन अजीब-अजीब बातें यहां कह दी जाती हैं ।

यह बजट तो एक साल भर की कल्पना है । उचित तरीके से वित्तमंत्री ने अपने जिम्मेदार साथी मंत्रियों के मशवरे से जनता के सामने १९६३-६४ के आर्थिक कार्यक्रम को पेश किया है । इसमें क्या कमी है ? एक बात अवश्य मैं निहायत अदब से नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आल इंडिया नेशनल कांग्रेस जिसका मैं सदस्य हूं उसने सोशलिज्म के आबजेक्टिव को माना है और उसके अनुसार दूबे जी की बात से मैं सहमत हूं कि अब किसानों पर आगे कोई टैक्स का बोझ न डाला जाय । मेरी मांग है कि जो पूंजीपतियों पर बकाया है उसको वसूल करने का तरीका हमें तेजी से और मजबूती से सोचना होगा और उसको अमल में लाना पड़ेगा । तभी हम यह ४ करोड़ ९७ लाख का डेफिसिट पूरा कर सकते हैं और सर्वसाधारण को किसी तरह से नये टेक्सेज से बचा सकते हैं । अगर वह बकाया की पूरी रकम इस साल में न वसूल कर सकें तो ४ करोड़ ९७ लाख रुपया जो डेफीसिट दिखाया गया उसको पूरा करने के लिये अवश्य वसूल कर लें । माननीय दूबे जी ने अपने भाषण में कहा समाजवादी सरकार इस प्रदेश की सरकार को । तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उन्होंने हमारी तारीफ की बात नहीं की । हमारा दावा है कि हम समाजवादी ढांचे की सरकार इस देश और प्रदेश में स्थापित करने का लक्ष्य स्वीकार कर चुके हैं और साथ ही साथ उस किस्म का कार्यक्रम प्रदेश में नहीं लाना चाहते जिससे यहां बदअमनी की समस्या बढ़े । हमारा कदम रोज ब रोज उस तरफ बराबर बढ़ रहा है ताकि यहां समाजवाद की स्थापना बहुत तेजी से और मजबूती से होती रहे । मैं विरोधी दल के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति में आप कृपया अपना सहयोग प्रदान करें और आप देखेंगे कि तृतीय योजना के समाप्त होने पर प्रदेश की जनता की भुखमरी, बेरोजगारी आदि में कितनी कमी आती है ।

कृषि के उत्पादन की तरफ मंत्री जी ने सबसे बड़ा कदम उठाया है, अभी तक एक हफ्ते पहले दो बड़े जरूरी कानून सिंचाई, पानी और भूमि संरक्षण के सिलसिले में पास हो चुके हैं । मैं कहना चाहता हूं आपकी विध्वंसात्मक आलोचना के रहते हुए हम क्या सीखें ? आप हमें मश्विरा क्या देते हैं कि सरकार क्या करे ? अगर ४, ६ साल के गड़े तथा कथित मुर्दे उखाड़ना ही आपका लक्ष्य है तो हम सुनेंगे क्योंकि डेमोक्रेसी है । आप उनको उखाड़ेंगे और हम उनकी तरदीद करेंगे । अगर यही काम चलता रहा तो इससे काम बनने वाला नहीं है । मैं उम्मीद करूंगा कि जो विरोधी पार्टी इस देश के शासन को संभालने का इरादा रखती है उसकी तरफ से प्रदेश की जनता के सामने इस किस्म के ठोस सुझाव आयें ताकि उनके मनोबल में तरक्की हो, विरोधी पक्ष में जनता का विश्वास बना रहे । और अगर कहीं विश्वास खो दिया तो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का भगवान मालिक है । इसलिये मैं विरोधी दल के लोगों से कहना चाहता हूं जो आप २४, ३२ घंटे जो इस बहस में लेना चाहते हैं उनमें आप रचनात्मक सुझाव लाइये और चुनाव वाली बात न कीजिये तो ज्यादा अच्छा होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बजट साहित्य को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसमें दो प्रमुख बातें कही गयी हैं और तो सब वैसा ही है जैसा कि हमारे माननीय मिश्र जी ने, जो कि शायद, अगर मैं उनको यह कहूं तो गलत न होगा कि राज दरबार में पुराने जमाने में बादशाहों के एक विचित्र प्रकार के जीव हुआ करते थे, उसमें से हैं, कहा कि घिसी पिटी बातें हैं,

तो और तो सब वाकई घिसी पिटी बातें हैं इसमें कोई संदेह नहीं । पहली नयी बात तो मितव्ययिता की है और दूसरी सुरक्षा की । अब वे नयी हैं या नहीं, यह बात तो दूसरी रही मगर अपनी तरफ से बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने इन्हीं दो बातों पर अधिक बल दिया है ।

सबसे पहले मैं मितव्ययिता के ऊपर कुछ निवेदन करूंगा कि अगर मितव्ययिता की गयी है तो किस प्रकार की । हम लोगों को जो बजट का साहित्य मिला है इसमें माननीय वित्त सचिव के स्मृति-पत्र से मालूम पड़ता है कि किन-किन विषयों में कितनी-कितनी मितव्ययिता की गयी है । माननीय वित्त मंत्री के भाषण से तो ऐसा मालूम पड़ता था कि बहुत सारी बचत की गयी है मगर इसको देने के बाद कुछ दूसरी ही बातें मालूम पड़ती है । एक चीज देखने से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । अभी परसों नरसों की बात है, एक कोई प्रश्न था जिसमें यह कहा गया था कि मंत्रिमंडल का खर्चा बढ़ गया है । उस पर माननीय उग्रसेन जी ने कुछ उग्र प्रश्न किये । उस पर माननीय मंत्री जी ने उसी उग्रता के साथ उत्तर दिया कि यह बिल्कुल गलत बात है, मंत्रिमंडल का खर्चा नहीं बढ़ा है । जहां तक मेरी स्मरण शक्ति काम करती है यही उत्तर उन्होंने दिया था कि पिछले मंत्रिमंडल से इस समय का खर्चा मंत्रियों पर अधिक नहीं हुआ है हालांकि पल्टन बढ़ गयी है । परन्तु मैं माननीय वित्त सचिव को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने असलियत नहीं छिपाई है । इस मेमोरंडम के पृष्ठ ५३ को अगर देखा जाय तो माननीय वित्त सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है सामान्य प्रशासन शीर्षक के अन्दर कि मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों की संख्या बढ़ाने तथा मंत्रियों की कारें चलाने के व्यय में वृद्धि होने के कारण २३४ की वृद्धि हुई है । अब यह २३४ हजार हो या जो हो । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय मिश्रजी या उस कोटि के लोग अगर ऐसी बातें कह गये किसी को प्रसन्न करने के लिये, किसी के हृदय में स्थान पाने के लिये तो क्षम्य था । मंत्रियों में भी छोट भैय्या मंत्री अगर कोई ऐसी बात को कहे होते तो भी क्षम्य था, लेकिन मुख्य मंत्री जी के मुख से यह बात निकली कि खर्चा नहीं बढ़ा । मगर माननीय वित्त सचिव ने अपने स्मरण-पत्र में स्पष्ट लिखा है कि खर्चा बढ़ गया है मंत्रियों के दौरों पर, उनके भत्ते में । अगर मैं भूलता नहीं हूं तो हमारा जहां तक ध्यान है माननीय उग्रसेन जी ने इस भत्ते पर ही प्रश्न किया था, तनख्वाहों पर नहीं किया था क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने कह दिया था कि सभा सचिव अवैतनिक हैं । इससे इनकार किया गया । इस प्रकार की जो चीज हुई है, उसके लिये मैं क्या कहूं । एक मुख्य मंत्री के लिये अत्यंत अशोभनीय है ।

श्रीमन्, इसी स्मरणपत्र के देखने से कुछ चीजें और मालूम पड़ती हैं कि खर्चे में कहां-कहां कमी की गई है । जनस्वास्थ्य में कमी की गई है । इसमें आदमी नहीं मिल रहे हैं इसलिये योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है । इसलिये खर्चे की कमी हुई है और इसी शीर्षक में है लखनऊ का जो बांध बन रहा है, मेरी समझ में नहीं आया और शायद किसी सदस्य की समझ में न आये कि बालू फेंकने और बांध बनाने से जनस्वास्थ्य का क्या वास्ता है ? इसके पृष्ठ ९५ पर देखिये "मुख्यतः लखनऊ के गोमती बांध की मरम्मत के संबंध में किये गये दायित्वों के लिये मरम्मत के अन्तर्गत २२३ की व्यवस्था की गई है ।" इससे क्या वास्ता है, इसको राज्य सरकार चलाने वाले मंत्रिगण समझें या भगवान समझें और किसी की समझ में आने वाली चीज नहीं है क्योंकि बांध बनाने और जन स्वास्थ्य का कोई संबंध मेरी समझ में नहीं आया ।

श्रीमन्, चेचक और मलेरिया उन्मूलन की योजना में कमी हुई है । इसी सदन में प्रश्नोत्तर के समय कहा गया है कि इसका प्रकोप प्रदेश में बहुत फैल गया है और हजारों की संख्या में लोग मर गये । इसके लिये बजट में मितव्ययिता की गई है । श्रीमन्, जो इसके अतिरिक्त मितव्ययिता सहकारिता विभाग में हुई है । प्रश्नोत्तर के समय जो माननीय सदस्य उपस्थित रहते हैं वे बता सकते हैं और उसके कारण यदि इसको गबन विभाग कहा जाय तो अतिश्योक्ति नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा गबन के मामले इसी विभाग से निकल कर आते हैं । इस विभाग में कमी की गई है और किस जगह की गई है, यह देखने की चीज है । गबन विभाग में लेखा परीक्षकों की कमी की गई है । इसे मंत्री जी जानें या भगवान जानें मैं कुछ नहीं कह सकता ।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

सबसे मजे की बात इस साहित्य को देखने से मालूम होती है, मैं क्या अर्ज करूं हृदय चाहता है कि लिखने वाले के हाथ चूम लूं, क्या उम्दा बात लिखी है, एक ही बात में इस सरकार की पोल खोल दी है। अभी तक तो श्रीमन, मोटर में दौरा हुए उसके लिये तो बढ़ा ही है। और हवाई जहाजों से दौरे हुए, लेकिन हवाई जहांजों से भी तबियत नहीं भरी तो हेलीकोप्टर से दौरे की स्कीम बनी थी। हैलीकोप्टर नहीं लिया जायगा, उससे जो बचत होगी उसके आंकड़े के ऊपर मैंने कहा कि क्या उम्दा आंकड़ा निकाला है। श्रीमान् जी, वह आंकड़ा है ४२०, मेमोरेंडम के पृष्ट ५७ पर आप देखें—"उड्डयन के अन्तर्गत व्यय में ४२० की कमी मुख्यतया इसलिये हुई है कि सरकारी प्रयोग के लिये खरीदे जाने वाले हेलीकोप्टर को चालू वर्ष में नहीं खरीदा जा सकेगा।" यानी मतलब यह कहने का है कि यह ४२० जो है यह हरएक चीज को सिद्ध कर देता है कि सब चीज क्या है, बजट क्या है, मितव्ययिता क्या है, सुरक्षा क्या है और यह सरकार क्या है और सुरक्षा का सारा गोलमाल क्या है, केवल इस एक आंकड़े से श्रीमान् जी, सिद्ध हो जाता है कि सब.....आगे मे नहीं कहूंगा कि क्या है ?

श्रीमान् जी, और एक जगह मितव्ययिता की गई है परिवहन विभाग में। टेकनिशियन्स को ट्रेनिंग देने के लिये जो कुछ बनने वाला था वह अब नहीं बनाया जायगा। टेकनिशियन्स को ट्रेनिंग दी जाती तो टेकनिशियन्स मिलते। सुरक्षा के ऊपर हमारा ध्यान था, हम सुरक्षा के लिये बहुत उत्सुक थे, तो उन टेकनिशियन्स से अगर हम अपनी यह किराया वाली बसें नहीं चलवाते तो मिलिटरी की ट्रकें चलवा सकते थे। हमारे पास एक ट्रेंड संख्या हो जाती विशेष व्यक्तियों की जिनको हम कहीं भी लगा सकते थे। लेकिन उसमें कमी कर दी गई।

श्रीमान् जी, हमारे माननीय उप-मुख्य मंत्री स्वनामधन्य माननीय बनारसीदास जी सूचना विभाग के मंत्री हैं। उनके विभाग में भी कमी आयी है। मगर कहां कमी आयी है वही देखने वाली जगह है। उसमें मितव्ययिता कहां की गई है, हिन्दी की पुस्तकों के प्रकाशन में रोज ढिंढोरा पीटा जाता है कि हिन्दी के लिये तो हम मरे जा रहे हैं, पता नहीं कितना जोर लगाया जाता है, हमारा खयाल है उधर से जितना जोर लगाया जाता है उग्रसेन जी की तरफ से उससे कुछ ज्यादा ही उधर से लगाया जाता है। मगर बजट में कमी हुई है तो हिन्दी की पुस्तकों के प्रकाशन में। यह भी पृष्ठ ५७ पर ही है।

श्री बनारसीदास—

यह कौन से बजट की बात आप कर रहे हैं, मेरा खयाल है सप्लीमेंट्री बजट की बात आप कर रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

सप्लीमेंट्री नहीं है। इसी बजट मेमोरंडम के पृष्ट ५७ को आप देख लें। यह आपके ही विभाग का है और आपके ही यहां छपा भी है, मैंने कोई अलग से नहीं छपवाया है।

श्रीमन्, मितव्ययिता कुछ हुई है। दूसरी मितव्ययिता हुई है भिखारियों के घर बनाने में। भिखारियों के लिये और बूढ़ों के लिये कुछ घर बनाये जाने को थे। वह अब नहीं बनेंगे। हो सकता है कि अगले मर्तबा हमारे मंत्री लोग कुछ सफेद बाल वाले जो हैं वे रिटायर हो जायं, जनता न उनको चुने, जबर्दस्ती बाहर कर दे, वैसे अपनी खुशी से तो जाने वाले हैं नहीं, जबर्दस्ती जनता निकाल दे तो और कुछ नहीं तो यह तो घर बनाने वाले थे, उसी में घुस जाते, लेकिन उसमें मितव्ययिता कर दी गई। तो भिखारियों के घर नहीं बन रहे हैं, बूढ़ों के आवास नहीं बन रहे हैं, हिन्दी के ऊपर आघात हो रहा है, यह सब मितव्ययिता की चीजें हैं और खर्चा कहां हो रहा है, वह मैंने पहले ही निवेदन कर दिया।

अब जरा सुरक्षा की तरफ ध्यान दीजिये। "बड़ा शोर सुनते थे पहलू में जिसका, जब चीरा तो एक कतरये खूं भी न निकला।" बड़ी आफत मची हुई थी सुरक्षा के लिये, मालूम पड़ा कि आस-

मान गिर पड़ा और जमीन उलट गई । मगर नतीजा क्या है ? श्रीमन्, इस बजट को अध्ययन करने के बाद और इतना ढिंढोरा पीटने के बाद सुरक्षा पर कुल हमारा ३।। प्रतिशत खर्च हो रहा है जब कि उसी बगल में प्रशासनिक व्यय में इसका ठीक-ठीक पांच गुना खर्च है । उस पांच गुने के खर्च में यह सब चीजें हैं कि इनकी तनख्वाह बढ़ायें, इनको भत्ता दें और इनको अलाउन्स दें । न्याय प्रशासन में जो वकीलों का पैनल हुआ करता था उसको खत्म कर दिया गया है मगर भत्ते का जो आइटम है वह बढ़ गया । इस साहित्य को पढ़ने से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि 'विषरस भरा कनक घट जैसे' । ऊपर से सुरक्षा की तस्वीर और अन्दर में असुरक्षा । सुरक्षा के बारे में मेरा यह सरकार से निवेदन है और बल्कि लान्छन है और आरोप है कि सुरक्षा के प्रति इनके हृदय में पक्की भावना नहीं है । मन से सुरक्षा के प्रति इनके अन्दर कोई भावना नहीं है और उसका यह प्रमाण है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । इसकी भावना इनके अन्दर होती तो मैं मानता कि जरूर इनके हृदय में सुरक्षा के प्रति भावना जागृत हो रही है और देश के लिये कुछ करेंगे ।

पहली बात यह है कि यह सोचते कि चीन के हमले से हमारी कुछ आर्थिक हानि हुई है । हमारे ऊपर जो हमला हुआ है उस हमले से कुछ आर्थिक हानि हुई जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि भौतिकवाद से कांग्रेस सोशलिज्म की तरफ चल रही है और सोशलिज्म का नारा उसने दिया है गांधीवाद को छोड़कर । ठीक-ठीक कम से कम आर्थिक ह्रास को देखते तो मैं यह समझता कि इनको सुरक्षा की पड़ी है । अगर यह समझते कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, हमारी मानहानि हुई है जो कि हृदय की भावना है, जो एक हृदय वाली चीज है, एक भौतिकवाद से अलग सोचने की चीज है, आध्यात्मिक चीज है, अगर उसको यह सोचें तो यह लड़ सकते थे । इनमें वह चीज नहीं है । कैसे ? इसको हमारे कुछ मंत्रियों ने कहा और हमारे वित्त मंत्री जी ने तो इसको स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम लड़ेंगे और अन्त तक लड़ेंगे । "देश की भूमि, देश के सम्मान और देश के धन के लिये लड़ेंगे ।" यह उनके शब्द हैं। मगर वित्त मंत्री जी के भी गुरु और हमारे मुख्य मंत्री के भी गुरु और कांग्रेस के एकमात्र कर्णधार, सर्वेसर्वा और उनको कांग्रेस कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लद्दाख की उबड़ खाबड़ जमीन चीन ने ली है जिसमें घास भी नहीं जमती है । यह भावना इस बात को स्पष्ट करती है कि उस भूमि के प्रति हमारी क्या भावना है जो चीन के कब्जे में चली गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस राजस्थान की मरुस्थली में कोई घास की पत्ती जमती थी जिस मरुस्थली के एक-एक कण के लिये एक-एक जवान बलिदान हुआ ? और जिस मरुस्थली की रक्षा के लिये महाराणा प्रताप ने २५ वर्ष तक घास की रोटियां खाईं ? उसमें कौन से घास की पत्ती पैदा होती थी ? लद्दाख में तो आपको पत्थर मिल जायगा जिससे गिट्टी बन सकती है और उससे सड़क बन सकती है और दूसरे खनिज पदार्थ मिल सकते हैं । उस मरुस्थली की रक्षा के लिये हजारों लाखों जवान जूझे । उसके पीछे माता की रक्षा की भावना थी । पूजनीय भावना थी । यह हमारे यहां सब से ऊंचा आदर्श था । लेकिन हुल्लड़ मचाकर कहते हैं कि यह सब दकियानूसी विचारों के लोग है, कंकड़ पत्थर पूजते हैं, पेंड़ की पूजा करते हैं, करनी भी चाहिये । क्यों? इस कारण कि देशभक्ति है, देश एक प्रिय वस्तु है, देश हमारी नजरों में पूजनीय होता है और जब वह पूजनीय होता है तो हम उसके लिये प्राण न्योछावर करने के लिये तैयार होते हैं अन्यथा वही होता है जैसे ये लोग कह देते हैं कि एक घास नहीं जमती है, पत्ती नहीं उगती है, ऊबड़ खाबड़ है इसलिये चुप रहो । जमीन पर आपको मोह नहीं है इसलिये सुरक्षा आपके हाथ से तो स्वप्न है ।

दूसरी चीज मानहानि की है । मान सबसे जरूरी चीज है । मगर है किसके लिये ? किसी विशेष प्रकार के लोगों के लिये, जो अपनी आन, बान और शान पर प्राण दे देना भी कुछ नहीं समझते । मगर श्रीमन्, बड़े दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि उन्हीं के मुंह से, जिनके लिये मैंने कहा, यह शब्द निकले थे। उन्होंने २९ तारीख को दिल्ली की लोकसभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'इन छोटे-मोटे हमलों से हमारा मान नहीं घटता है । माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि देश के सम्मान की रक्षा के लिये हम लड़ेंगे । जब सम्मान है ही नहीं तो लड़ोगे किस चीज के लिये ? जब हमारे अन्दर वह भावना ही नहीं है और जब अपना अपमान ही नहीं समझते हैं तो.....

एक सदस्य---

यह आपकी भावना होगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

यह हमारी नहीं आपकी भावना है । देखिये २९ तारीख को दिल्ली की लोकसभा में क्या कहा है आपने । हम तो कण कण जाने में अपना अपमान समझते हैं और यह समझते हैं कि अगर कोई देश चाहे वह कितना ही बलवान हो या कमजोर हो अगर हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे । लेकिन आप में वह नहीं है । आप कहते हैं कि छोटे छोटे हमले से देश का मान नहीं गया है । अगर इतने पर भी मान नहीं गया है तो फिर सम्मान कैसा ?

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)---

अंग्रेजों के समय में आपका यह सम्मान कहां गया था ? तब आप कहां गये थे ?

कुंवर श्रीपालसिंह---

अंग्रेजों से लड़ते समय मैं आपकी बगल में था, आपसे आगे था । आप नहीं देख सकते हैं । चलिये मेरे साथ देखिये, मैं आपको दिखला दूंगा । लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त देश का बटवारा हुआ उस वक्त आप कहां थे ? जिस वक्त माता का मस्तक काटकर काश्मीर को बांटा जा रहा था उस वक्त आप कहां थे ? आज जब देश के ऊपर आक्रमण हो गया है उस वक्त आप यह कहते हैं कि देश का अपमान नहीं हुआ है । मैं यह जानना चाहता हूं कि आप देश के अपमान को जब समझेंगे या मेनन साहब के वकील जब चीन पहाड़ से उतरकर मैदान पर आ जायगा तब सुरक्षा होगी ? श्रीमन्, इस सुरक्षा के प्रश्न पर हमारी क्या भावनायें हैं वह बिलकुल स्पष्ट हैं । हमने कहा है कि सुरक्षा आधे दिल से मत कीजिये, पूरे दिल से कीजिये । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही है सुरक्षा ? चीन किस सिद्धान्त को मानने वाला है ? कम्यूनिस्ट । लेकिन यहां कम्यूनिस्ट पार्टी आप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और आपके पेट के अन्दर की बातें निकालकर चीन के पास भेज रहे हैं और उसी पार्टी के अखिल भारतीय नेता को अपना राजदूत बनाकर भेजते हैं बातें करने के लिये ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

यह सब गलत बातें कही जा रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

कहने दीजिये उनको । जब दिल पर चोट लगती है और उस जगह को छू लिया जाता है जहां चोट हो तो आदमी तिलमिला उठता है, फिर चुप नहीं रह पाता । मैं कहता हूं जो आज आपकी बगल में कन्धे से कन्धा मिलाकर बैठे हैं, चल रहे हैं वे कल तक कहां थे ? एक लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकला जब चीन ने हमला किया कि चीन हमलावर है ।

(व्यवधान)

महात्मा गांधी की हत्या से कहीं बड़ी होती है देश की हत्या । जिस देश ने महात्मा गांधी को पैदा किया, कृष्ण और राम को पैदा किया, उसकी हत्या करने वाले कभी क्षमा नहीं किये जायेंगे । याद रखिये, एक व्यक्ति की हत्या---महात्मा गांधी जी की हत्या को मैं मानता हूं कि बुरी चीज थी और जिसने वैसा किया उसका दंड भोगा लेकिन देश की हत्या, जिसने महात्मा गांधी को जन्म दिया, उसकी हत्या करने वाले कभी क्षमा नहीं किये जायंगे ।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मत समझिये कि बगल में आप के दोस्त बैठे हैं । यह दोस्त नहीं हैं, यह आस्तीन की छुरी हैं । यह पेट में घुस जायेंगे । सन् ४२ का

आन्दोलन देखिये। जिन कांग्रेसियों पर, मैं लांछन लगा रहा हूं, मानता हू कि ४२ के बहादुर नेता रहे हैं, वे जरा बतलावें कि ये साहब जो कूद रहे हैं यह उस समय कहां चले गये थे।

(व्यवधान)

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

मैं एक बात कहना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता—

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री झारखंडेराय—

व्यवस्था का प्रश्न है। रामसुन्दर जी शास्त्री यहां बैठे हैं। सन् ४२ के आन्दोलन में ९० बेंत खाये थे जेल में, किसी से मुकाबला कर लें।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

कुंवर श्रीपालसिंह—

दो मिनट मेरे निकल गये। श्रीमन्, मेरे समय का ध्यान रखें। मैं मानता हूं झारखंडे राय जी की बात को। जो व्यक्ति है जिस काबिल, उसे मैं गलत नहीं कहूंगा। मैं मानता हूं कि झारखंडेराय जी सन् ४२ के आन्दोलन में अग्रणी थे। फांसी के तख्ते को चूमा है उन्होंने, लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि उनकी बात कही न जाय। गुप्त जी ने भी तो देश के लिये बहुत बड़ा बलिदान किया है, उनकी भी गलतियों को कह रहा हूं और उनकी भी बातों को कहूंगा। माननीय झारखंडेराय जी मुझे क्षमा करेंगे यह कहने के लिये कि जब वे इस गद्दार पार्टी से निकल जायेंगे तो उनकी तारीफ करूंगा।

(व्यवधान)

तो मैं कह रहा था कि अगर आप गौर से देखें तो कम्यूनिस्टों में दो दल हैं—एक चीन के पक्ष वाला, दूसरा रूस के पक्ष वाला। भारत के पक्ष वाला कहां है ? एक भी है ? एक भी नहीं। और अगर हैं भी तो खाली मौखिक बात करने वाले और छूरी लिये हुये। आज भी हमारी सीमा पर कौन प्रचार कर रहा है ? कौन इस बात का प्रचार कर रहा है कि चीन की मुक्ति सेना आ रही है ? हमारे यहां के सेंसर से बचा कर विदेशों में छपे परचे आज कौन हमारे देशवासियों को भेज रहा है ? कम्युनिस्ट उन सामग्री को ले रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं यह मैं डंके की चोट पर कहता हूं और जैसा मैंने कहा यह आधे दिल की सुरक्षा बड़ी खतरनाक है और उसके नाम पर जो धन लिया जा रहा है यह बिलकुल गलत है। सुरक्षा कीजिये और जबरदस्त सुरक्षा कीजिये।

सबसे पहला प्रमाण आपकी सुरक्षा का यह होगा कि आप कम्यूनिस्ट पार्टी को बैन करें। इनको पकड़-पकड़ कर सबको जेल में बन्द कर दीजिये। उस समय तक बन्द रखिये जब तक कि एक-एक चीनी मार के भगा नहीं दिया जाता है, हमारी इस पवित्र मातृभूमि से। उस समय तक आपको यही करना चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्तुत बजट पर माननीय वित्त मन्त्री जी को मैं बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने इस बजट की काफी आलोचना की दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया है। साथ ही साथ इसको पहले नजरों के मुकाबले में भी देखने का प्रयत्न किया है। मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यह बजट बहुत बैलेन्सड बजट है, बहुत सन्तुलित बजट है। इसमें जो २०१ करोड़ ८२ लाख की कुल आय और २०६ करोड़ ८९ लाख का व्यय दिखाया गया है, उसमें से यदि हम योजना के व्यय और आय को अलग कर दें यानी १७ करोड़ जो

[श्री जगदीशप्रसाद]

हमें केन्द्रीय सरकार से मिलेगा वह आय में से ३४ करोड़ ८९ लाख का जो व्यय करना है वह आय में तो १८४ करोड़ ८२ लाख की आय है। १७२ करोड़ व्यय रह जाता है। यानी १२ करोड़ ८२ लाख की हमें बचत होती है। इसमें लगभग ७ करोड़ ९ लाख की रकम सुरक्षा सम्बन्धी व्यय के लिये भी रखी गई है। इसको भी यदि ले लें तो हमारी बचत १९ करोड़ और कुछ लाख की पड़ती है। परन्तु जो डिबेट मैंने सुना तो मैं नहीं समझ पाया कि क्या बहस चल रही है। दो तीन विषय सदन में ऐसे हो गये हैं जिन पर सदन का काफी समय व्यय हो जाता है। एक यह कि माननीय मुख्य मन्त्री गुप्ता जी ने मन्त्रिमंडल बनाकर एक अजीब मुसीबत अपने कन्धों पर ली है। जबसे यह मन्त्रिमंडल बना तबसे कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ जिसमें मन्त्रिमंडल का विशेष प्रकार से जिक्र न हुआ हो। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल बड़ा है। मैं भी मानता हूं और मुख्य मन्त्री भी मानेंगे कि बड़ा है, परन्तु मन्त्रिमंडल बड़ा हो या छोटा हो (मैं नहीं जानता कि बड़ा है) मैं तो समझता हूं कि यह चीफ मिनिस्टर की समझ और अन्दाजे पर रहता है। इसमें कोई राय नहीं ली जाती। इसमें सदन तो अलग, पार्टी की भी राय नहीं ली जाती। मैं १०, ११ वर्षों से हूं और पढ़ता रहा हूं, मैंने नहीं देखा कि मन्त्रिमंडल राय से नहीं बनता हो। परन्तु एक बात है कि यदि सदन या दल समझे कि मन्त्रिमंडल बनाते समय जनहित का ख्याल नहीं किया गया है, स्वार्थों का किया गया है तो उनका क्रिटिसिज्म हो सकता है। लेकिन मैं सब कुछ सोचने के बाद इस परिणाम पर पहुंचा कि मन्त्रिमंडल जो बना है वह प्रदेश के हित में बना है। मैं यदि आपकी बात ही मान लूं जो दलील आप देते हैं उसे ही मान लूं तब मन्त्रिमंडल को किसी प्रकार कम नहीं होना चाहिये। आपको यह सोचना पड़ेगा कि जनता ने कांग्रेस को बहुमत दल के रूप में चुन कर यहां भेजा है और दूसरे चुनाव तक सरकार कांग्रेस की ही रहेगी।

(इस समय ४ बजकर २२ मिनट पर, श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

कहा जाता है और सबसे बड़ी दलील यह है कि गुप्ता जी ने अपनी पार्टी के लोगों को खुश करने के लिये, ताकि गड़बड़ न हो, उन्होंने पद बांट दिये और किसी को मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बना दिया। और इस लिये कम नहीं करते कि पार्टी में फूट पड़ जायेगी और सत्ता जाती रहेगी। यह बहुत बड़ा चार्ज है। मैं यद्यपि ऐसा नहीं मानता। मुमकिन है बनाते समय उनका ऐसा ध्यान रहा हो और यह हर जगह रहता है लेकिन आज ऐसी स्थिति में नहीं समझता। लेकिन अगर ऐसा होता और आपकी बात मानी जाती तो क्या होता? कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ जाती? प्रदेश के हित में है कि जो हुकूमत हो वह स्टेबिल हो, स्थायी हो। जब कांग्रेस की हुकूमत रहनी है और उसमें फूट रहेगी तो नतीजा यह होगा कि कार्य ठीक प्रकार से नहीं होगा और अनुशासन ढीला और खराब हो जायगा। हमारा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है कि दो तीन वर्ष ऐसे गुजरे कि बहुमत दल के अन्दर घोर पार्टी बाजी रही और जो माननीय सदस्य उस समय थे वह याद करें कि हम कितनी बार बैठे और कितने विधेयक पास किये, हमारा बहुत समय नष्ट हुआ, हम चले गये। इस दो तीन वर्ष में सरकारी कर्मचारी हाथ से बाहर हो गये उतने १०–१५ वर्षों में नहीं हुये होंगे। इसलिये आवश्यक है तो मन्त्रिमंडल में ज्यादा लोग रखे जायं। हम अपनी योजना को ठीक तरह से चला सकें और विशेष प्रकार से इस संकट कालीन स्थिति में सरकार में स्थायित्व रहे उसके लिये कुछ लाख रुपया अधिक खर्च हो गया और कुछ लोगों को रख लिया तो कौन प्रदेश का अनहित हो गया? यद्यपि मेरा ऐसा विचार नहीं है, मैं उसी दल का सदस्य हूं।

दूबे जी ने मनोबल की बात कही और कहा कि मैंने जमीन पर टैक्स दिया, यहां दिया, वहां दिया। मैं किसान हूं, बाजार में कुछ खरीदने गया तो वहां दिया, और बड़े आदमियों ने नहीं दिया तो मेरा मनोबल बढ़ा या घटा? लेकिन मैं उनके मनोबल की परिभाषा को नहीं समझ

पाया। यद्यपि शारीरिक शक्ति से मनोबल का थोड़ा सा सम्बन्ध है, लेकिन शारीरिक बल होते हुये मनोबल कमजोर हो सकता है। मनोबल अलग चीज है और यह बनाने से बनता है, मस्तिष्क को कनविन्स करने से बनता है। बचपन में एक कहानी पढ़ा करता था सब लोगों ने पढ़ी होगी कि किसी आदमी ने एक शेर पाल रखा था। एक रोज शेर ने अपनी शक्ल शीशे में देख ली कि तू तो इतना बड़ा है, उसका मनोबल बढ़ गया और गुर्रा कर हमला कर दिया। अगर वह अपनी शक्ल न देखता और उसके सामने ऐसी तस्वीर रखी जाती कि वह बहुत कमजोर है और बहुत बलवान आदमी चढ़ा है तो उसका मनोबल कभी नहीं बढ़ सकता था। जितनी टिप्पणी विरोधी दल की ओर से इस मनोबल के सम्बन्ध में होती है, अगर उनके बयानों का संकलन करके बड़े-बड़े हैंडिंग्स में छापें और फिर देखा जाय कि क्या असर होता है तो पता चलेगा कि मनोबल उससे बढ़ता है या घटता है।

श्रीपाल सिंह जी फरमा रहे थे कि इनकी मनोवृत्ति नहीं है सुरक्षा की। जो गवर्नमेंट है वह सुरक्षा नहीं करना चाहती। इसका अर्थ है कि गवर्नमेंट गद्दार है। आपने कहा कि हमने तैयारी नहीं की, हम सामान नहीं बना रहे हैं और यह भी कहा कि जनता साथ नहीं है। फिर कहा गया कि मनोबल गिर गया। ऐसी १०-२० बातों को इकट्ठे। करके आप एक पैम्फलेट छपवा लीजिये और उसे जनता में बंटवा दीजिये, देखिये उससे मनोबल बढ़ेगा या घटेगा। उसके लिये तो आपको यह कहना होगा कि हम सरकार की बेसिक पालिसीज से मतभेद करते हैं, लेकिन इस इमर्जेंसी काल में हम इस सरकार का साथ दे रहे हैं और देंगे और देशभक्त का यह तकाजा है यही सरकार शासन चला सकती है। इससे मनोबल बढ़ सकेगा। एक प्रजातांत्रिक तरीका है सरकार बनने का, हर ५ वर्ष के बाद चुनाव होता है, आपको सरकार बदलने का हक है, समय आने पर उसको कीजिये। साधारण स्थिति में तो विरोधी राजनीतिक दल का यह कार्य रहता है कि सरकार को जनता की निगाह में गिरायें, मगर संकट काल में ऐसा नहीं होना चाहिये। संकट काल और साधारण काल में कुछ अन्तर है। साधारण काल में आप सरकार को अपना सहयोग नहीं देते, मगर संकटकाल में आपको अपना सहयोग देना पड़ता है। अगर इस परिस्थिति में भी आपका यही दृष्टिकोण रहा कि सरकार बदलो, सरकार बदलो, तो ऐसा करके आप सरकार को अपना सहयोग कैसे देंगे? श्रीमन, यह गहराई से सोचने की बात है कि इसका जनता पर, दूसरे देशों पर, तथा चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम जो चुनाव सन् ६७ में होने वाला है उसे सन् ६६ में ही लड़ लें, मगर इस इमरजेंसी में तो आपको सहयोग देना चाहिये।

श्रीमन, एक चीज बार-बार कही जाती है, पंचमांगियों का जिक्र किया जाता है। इस समय जरा आप हमारी परिस्थितियों को देखिये। आप कह सकते हैं कि यह कम्युनिस्ट पंचमांगी हैं, इनको जेल में बन्द कर दो। कम्युनिस्ट यह कहते हैं कि यह जनसंघी पंचमांगी हैं इनको जेल में बन्द कर दो। आज हमारे भाई पीताम्बरदास जी ने, जो जनसंघ के लीडर हैं, काऊंसिल में कहा कि यह मुसलमान भी पंचमांगी हैं। अब जरा हमारी बात सोचिये मुसलमान पर हम विश्वास न करें, जो एक काफी संख्या में देश के कोने-कोने में फैले हुये हैं, कम्युनिस्टों पर भी, आपके कहने के अनुसार, हम विश्वास न करें, कम्युनिस्टों के कहने के अनुसार हम आप पर भी विश्वास न करें, तो आप बताइये कि इस संकटकाल का कैसे सामना किया जाय? कैसे आप इन परिस्थितियों का सामना करेंगे....

श्री हरीशकुमार गंगवार—

पीताम्बरदास जी का कौन सा भाषण है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि पंचमांगी हैं मुसलमान?

श्री जगदीशप्रसाद—

यह आज का ही उनका भाषण है। यह तो एक खुली हुई बात है। आज सरकार का काम इस इमरजेंसी काल में देश को बनाना है, देश के उत्पादन को बढ़ाना है, उद्योगों

[श्री जगदीशप्रसाद]

को बढ़ाना है, सिपाहियों को तैयार करना है सरकार को उस समय को लाना है जबकि हमारी एक-एक इंच भूमि चीन से वापिस आ जाय। इसके लिये हम सबका सहयोग लेंगे। अगर कोई अपना सहयोग नहीं देगा तब भी हम अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। जनता ने हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी डाली है और हम उसे पूरी तरह से निभावेंगे। यह हमारा फर्ज है।

माननीय दुबे जी ने पैदावार का जिक्र किया और नेकराम जी ने भी असेसमेंट आफ़ फ़र्स्ट ईयर्स टार्गेट्स की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई। मेरे पास वह किताब नहीं है। परन्तु उन्होंने सही कहा कि टार्गेट पूरे नहीं हुए। लेकिन यह नहीं है कि हमारी पैदावार नहीं बढ़ी है। अगर हमारा टार्गेट १०० का है और हमारी पैदावार जिसे हम ७० से १०० करना चाहते थे, वह ८० ही तक पहुंची तो इसका मतलब यह कदापि नहीं हो सकता कि पैदावार घटी है। हमारा ओवर-आल प्रोडक्शन सारे देश में नहीं घटा है।

मैं सरकार को ३, ४ सुझाव देना चाहता हूं। मैंने इस बजट को खूब पढ़ा। मैंने यह देखने की कोशिश की कि रेवेन्यू एक्सपेंडीचर, कैपिटल एक्सपेंडीचर, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर बहुत बढ़ रहा है और कैपिटल एक्सपेंडीचर कम हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडीचर कम होना ठीक नहीं है। अनुपूरक अनुदानों के विषय में माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं कहा कि वह अधिक ठीक नहीं है, उन्हें रखते हुए उन्हें प्रसन्नता नहीं होती। इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कुछ करना होगा। हमें कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिये कि अनुपूरक अनुदान पूरे बजट के इतने प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। १० प्रतिशत इसे रख लें। इससे सुधार होगा और सर्विसेज पर भी इसका असर होगा उन को यह ख्याल रहेगा कि हम बजट इस प्रकार बनावें कि अनुपूरक अनुदान ज्यादा लाने की आवश्यकता न पड़े।

श्री उपाध्यक्ष---

माइक पर बोलें तो अच्छा रहे। लिखने में दिक्कत पड़ रही है।

श्री जगदीशप्रसाद---

बराबर समितियों का जिक्र आता है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति इस सदन की बहुत महत्वपूर्ण समितियां हैं। इनमें सदस्य परिश्रम करते हैं, व्यय होता है और आप यदि उनकी रिपोर्ट्स पर कुछ न करें तो असंतोष रहेगा, क्रिटिसिज्म होगा। इनकी कई रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी हैं। पिछले १, २ वर्ष में बहुत जोर लगा कर प्राक्कलन समिति की कुछ रिपोर्टों पर रिपोर्ट भी दी है। परन्तु मैं सुझाव रखूंगा कि मिनिस्टीरियल लेविल पर एक समिति हो, जिसमें वित्त मंत्री और मुख्य मन्त्री हों, जो इस बात को देखें कि इन समितियों के सुझावों पर कोई कार्यवाही हुई या नहीं, विभागीय अधिकारियों के ऊपर यह काम नहीं छोड़ना चाहिये।

बकाया की वसूली की बात टाली नहीं जा सकती। प्रदेश में बहुत बड़ी रकम बकाया है और वह गरीब पर कम व धनी पर अधिक है। आप देखें लगान का १५.६ प्रतिशत बकाया है, सिंचाई का है ६.५ जो ग़रीब का है और ज्यादा होना चाहिये था। लेकिन वन में ५४.५ प्रतिशत। यह एक साल की औसत आय का प्रतिशत मैं बतला रहा हूं। वन में ५४.५ प्रतिशत है और विक्रीकर में ८३.५ प्रतिशत है। यह अधिक मालदारों पर है। यह बहुत दुःख की बात है। अगर इसको और टाला जाता रहा तो क्रिटिसिज्म गवर्नमेन्ट का होगा, जो अच्छी बात नहीं है।

एक बात और कहता हूं जिससे मुझे बहुत दुःख हुआ। मद्यनिषेध मेरे लिये एक क्रीड है यह बहुत लोगों के लिये तो धर्म ही बन गया है। इसको हमें देश के अन्दर पूर्णतया अपनाना ही है। आजकल जो नीति अपनायी गयी है उससे मद्यनिषेध बढ़ेगा नहीं, घटेगा। अगर मुझे पीना है तो एक दिन नहीं मैं चार दिन के लिए लेकर रख लूंगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी और यह सरकार चाहे तो उसके लिये एक नहीं पचासों तरीके निकल सकते हैं। दुःख हुआ

यह पढ़ कर कि ३–४ प्रदेशों में जिनमें हमारा प्रदेश भी है, केन्द्र से यह मांग की है कि मद्य निषेध से जो घाटा होगा और जो उस पर खर्च होगा, वह सब पूरे तौर पर दिया जाय। किसी खराब काम को खत्म करने को जब बात आये तो कहा जाय कि हमें पैसा दो, खराबी में हम सब से आगे हैं। यह बड़े दुःख की बात है। मद्यनिषेध एक ऐसा विषय है जिस पर किसी प्रकार से भी कोई कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर आप नहीं करें और उसको रोकने के लिये कोई और कदम उठाये जायं तो उसमें अनुशासनहीनता की कोई बात न होगी। अगर नहीं होगा तो वह किसी प्रकार करना ही होगा।

श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो १९६३–६४ का बजट पेश किया गया है, यह आज तक इस सदन में पेश किये गये सब बजटों में सब से बड़ा बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में यह बजट बनाया गया है, इसलिये इसमें कुछ विशेषता होनी ही चाहिये। वह विशेष परिस्थिति यही है कि हमारे देश पर आक्रमण हुआ, हमको क्षोभ है, हमारे आदमियों का नुक्सान हुआ। किन्तु बजट को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसा शोर उस समय सदन में था, जैसी परेशानी थी और जो तेजी थी, वह अब रह नहीं गयी है। बहरहाल केन्द्र में क्या हुआ, इसको तो मैं जानता नहीं। शायद केन्द्रीय व्यवस्था में कुछ ऐसा प्रबन्ध हो गया हो कि केन्द्र को हमारी मदद की जरूरत ही न रह गयी हो। लेकिन समाचार पत्रों में पढ़ने तथा और लोगों से बातचीत करने पर ऐसा मालूम होता है कि सुरक्षा की हमारी ताक़त अभी इस हद तक नहीं पहुंच गयी है कि हम चीन का मुकाबला कर सकें। स्पष्ट है कि कुछ कमजोरी है। ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश अगर केन्द्र को ज्यादा से ज्यादा मदद करता तो अति सुन्दर बात होती। लेकिन जो रुपया इसके लिये रखा गया है वह केवल ३ प्रतिशत या २.९ प्रतिशत ही है। यह हमारे प्रदेश के लिये दुर्भाग्य की बात है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए शर्म की बात है। सिर्फ लद्दाख और आसाम की बात सदन में कही गयी, लेकिन बाराहोती और दूसरे स्थानों, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, की बात नहीं कही गयी। हमारे प्रदेश को तो दूसरे प्रदेशों से अधिक सहायता करनी चाहिये थी। अगर किसी वजह से डायरेक्ट खर्चा नहीं कर सकते तो इन्डायरेक्ट करते। गवर्नमेन्ट इन्स्टीट्यूशन्स में फौजों की जरूरत के लिये सामान बनाते जो सिविल में काम आ सकता था। लांग टर्म की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन शार्ट टर्म रिसर्च अगर जगह जगह लागू कर दी जायं और खाने के सामान फलादि या ऐसी चीजें केन कर दी जायं—जसे १२ हजार फीट की ऊंचाई पर लड़ने वाले जवानों को चावल ही बन्द डिब्बे में मिले तो मेरे ख्याल में उसे बड़ी सांत्वना मिलेगी। अगर किसी विशेष जगह के आदमी को विशेष जगह का खाना या फल मिले तो मेरे ख्याल में उसे भी कुछ आराम मिलेगा और राहत मिलेगी।

कम्बल जो हर मिल में प्राइवेट सेक्टर में बनता है।, अगर उसमें कुछ ऐसा हो जाय कि वहां उसी रंग के कम्बल बनाने की इजाजत दी जाय जो फौजियों के लिये निर्धारित है जैसे खाकी या कुछ गहरा काला। इस रंग के कम्बल से जनता का जाड़ा तो मिट जायगा, लेकिन शायद पैरिटी रह जाय क्योंकि छोटे बड़े में कोई भेद न हो सकेगा, लेकिन इससे एक बड़ा फायदा यह होगा कि जब कभी ऐसे कपड़े या कम्बल, ऊनी कपड़े की जरूरत आयेगी तो फौज के लिये कोई कमी नहीं पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि यह ऐसी चीज है जिस पर गौर करना चाहिये। कैनिंग इंडस्ट्री, कम्बल और शार्टटर्म रिसर्च स्टेशन के जरिये ऐसी छोटी छोटी चीजें बनायी जायं जो डिफेंस के लिये इस्तेमाल हों और जनता भी उनका इस्तेमाल करे तो बड़ा ही अच्छा होगा।

इमर्जेन्सी लागू है और बार बार यह मांग की गयी कि इसे खत्म किया जाय। खत्म किया जायगा या नहीं खत्म किया जायगा, इसका कोई जवाब सरकारी दल की तरफ से नहीं मिला। हां, पत्रों से यह मालूम हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर का बयान है कि इमर्जेन्सी की स्थित अभी देश में रहनी चाहिये, क्योंकि चीन से अभी भी लड़ाई हो सकती है। तो ठीक है, इमर्जेन्सी की स्थिति रहने के लिये ही इतना लम्बा चौड़ा बजट बनाया गया है और उसमें

[श्री मुलूंसिंह]

भी इकोनामी की बात की गयी है। लेकिन वास्तव में देखने से प्रतीत होता है कि मुश्किल से एक दो परसेंट ही इकोनामी की गयी है और केवल एक करोड़ २० लाख की इकोनामी भी दिखलायी गयी है। यह तो उसी तरह से हुआ कि ३० रुपये तनख्वाह पाने वाला ३० नये पैसे बचा ले। तो यह ऐसी बचत हुई जिसको बचत नहीं कहा जा सकता है। ज्यादा अच्छा होता कि इसे बचत न कहकर जोड़ने घटाने की गलती कह दी जाती। २०७ करोड़ के बजट में १ करोड़ २० लाख की बचत कोई बचत नहीं है। हमारी समझ में नहीं आता कि जनता से इसे किस तरह से बचत कहा जा सकता है। बहरहाल यह देखना तो सरकार का काम था, लेकिन मेरी समझ में वह ठीक नहीं किया गया है।

दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे विभाग हैं जहां गड़बड़ी होती है और जहां पैसे का अपव्यय होता है। मिसाल के लिये अगर मैं यह कहूं कि यहां इसी सदन में कहा गया है कि पुलिस में कुछ गड़बड़ी है जिसका सुधार नहीं किया जा सका है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि पुलिस पर जितना भी खर्च किया जाता है, इसके अतिरिक्त भी खर्च किया जायगा और उस पर भी देश को उसका पूरा फायदा न मिले तो उस रुपये के खर्च करने का क्या प्रयोजन होगा? छोटी छोटी बातों को देखने से जनता को भी तकलीफ होती है और उससे देश को भी कोई फायदा नहीं होता है, जिससे कि नुकसान होता है उस जड़ को अगर खत्म न कर पाते तो कम से कम उस तरफ कोशिश की गयी होती। लेकिन इस बजट में मुझे ऐसा कोई आभास नहीं मिला तो फिर यह खर्च किस तरह से की जायगी? गांव का आदमी अगर एक रिपोर्ट लिखाने जाय और वह न लिखी जाय और उसको डांट कर वापस कर दिया जाय तो उसको न्याय मांगने के लिये किसी एस०पी० के या किसी दूसरे दरबार में जाना कितना मंहगा तरीका उसे पड़ेगा। इस परेशानी में पड़ने के लिये तो शायद वह लिखाने जाना पसन्द ही नहीं करेगा और उस दुख के मुकाबिले में वह इस दुख को बरदाश्त कर लेगा और वह नहीं जायेगा, नहीं जाता है। अगर दो कापी लिख कर किसी दूसरे थाने पर भेज दिया जाय जहां कि रिकार्ड मेनटेन होता हो। एक रिपोर्ट रजिस्ट्री करा कर भेज दी जाय किसी थाने पर कि जहां रिकार्ड कीपर उस को लगा दे और थाने को डाक से भेज दी जाय तो इतना तो जरूर हो ही जायगा कि वह भेज दी जायगी क्योंकि जब आदमी स्वयं लिखाने जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। मैं बहराइच जिले के उस भाग की बात कहता हूं जो नैपाल से मिला हुआ है जहां सरकारी कर्मचारी तभी जाते हैं जब उन को वहीं जाना होता है। जब वहां कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है तो दिक्कत यह होती है कि उस को बिठा लिया जाता है और इंतजार किया जाता है कि दूसरी पार्टी भी आ जाय और अगर वह नहीं आती तो किसी एजेंट से बुलाया जाता है और दोनों के आने के बाद यह देखा जाता है कि कौन सी पार्टी ज्यादा पैसा खर्च कर सकती है। उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाती है, पहले उस की रिपोर्ट लिख ली जाती है और कहा जाता है कि उन की लिखी जा चुकी है तुम भी चाहो तो लिखा दो ऐसी सूरत में उन को न्याय नहीं मिलता और वह परेशान होते हैं, इधर उधर दौड़ धूप के बाद वह बेचारे चुप हो कर बैठ जाते हैं। ऐसी सूरत में इस इमर्जेन्सी में यह भी कदम उठाया जा सकता है कि जिससे जनता को आलोचना करने का मौका न मिले और इस तरीके से मेरा ख्याल है कि जनता का मनोबल भी बढ़ेगा।

एक और भी तरीका है। गांव में चौकीदार लोगों से कह देते हैं कि तुम बेवकूफ हो थाने में रपट न लिखाओ कप्तान को जाकर दरख्वास्त दे दो। और होता यह है कि अगर दरख्वास्त जाती है तो एस०पी० उसको एस०ओ० के नाम एन्डोर्स कर देते हैं और दरोगा जी दोनों फरीक को बुलाकर पूछ लेते हैं कि क्या बात है और जो दरोगा जी की मर्जी में आया वह उन्होंने लिख दिया और फिर कप्तान साहब के यहां फाइल लौट जाती है। मेरी दरख्वास्त है कि आप एस०पी० को डायरेक्ट करें और लिखें कि एक दो दरख्वास्तें जिन पर कि दरोगा जी ने फैसला कर दिया हो उनको फिर वह अपने दौरे के वक्त जा कर जांच करें और देखें कि दरोगा जी का फैसला ठीक या नहीं। केवल सीन फाइल जो होता है उससे लोगों को सही न्याय नहीं मिलता, वह जानते हैं कि

सीन, फाइल, हो जायगा इस लिये दरोगा जी भी उस पर जो चाहे लिख देते हैं। इतना होने से ही सब को तसल्ली हो जायगी और जनता का कल्याण होगा।

मेरी एक दरख्वास्त और है कि जिस तरह से स्टेटिसटिक्स विभाग का तरीका है और परफोरेटेड रेन्डम मेथड से क्राप कटिंग एक्सपेरीमेंट होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं पर क्राइम हुये ५० और दर्ज एक भी नहीं होता और पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भागती है। अभी महानगर के रेलवे क्रासिंग पर यहीं एक शव डाल दिया गया और वहां पर कई घंटे तक तो यह विवाद रहा कि यह जूरिसडिक्शन रेलवे पुलिस का है या कि सिविल पुलिस का है। इस तरह से हर एक थाने की यह कोशिश रहती है कि कहीं क्राइम नम्बर न बढ़ जाय। एक क्राइम नम्बर न बढ़ जाय इसके लिये दोनों चाहते थे कि इंवेस्टीगेशन न करना पड़े, रजिस्टर न करना पड़े। जहां आदमी की जान की इतनी भी कीमत नहीं है क्राइम नम्बर के बराबर आप स्वयं सोचें वहां की पुलिस व्यवस्था क्या होगी। कोई आदमी कैसे समझेगा हमारे अधिकार सुरक्षित हैं या हम स्वयं सुरक्षित हैं। और गांवों की हालत यह है कि वहां जिन्दगी की कोई सुरक्षा नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कृषि के सरकारी आंकड़े बढ़ रहे हैं। मैं कुछ सरकारी आंकड़े लाया हूं। अगर १९४८ को आधार माना जाय तो १९५२–५३ में प्रोडक्शन था ११० परसेंट और किसानों को मिला ११०, यानी बराबर था। १९५७–५८ में १११ परसेंट और किसान को मिला १११.१२ परसेंट और १९५८–५९ में १२५ परसेंट प्रोडक्शन था ऐग्रीकल्चरल और ९४ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था और किसान को मिला ११७ परसेंट। १९६१–६२ में १४८.७ परसेंट प्रोडक्शन हो गया और इंडस्ट्रियल हुआ ७८ और किसान को मिला ११५ ही परसेंट। इससे भी पता लगता है कि प्रोडक्शन तो डेढ़ हो गया १० साल में किन्तु किसान को ५.९ परसेंट का फायदा हुआ। तो कितना प्रोत्साहन मिला होगा यह आप स्वयं सोच लें। एफ०ए०ओ० की तरफ से एक बुलेटिन निकली थी जिसमें कहा गया कि राष्ट्र का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि किसान को कृषि उत्पादन बढ़ाने में जो परिश्रम और पूंजी लगानी पड़ती है ऐसा करने के लिये उनका उत्साह बढ़ाना होगा। बहुत से देशों में कृषि विकास में इसलिये बाधा पड़ती है कि वहां किसान को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। कृषि उत्पादन बढ़ाने में यह पहला कदम होना चाहिये। ऐसी अवस्था में अधिक उत्पादन का लाभ मुख्यतः किसान को मिले। इसको पढ़कर नतीजा यही निकलता है जब किसान को ५ परसेंट का लाभ हुआ और प्रोडक्शन ५ परसेंट बढ़ गया तो किसान को क्या उत्साह मिला उस प्रोडक्शन को बढ़ाने का? अगर १० मन पैदा करके १०० रुपये कमाया जाय तो १०० मन पैदा करके १०० रुपये कमाने में क्या उत्साह रहेगा।

स्टेट फार्म्स का हाल सुनिये, इसमें मैकेनाइज्ड और ऐक्सपेरीमेंटल फार्म्स शामिल नहीं हैं, फार्म्स कुल पूंजी १ करोड़ लगी हुई है। १९५९–६० में घाटा हुआ २,४०,३४२ रुपये, १९६०–६१ में २०,४८४ रुपये का घाटा हुआ और १९६१–६२ में १,१२,९८७ रुपये का घाटा हुआ। १ करोड़ रुपये की पूंजी पर ३,७३,८१३ रुपये का घाटा हुआ जहां आपको सब सुविधायें प्राप्त हैं, आपके पास टेक्निकल ब्रेन्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, जो बजट सदन के सामने वित्त मंत्री ने पेश किया इस पर इस साल में समझता था कि विरोधी दल के भाई कुछ ऐसे सुझाव देंगे, कुछ ऐसी बातें बतायेंगे जिससे सरकार को कुछ सुविधा हो और जो कमियां हैं उनको वह ठीक कर सकें। परन्तु ऐसा लगा जैसे रामायण की एक चौपाई का आधा टुकड़ा है कि "जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।" हमारे विरोधी दल के जितने मित्र बैठे हैं उन्होंने अपनी जो भावनायें इस बजट के बारे में व्यक्त की हैं उससे साफ जाहिर होता है कि उनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं

[श्री बैजनाथसिंह वैश्य]

है। माननीय विरोधी दल के नेता ने काफी कोशिश की कि अपना संतुलन कायम रखें, थोड़ी गम्भीरता भी रहे और जिस पद पर वे आज बैठे हैं उसको ध्यान में रख कर उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन आखिर में उसी पुराने रास्ते पर आ गये यह कह दिया कि बिजनौर में एक ऐसी सड़क बन रही है जो नहीं बननी चाहिये क्योंकि सुरक्षा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। और हमारे भाई नेकराम ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने तो अपने भावना को इस प्रकार से दरशाया कि ऐसा लगता था कि जैसे वे सदन में भाषण नहीं दे रहे हैं। वे भूल गये कि सदन की कुछ मान मर्यादा है, उसके कुछ नियम हैं जिनके अन्तर्गत उनको चलना है। उन्होंने सारी परम्पराओं को तोड़ कर एक अजीब तरह का प्रदर्शन किया। मुझे बड़ा दुःख हो रहा था सुन कर कि क्या इस विधान सभा में बैठ कर बोलने का हमारा यही स्तर रह गया कि व्यक्तिगत लोगों पर हमले करें। अभी तक सरकार पर, उसके उसूलों पर, उसके नामों पर, उसके काम करने के तरीकों पर हमला होता था, लेकिन अब मंत्रियों के व्यक्तित्व पर नाम ले ले कर हमला किया जाता है। अब कोई चीज बाकी नहीं रह गयी। अभी तक हमारे प्रेस वाले अछूते बच जाते थे। एक जनसंघ के भाई ने कह दिया कि इन प्रेस वालों में बहुत से जनसंघी, बहुत से सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कांग्रेसी हैं और ये लोग उसी तरह से अपनी विचारधारा बना कर चलते हैं। हम लोग बोलते हैं, एक लाइन निकलती है, सारी बातें उन्हीं की मिलती हैं फिर भी उनको नहीं छोड़ा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सदन का स्टैन्डर्ड इतना ऊंचा उठता जा रहा है कि उसके लिये भगवान साक्षी है। बहरहाल, हमारे माननीय श्रीपाल सिंह जी ने एक बड़ा आडम्बर रचा। मैं तो बैठे बैठे सुन रहा था, मेरे ऊपर यह प्रभाव पड़ रहा था कि इसके बाद अब बोलने को क्या रह जायगा। उन्होंने तो दुनियां में सब को बेकार बना दिया। उन्होंने पंडित नेहरू से शुरू किया। नेकराम भाई ने तो गुप्ता जी से शुरू किया था। श्रीपाल सिंह जी ने कहा कि पंडित नेहरू ने कहा था कि लद्दाख की जमीन तो भूड़ पड़ी हुई है, न कोई चीज उसमें पैदा होती है और न कोई वहां रहता है। ऐसी जमीन अगर चीनियों के कब्जे में चली जाय तो क्या कोई हर्ज की बात नहीं। इस जगह पर बैठ कर ऐसी गैरजिम्मेदारी की बातें करने से क्या आप समझते हैं कि स्टैन्डर्ड बड़ा ऊंचा हो रहा है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या व्यस्वस्था का प्रश्न है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---

अभी माननीय बैजनाथसिंह ने कुंवर श्रीपाल सिंह को यह कहा कि गैरजिम्मेदारी की बात करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का भाषण नहीं होना चाहिये, यह असंसदीय है।

श्री उपाध्यक्ष---

गैरजिम्मेदारी की बात कहना तो असंसदीय नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं, ऐसा कहने में और उसमें बड़ा फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विराजिये।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि माननीय कुंवर साहब ने जो बात कही माननीय नेहरू जी के सम्बन्ध में क्या वह गलत है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जायं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य––

मैं यह कह रहा था कि "हर शाख पर उल्लू बैठे हैं अंजामे गुलिस्तां क्या होगा"। यह उम्मीद थी कि डेमोक्रेसी से कुछ सीखेंगे। व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है उसको समझ लिया कीजिये। माननीय नेकराम जी ने कहा कि किसी जमाने में वे इंगलैन्ड गये थे। क्या सीखा, क्या पढ़ा, वह जानें। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या लड़ाई के जमाने जब सैकिन्ड वर्ल्ड वार चल रही थी तो क्या इंगलैन्ड में मिनिस्टरों की संख्या में कुछ कमी की गई थी? क्या इंगलैण्ड की आबादी उत्तर प्रदेश के बराबर है? वहां ५० मिनिस्टर थे और आज भी हैं। आज एक प्रकार की होड़ लगी हुई है विरोधी भाइयों में कि कौन अच्छी से अच्छी गाली देता है। हम लोग बोलते हैं तो कहा जाता है कि चाटुकारिता करते हैं। हमारे मिश्र जी बोले तो कहा गया कि ये चाटुकार हैं। हम लोग २५–३० साल से काम कर रहे हैं और १० साल तक जेलखाने में पड़े रहे हैं तो क्या ये सब बेकार हो गया? और हम लोग चाटुकार हो गये। यहां भी ऐसे लोग हैं जो खुशामद नहीं करते हैं और उसकी जगह से कभी कभी उनका नुकसान भी हो जाता है क्योंकि वे सिपाही हैं और काम करने वाला सिपाही कभी खुशामदी नहीं होता है, वह स्पष्टवादी होता है।

आपने जो तरीका अपनाया है उससे मनोबल जनता का गिरता चला जा रहा है। मैं सरकार का और विशेषकर मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि इस तरह की जो बातें होती हैं और रोजाना सरकार और मंत्रियों और प्रधान मंत्री तक की आलोचना की जाती है तो इससे जनता का मनोबल गिरता है। इन लोगों के बारे में कहता हूं कि इनके पीछे सी०आई०डी० लगाकर देखें कि उनका सम्बन्ध कहीं चीन वालों से तो नहीं है, यहां मेम्बर बन कर बैठें हैं और कहीं चीन वालों से तो कोई बात नहीं करते हैं। यह भ्रमात्मक प्रचार तो नहीं करते हैं। मुझे भ्रम होता है। ये कहां के त्यागवीर और तपस्वी हो गये, जनसेवी हो गये, इसमें शुबहा होता है। मैं कह रहा था कि पंडित जवाहर लाल जी के ऊपर लांछन लगाया गया। लेकिन उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक चीनी एक एक इंच भूमि देश की खाली करके नहीं चले जायेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज भी ५० हजार मील जमीन उनके कब्जे में है। ये बड़े देशभक्त हैं उनसे आगे निकल जाना चाहते हैं। उनके दिल और दिमाग में तो कोई दर्द नहीं है, लेकिन आपको परेशानी है। बजट भाषण से दरअसल यह बात जाहिर हो गई कि जिनके अन्दर जैसी मनो भावना थी उसी तरह से उन्होंने व्यक्त किया।

अब बजट के सम्बन्ध में २–४ बातें कहना चाहता हूं। श्रीमन्, यह १९६३–६४ का अनुमानित बजट जो पेश है इसके जो खास खास अंश हैं दर असल उनका आज की परिस्थितियों से सीधा सीधा सम्बन्ध है क्योंकि अगर आप यह कहें यह आलोचना करें कि खेती बढ़ाने पर रुपया खर्च किया गया सुरक्षा पर क्यो नहीं हुआ, तो आप इसको जान लीजिये कि खेती पर उसकी तरक्की के लिये जो रुपया खर्च हो रहा है, उसका सीधा सम्बन्ध सुरक्षा से है और और जो बड़ी बड़ी मदें हैं करीब ८५ करोड़ के आंकड़े हमने जोड़े हैं जिनका कि सीधा सम्बन्ध सुरक्षा से है। वैसे सुरक्षा पर तो सिर्फ सात आठ करोड़ रुपया अलग से रखा गया है जो देखने में कम लगता है लेकिन मैं अपने मित्रों से बताना चाहता हूं कि इस बजट की हर चीज का सम्बन्ध हर चीज से है। अगर इसको आप लापरवाही से या अश्रद्धा से देखेंगे तो जरूर आपको सब चीज उल्टी पुलटी दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि यह बजट ही सामयिक है, बड़ा ही सुन्दर है और बड़े मौके पर पेश किया गया है। इतना बड़ा २०० करोड़ का बजट दरअसल जैसा किसी भाई ने कहा यह पहली बार उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पेश हुआ है और इसमें जो बातें कही गई है वह इतनी आवश्यक हैं कि जिनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती। श्रीमन्, मैंने भी कुछ आंकड़े इकट्ठे किये थे १५ मिनट के लोग तीन चार पेज में लेकिन लाल झंडी हो गई और मैं घबरा गया। मेरा सारा समय तो कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने ही खत्म कर दिया क्योंकि मेरी निगाह उन्हीं की स्पीच पर पड़ी और उन्होंने वह आडम्बर रचा कि जिससे सारा मेरा समय गड़बड़ हो गया। बहरहाल मैं समझता हूं कि बजट निहायत सादा

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

और सुन्दर है और बहुत ही जनता के लाभ का है और जितने भी ५६–५७ इसके आइटम्स हैं वह सब के सब सुरक्षा से सीधे सम्बन्धित हैं। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह––

मैं एक स्पष्टीकरण जरा चाहता हूं, आपने एक शेर कहा हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? तो मैं यह जानना चाहता हूं कि शाख तो उधर ही है, तो वह उधर ही बैठे हुये होंगे।

श्री उपाध्यक्ष––

अब जैसा आप समझें।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)––

मैंने अपने हाइनेस मिनिस्टर का भाषण सुना और बहुत से कांग्रेस की तरफ से बोलने वाले दूसरे साथियों की बातों को भी सुना। मैं सरकारी पक्ष के लोगों की तीन बातों से अपने को सहमत पाता हूं। एक तो यह कि हमारी फौज मजबूत होनी चाहिये। फौज के लिये सामान तैयार करने के लिये कल कारखाने फैक्टरी वगैरह बननी चाहिये। दूसरे किसी के ऊपर आधारित नहीं रहना चाहिये। फौजी सामान यहां बनना चाहिये और उसके लिये विलिंग कोआपरेशन मजदूरों का होना चाहिये। यह बातें कही तो जाती हैं लेकिन जो अमल में हैं उनसे इन बातों में गड़बड़ पैदा होती है। अभी केन्द्र के मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने दिल्ली में एक लेबर कान्फ्रेंस बुलायी जिसमें यह ऐग्रीमेंट हुआ एक राय से, कि संकट के दिनों में मजदूर हड़ताल नहीं करेंगे और एक कोई पूंजीपति भी ऐसी बात नहीं करेगा कि जिससे उत्पादन में बिघ्न हो। लेकिन श्रीमन्, यह बात खाली वहां दिल्ली में रह गई। अमल में यह हो गया है, यह तो सिर्फ इतना ही मानते हैं कि उन्होंने सुरक्षा कोष में पैसा नहीं दिया, लेकिन इतना ही नहीं है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह जितनी गड़बड़ पैदा कर रहे हैं उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है।

कानपुर में दो हजार लूम्स बन्द हैं। दो हजार लूम्स बन्द होने का मतलब है कि १-१/२ लाख गज कपड़े का रोजाना नुकसान हो रहा है। सबसे पहले यह बात अर्जुन अरोड़ा ने कानपुर में एक बयान में कही। उसके बाद राजाराम शास्त्री जो दूसरे कांग्रेस के नेता हैं और कौंसिल के मेम्बर हैं, उन्होंने पब्लिकली कही। उसके बाद आई० एन० टी० यू० सी० ने कही। लेबर यूनियन के नेताओं ने कही। कहीं लेबर डिपार्टमेंट के अफसरों से डेपुटेशन मिला। कांग्रेस के मजदूर नेताओं से उनका डेपुटेशन मिला। यहां माननीय मन्त्री जी से भी मिला। पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इस बात की जांच होनी चाहिये कि दो हजार मजदूर आज कानपुर के अन्दर बेकार पड़ा हुआ है उसके लिये क्या इन्तजाम किया जाय। मजदूर वर्ग में अशान्ति फैल रही है। इस संकटकाल में उत्पादन का नुकसान हो रहा है। यह बात १-१।२ महीने से चल रही है। कानपुर के जितने अखबार हैं अगर उनमें से किसी गलती से भी यह निकल जाय कि किसी कम्युनिस्ट ने गड़बड़ी की है तो दूसरे दिन वह जेल पहुंच जायगा। मेरे पास जागरण अखबार है और २, ३ अखबार मौजूद हैं उनको पढ़ने का समय नहीं है नहीं तो मैं पढ़ कर सुनाता कि वहां की क्या हालत हो रही है। इन अखबारों ने इस मामले के ऊपर एडीटोरियल भी निकाले कि सरकार इसमें कुछ करे लेकिन अभी तक सरकार के कान पर कोई जूं भी नहीं रेंगी है। कालिंग अटेन्शन मोशन भी यहां पर दिया लेकिन उसको भी मंजूर नहीं किया गया। इस तरह से कानपुर में १-१।२ लाख गज कपड़े के उत्पादन का रोज नुकसान हो रहा है। कहीं पर कोई बात सुनी नहीं जा रही है।

इसी तरह से सम्पूर्णानन्द अवार्ड के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह ६ महीने पहले लागू होना चाहिये था। अब ६ महीने भी बीत गये हैं लेकिन वह लागू नहीं हो रहा है। उस अवार्ड को लागू करने के लिये जो सुपरवाइजरी कमेटी है उसकी मीटिंग भी तीन बार हो चुकी है लेकिन मिलमालिक उसको नहीं मान रहे हैं। २२ अक्तूबर की मीटिंग में फैसला हुआ

था लेकिन उस फैसले को कोई मानने को तैयार नहीं है। उसकी ४, ५ मुख्य बातें हैं। उसमें कहा गया है कि रेशनलाइजेशन स्कीम को लागू करने की वजह से जहां पर काम बढ़ा है उसके हिसाब से ही तनख्वाह में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। ६ महीने के बाद उसको लागू करने का फैसला था लेकिन अब ६ महीने बीत गये पर उसको लागू नहीं किया गया है। यह अक्तूबर में तय हुआ था कि दिसम्बर से मिलना शुरू होगा लेकिन दिसम्बर भी बीत गया है। सहूलियत के लिये हमने यह तय किया था कि तीन किस्तों में यह मिलना चाहिये और तीन किस्तों की बात हमने मान ली थी लेकिन वह नहीं हुआ। इसके साथ ही जो बूढ़े मजदूर हैं उनके लिये १ हजार रुपया तक पेन्शन मिलना तय हुआ था। इसके लिये तारीख और दिन भी तय हो गयी थी लेकिन अभी तक उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ है। हमारी तरफ से पब्लिकली कहा गया लेकिन इसका विरोध करने के लिये कांग्रेस वालों की मीटिंग हुई और पर्चे भी बांटे गये। वह पर्चे मेरे पास हैं उनको पढ़ने का समय नहीं है। इसका कांग्रेस वालों की तरफ से विरोध हो रहा है। अभी तक सम्पूर्णानन्द एवार्ड को लागू किया नहीं जा रहा है। उसके बारे में जो एडवाइजरी कमेटी है उसका भी फैसला हो चुका है लेकिन उस फैसले को मिल मालिक मानने को तैयार नहीं हैं। कपड़े की पैदावार का नुकसान हो रहा है। इसका कारण यह है कि उत्पादन बन्द करके मिल मालिक चोर बाजारी में सूत बेच रहे हैं। इसका कारण वे उत्पादन कम कर रहे हैं। यह बात मीटिंग में एक पूंजीपति ने स्वीकार की कि ऐसा मालूम होता है कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद भी मामला इस ढंग से चल रहा है। यहां पर ट्रिपार्टिट कान्फ्रेन्स हुई जिसको मुख्य मन्त्री जी ने प्रिस इड किया और उनका भाषण हुआ। उस कमेटी में यह तय हुआ कि जितने वाद विवाद हैं वह बैठ कर आपस में तय कर लें लेकिन वह कमेटी बनी तो सही, लेकिन उस कमेटी के फैसले पूंजीपति मानने के लिये तैयार नहीं हैं। आज वह न तो सम्पूर्णानन्द ऐवार्ड से ही संतुष्ट हैं। हम लोग उनसे संतुष्ट नहीं थे। न कांग्रेस के, न आजाद मजदूर, और न पी० एस० पी० के मजदूर कार्यकर्त्ता उससे संतुष्ट थे। लेकिन तब भी हम लोगों ने कहा कि लाजिमी तौर पर कानून उनको मानना चाहिये लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करो। इमरजेंसी को छोड़ दीजिये, अगर इमरजेंसी न भी हो तो भी अगर कोई उस ऐवार्ड को नहीं मानता तो कानूनी कार्यवाही होगी लेकिन क्या यह इमरजेंसी है? इसमें वह भी नहीं हो सकता।

एक बात मैं अदब से मिनिस्टर साहब से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि क्या यह डिफेंस आफ इंडिया रूल्स केवल हमारे लिये ही है या पूंजीपतियों के लिये भी है। यह हमारे जनसंघ के भाई है क्या इनके लिये नहीं है। यह सोलजर के पास जाकर कहते हैं कि तुम बेकार जान दे रहे हो, यह कहते हैं कि रुपया या सोना जो तुम दोगे तो यह नदी में बह जायगा और औरतों से कहते हैं कि तुम जेवर अपना उतार रही हो तो वह तुम्हारा बेकार चला जायगा। यह मनोबल को आज गिराना चाहते हैं, लेकिन आप लोग समझते हैं कि यह ठीक है। मैं कहता हूं कि दुनिया का इतिहास देखिये। यही मौका है अगर आपने इनको ठीक कर लिया तो कर लिया नहीं तो यह देश को तबाह करके रख देंगे। यह फासिज्म की जड़ यहां ला रहे हैं। हमको तो इनसे डर नहीं है। आप नहीं करेंगे तो हम तो कर ही लेंगे। हमने दुनिया से फासिज्म को खत्म किया है। अभी दो चार बार कर लो, लेकिन हमने मास्को और लेनिनग्राड तक हिटलर, जिसके ये लोग अनुयायी हैं, पहुंच गया था वहां से पछाड़ा था और बर्लिन में जाकर घुसेड़ दिया। अरे भले आदमी कहां थे तुम सन् ४२ में? हम तो जेल में थे रफी अहमद किदवई साहब के साथ। ३५ साल हमने जिन्दगी इसी में गुजारी है तुम्हारी तो अभी १६ साल की जिन्दगी भी नहीं है। अभी तो पालिटिक्स में आये हो। तुम जमींदारों के अमल बरदार हो और जमींदार कैपिलिस्टों के अमलबरदार रहे हैं। भले आदमी, अपनी असलियत तक रहो। यह बात ठीक है तुमने अपने को सुधारना कुछ शुरू कर दिया है लेकिन अपने को सुधारने के बाद जब हमसे अपनी बात कहोगे तो हम भी तुम्हारी सुनेंगे। हम आमूली किसान की तरह सब कुछ छोड़कर ३५ साल से खड़े होकर आजादी के लिये लड़े हैं। लेकिन तुम क्या हो। तु अपनी गद्दी पर बैठे रहना चाहते हो। कल वक्त आयेगा जब हम तुम्हारी फिक्र कर लेंगे, उसकी फिक्र आज नहीं है कि तुम क्या कहते हो?

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

हमें तो बड़ी हैरानी होती है कि हमारे जनसंघ के भाई भी पंजीपतियों के खिलाफ कहते हैं। उन्हीं के सहारे पलते हो, जयपुरिया को यहां से जिताने वाले उन्हीं के खिलाफ कहते हो। भले आदमी, जमींदार पूंजीपति के खिलाफ हो सकता है? फ्यूडलिज्म तो कैपिटलिज्म से ज्यादा रिऐक्शनरी होता है। जमींदार आज पूंजीपतियों के खिलाफ कहते है, यह सिर्फ हवा की बातें है। कांग्रेस कहे, प्रजा सोशलिस्ट कहें, सोशलिस्ट कहें जो समाजवाद लाना चाहती है तो कहें, लेकिन यह पूंजीवादी उसूलों के मानने वाले यह भी पूंजीपतियों के खिलाफ। तो मेरी आपसे प्रार्थना है और खास तौर से फाइनेंन्स मिनिस्टर साहब से कि उनकी तरफ से यह क्लैरियन काल आनी चाहिये कि जब तक इमरजेंसी है किसी भी पूंजीपति को कोई प्राफिट नहीं मिलना चाहिये। यह पूरे राष्ट्र की इंडस्ट्री है, एक व्यक्ति की नहीं। यहां सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी थी और इसके लिये हमने बड़ा त्याग किया था। उनसे कहना चाहिये कि यह इमरजेंसी पीरियड है, कोई प्राफिट तुम को नहीं मिलेगा और तभी आपकी बात मानने काबिल होगी। तुम भी काम करो और खाना खाओ। पूंजीपति का सब रुपया लेना चाहिये। वह रुपया आप अपने किसी काम के लिये नहीं ले रहे हैं। वह अर्मामेन्ट फैक्ट्री बनाने, हवाई जहाज का कारखाना बनाने के लिये ले रहे हैं। मिनिस्ट्री पर खर्च करने के लिये नहीं ले रहे हैं। अमरीका और रूस से आपको पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। देश के अन्दर ही हमको सब कुछ पैदा करना होगा तभी हमारी इज्जत और शान बढ़ेगी और यह तभी होगा कि जब आप तय कर दें कि पूंजीपतियों को दो या तीन परसेंट प्राफिट ही मिलेगा। महात्मा गांधी जी ने ५०० रुपये के लिये कहा था, आप कह दीजिये कि हम तुमको १५०० रुपया देंगे और बाकी सब नेशन-बिल्डिंग के लिये ले लेंगे। अगर आप अभी यह न कर पाये तो कभी नहीं कर पायेंगे। इस समय के अलावा और किसी समय आप पूंजीपतियों को छेड़ नहीं पायेंगे, किसी समय आप उन्हें छू नहीं पायेंगे।

वे कहते हैं कि पुराना बकाया है, छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन दूसरी तरफ वे ही मशीनें बन्द किये बैठे हैं। सुपरवाइजरी कमेटी ने फैसला कर दिया लेकिन वह लागू नहीं हुआ। लाल बत्ती दिखायी पड़ रही है इसलिये अंत में मेरी आप से प्रार्थना है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिये एक ही तरीका है कि आपको मजबूत होना चाहिये। आपको डिफेंस की फैक्टरियां बनानी चाहिये। मजदूरों और पूंजीपतियों के लिये जो सरकार तय करती है, जो नन्दा साहब तय करते हैं उसका आप इम्प्लीमेंटेशन कराइये। अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कीजिये। जिस दिन किसी पूंजीपति के खिलाफ आप डी० आई० आर० का केस चलायेंगे और उसे बन्द करेंगे, उस दिन मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा। दो लाख गज रोज कपड़े का नुकसान हो रहा है लेकिन उसकी कोई समाअत नहीं है, तो कौन आपकी बात मानेगा कि आप समाजवाद की तरफ जा रहे हैं? आपकी बात खाली जबानी समाजवाद की बात होगी। अब समय हो गया है, फिर मौका मिलने पर मैं अर्ज करूंगा।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि प्रस्तुत बजट को देखने से जनता को विश्वास होगा कि जो विषम परिस्थिति देश में है और जो परेशानियां हैं उनको दूर करने वाला यह बजट होगा, लेकिन यह बात सही नहीं साबित हुई और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मांगी घी रोटी और मिला पत्थर, वैसा ही यह बजट है। एक भाई साहब ने कहा कि होम फ्रंट पर लड़ाई लड़ी जायगी। होम फ्रंट की लड़ाई की क्या बात की जाय? इस सरकार का एक पुनर्वासन विभाग है और उसका लाखों और करोड़ों रुपया इस पर व्यय होता होगा, तमाम इस प्रदेश के जंगलात को तोड़ा गया है और वह तमाम जमीन जिस को तोड़ा गया है वह उन लोगों को बांटी

गई है जो इस शासन के दुलारे लोग हैं या जो इस शासन में खुद बैठे हुये हैं या बाहर के पूंजी-पति जिन का नाम रिफ्यूजी रखा गया है उनको दी गई है। मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में, माननीय यशोदादेवी जी की कांस्टीटुएंसी है और मेरा क्षेत्र भी घाघरा नदी के किनारे का है। इस नदी ने वहां के पचीसों गांव काट दिये और वहां के आदमी जिला बोर्ड की सड़क पर पड़े हुये हैं, वह छोटे छोटे छप्पर डाले वहां आज दस वर्ष से पड़े हैं और गुजर कर रहे हैं और हजारों एकड़ जमीन इस सरकार ने तुड़वाई है और अपने दुलारे लोगों को बांटी है लेकिन वह गरीब आज भी उसी जगह पर मर रहे हैं। आप बतायें कि ऐसे लोगों में क्या देशभक्ति आयेगी जो आज दर दर भीख मांग रहे हैं? वहां के लोगों ने मेरे पास जाकर बताया कि श्रीमती यशोदादेवी ने कभी वहां जाने तक का कष्ट नहीं किया। मेरे पास उनकी एकनालेजमेंट रसीदें मौजूद हैं। जो दरख्वास्तें उन्होंने दी हैं उनक मेरे पास से प्रेस वाले ले जाकर देख लें, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिये, सिफारिशें कराई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी वहां गये थे। कहा जाता है कि वह वह लोग जाना नहीं चाहते। मेरे पास उनकी दरख्वातें पड़ी हैं जाने के लिये, आज भी उनकी दरख्वास्तें मेरे पास आई हैं और मैंने उनको पुनर्वासन मंत्री जी के पास भेजा कि वह जाने को तैयार हैं। जो जमीनें खाली होती हैं उनको वह रोज मांगते हैं लेकिन उनको नहीं मिलतीं हैं। वह मिलती उनको हैं कि जिनके पास पचासों एकड़ जमीन मौजूद हैं, आजमगढ़, बलिया, देवरिया सब जगह जमीनें उनके पास हैं। कांग्रेसियों की छावनी वहां भी बनवा देंगे। इस तरह से आप कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे? इस तरह से देश प्रेम और मनोबल पैदा नहीं होगा। आप मानें या न मानें केवल मनोबल रट रट कर ही मनोबल पैदा नहीं होगा।

आप सब को मालूम है कि फ्रांस की जनतन्त्र की सरकार को रगड़ कर हिटलर ने भगा दिया, कहा गया था उनका मनोबल, जिस जनता में जिन्दगी और उमंग न रहेगी खाने पीने की जिस की ठीक व्यवस्था न रहेगी, जहां भ्रष्टाचार फैला होगा क्या उससे मनोबल बढ़ेगा? वह क्या लोकतंत्र और समाजवाद को समझेगी? देश के लोगों ने हमेशा दूसरों को बुलाया है जब उनको परेशानियां पैदा हुई हैं। आज कहने को तो सरकार अपने को जनतांत्रिक कहती है, लेकिन हालत क्या है, हम रोज देखते हैं हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अनैतिकता का बोलबाला है। सरकारी पार्टी के सदस्य लाभ की एक जगह पर अपना कब्जा बनाये रखना चाहते हैं। अगर यही अवस्था रही तो उद्धार होना सम्भव नहीं है।

मैं थोड़ा पुलिस प्रशासन के बारे में भी बताना चाहता हूं। आज हालत यह है कि जिस मातहत के खिलाफ ऊंचे अफसर के पास दरख्वास्त भेजी जाती है उस दरख्वास्त को वह बड़ा अफसर जांच के लिये उसी मातहत थानेदार या अफसर के पास भेजता है कि वह अपनी ही जांच करे कि उसने कसूर किया है या नहीं। मेरे पास एक नहीं कितने ही इसके सबूत मौजूद हैं। एक भगवानदेई है जिस ने दरख्वास्त दी कि पुलिस अतरौलिया की मुकामी पुलिस मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। उस पर एस० पी० ने आर्डर कर दिया सब इंस्पेक्टर कन्सर्नड को कि तुम ही जांच करो। उसने दूसरी दरख्वास्त मेरे पास भेजी, "जब दरख्वास्त मैंने सबइन्सपेक्टर को दिया तो उसने मुझे मार कर भगा दिया और कहा कि दरख्वास्त मेरे ऊपर क्यों दी। और मुझसे कहा कि सौ रुपया जब तक दे नहीं दोगे तब तक तुम्हारी बात कोई सुन नहीं सकता है।" अभी कल माननीय नवलकिशोर जी ने एक चुनौती दी है श्री रामसुन्दर पांडेय को कि हम आपकी जांच करवायेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि भले ही जांच करा लें उससे श्री राम सुन्दर पांडेय की देशभक्ति में कोई फर्क नहीं आ सकता। देश भक्ति का मजा तो आप चख रहे हो। पैसों के बल पर जहां गुप्ता जी की पार्टीबन्दी चल रही है और अलगूराय की जाति-बिरादरी चल रही है उस आग में से हम निकल कर चले आ रहे हैं। हमे चैलेंज किया जाता है कि हम तुम्हारे कारनामे बतायेंगे। आप कांग्रेस की जांच कीजिये कि गाजीपुर में डाकुओं में से कांग्रेसी पकड़े गये और पी० एस० पी० वालों पर झूठा चार्ज लगा कर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। यह बात सबको मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कल बोलियेगा, समय हो गया है ।

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
१८ फरवरी, १९६३ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१ पर)

पूरे प्रान्त में सन् १९५५ से १९६२ तक प्रति वर्ष जितने फिनायल के ड्रम आये उसकी सूचना नीचे दी हुई है :—

वर्ष				ड्रमों की संख्या
१९५५	..	..	..	१५८
१९५६	..	..	..	१४३
१९५७	..	..	..	१२५
१९५८	..	..	..	२०६
१९५९	..	..	..	१७२
१९६०	..	..	..	२०३
१९६१	..	..	..	२१७
१९६२	..	..	..	१७४
		योग	..	१,३९८

नोट—इसके अतिरिक्त कुछ जेलों ने सामूहिक सूचना भेजी है जिससे मालूम हुआ है कि उनके पास सन् १९५५–६२ तक १६५ ड्रम आये थे इस प्रकार से इन वर्षों में कुछ १,५६३ ड्रम आये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३१९ एल० ए०—(प्रो०) १९६३—८५० ।